खण्ड-104, अंक-1
सोमवार, 23 आषाढ़, शक संवत् 1874
(14 जुलाई, 1952 ई0)

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

# की

# कार्यवाही

## (अधिकृत विवरण)

खण्ड 104 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५२

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

# विषय-सूची

सोमवार, १४ जुलाई, १९५२


| विषय | | | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|---|---|
| उपस्थित सदस्यों की सूची | ... | ... | १--५ |
| प्रश्नोत्तर | ... | ... | ५--८ |
| १० जुलाई, १९५२ के श्री गेंदासिंह के तारांकित प्रश्न २४ के उत्तर से संलग्न तालिका में अशुद्धि | ... | ... | ८ |
| उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) विधेयक, १९५२ ई०, पर राज्यपाल की अनुमति की घोषणा | .. | .. | ८ |
| विभिन्न अनुदानों के लिये समय विभाजन | ... | .. | ८-९ |
| वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या २८--लेखा शीर्षक ४३--उद्योग और ४४--उद्भयन (स्वीकृत) | .. | .. | ९--३६ |
| अनुदान संख्या ४५--लेखा शीर्षक ७२--औद्योगिक विकास (स्वीकृत) | ... | | ३७--५१ |
| अनुदान संख्या ३८--लेखा शीर्षक ५६--लेखन सामग्री और छपाई (स्वीकृत) | ... | ... | ५२--५८ |
| अनुदान संख्या ३९--लेखा शीर्षक ५७--विविध व्यय (स्वीकृत) | | ... | ५८--६२ |


मंगलवार, १५ जुलाई, १९५२


| | | | |
|---|---|---|---|
| उपस्थित सदस्यों की सूची | ... | ... | ६३--६७ |
| प्रश्नोत्तर | .. | .. | ६७--७२ |
| पुलिस के एक कर्मचारी पर कथित अत्याचार तथा अलीगढ़ म्युनिसिपैलिटी के संबंध में कार्यस्थगन प्रस्तावों की सूचनायें (उपस्थित करने की अनुज्ञा नहीं दी गई) | ... | ... | ७२ |
| विभिन्न अनुदानों के लिये समय विभाजन | .. | ... | ७२-७३ |
| वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या २५--लेखा शीर्षक ४१--विद्युत् योजनाओं पर व्यय (स्वीकृत) | .. | ... | ७३--८२ |
| अनुदान संख्या २६--लेखा शीर्षक ४१ और ८१-क--विद्युत् योजनाओं की स्थापना पर व्यय (स्वीकृत) | ... | ... | ८२--८६ |
| अनुदान संख्या ४७--लेखा शीर्षक ८१-क--विद्युत् योजनाओं पर पूंजी की लागत (स्वीकृत) | ... | ... | ८६--९० |
| अनुदान संख्या ४३--लेखा शीर्षक ६८--सिंचाई, नौचालन, बांध और पानी के निकास संबंधी कार्यों की लागत का निर्माण (स्वीकृत) | | ... | ९०--१२७ |

## बुधवार, १६ जुलाई, १९५२


| विषय | | | | पृष्ठ-संख्य |
|---|---|---|---|---|
| उपस्थित सदस्यों की सूची | ... | ... | ... | १२९--१ ३ |
| प्रश्नोत्तर ... | ... | | ... | १३३--१ १ |
| देवरिया जिले के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना--(उपस्थित करने की अनुज्ञा नहीं दी गई) | ... | | ... | १४१ |
| उत्तर प्रदेश लगान का नकदी में परिवर्तन (व्यवहारों के विनियमन) विधेयक, १९५२ ई० पर राज्यपाल की अनुमति की घोषणा | | | ... | १४१ |
| उत्तर प्रदेश वाद और व्यवहार स्थगित करने का (मिर्जापुर) विधेयक, १९५२-- (विधान परिषद् द्वारा पारित विधेयक की प्रतिलिपि मेज पर रखी गई) | ... | | ... | १४१--१४२ |
| विभिन्न अनुदानों के लिये समय विभाजन ... | | | ... | १४२--१४३ |
| वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या १९--लेखा शीर्षक ३--चिकित्सा तथा अनुदान संख्या २०--लेखा शीर्षक ३९--जन स्वास्थ्य (स्वीकृत) | | | ... | १४३--१८८ |
| अनुदान संख्या ३७--लेखा शीर्षक ५५--बुढ़ौती भत्ते और पेंशनें (स्वीकृत) | .. | | .. | १८८--१९३ |
| नत्थियां ... | ... | | ... | १९४--१९७ |


## वृहस्पतिवार, १७ जुलाई, १९५२


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| उपस्थित सदस्यों की सूची | ... | | ... | १९९--२०३ |
| प्रश्नोत्तर | ... | | ... | २०३--२०५ |
| राज्य म्यूजियम, लखनऊ और आरक्यालाजिकल म्यूजियम, मथुरा की संबंध-कारिणी समितियों, भारतीय मेडिसिन बोर्ड, उत्तर प्रदेश तथा उत्तर प्रदेशीय अपराधनिरोधक समिति के लिये विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में सूचना | ... | | ... | २०५-२०६ |
| विभिन्न अनुदानों के लिए समय विभाजन ... | | | ... | २०६-२०७ |
| वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या ४१--लेखा शीर्षक ६३--असाधारण व्यय (स्वीकृत). | .. | ... | .. | २०७--२२७ |
| अनुदान संख्या ५०--लेखा शीर्षक ८५-क--राज्य व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत (स्वीकृत) | ... | | ... | २२७--२४६ |
| अनुदान संख्या ४९--लेखा शीर्षक ८३--पेंशनों की संराशि का भुगतान (स्वीकृत) | ... | | ... | २४६--२४९ |
| अनुदान संख्या ८--लेखा शीर्षक १३--अन्य कर और शुल्क (स्वीकृत) | | | ... | २४९--२६० |
| अनुदान संख्या ५१--लेखा शीर्षक-द--ब्याज वाले ऋण और अग्र-ऋण (स्वीकृत) | ... | | ... | २६१--२६३ |
| सार्वजनिक लेखा समिति के लिए निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा | | | ... | २६४ |

## शुक्रवार, १८ जुलाई, १९५२


| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| उपस्थित सदस्यों की सूची .. .. | .. २६५--२६९ |
| प्रश्नोत्तर .. .. | .. २६९-२७२ |
| विधान परिषद् के समान विधान सभा के सब सदस्यों को प्रश्नों के उत्तर वितरण करने का सुझाव .. | .. २७२ |
| कतिपय प्रश्नों के कार्यक्रम में न सम्मिलित किये जाने पर आपत्ति .. | २७२ |
| प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर न मिलने पर आपत्ति .. | .. २७२ |
| विभिन्न अनुदानों के लिये समय विभाजन .. | .. २७२--२७४ |
| वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या १८--लेखा शीर्षक ३६ तथा वैज्ञानिक विभाग-३७--शिक्षा, अनुदान संख्या ४०--लेखा शीर्षक ५७--अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान तथा अनुदान संख्या १७--लेखा शीर्षक ३६--वैज्ञानिक विभाग (जारी) | .. २७४--३०८ |
| बैठक के कार्य-काल में वृद्धि .. .. | .. ३०८ |
| वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या १८--लेखा शीर्षक ३६ तथा वैज्ञानिक विभाग--३७--शिक्षा, अनुदान संख्या ४०--लेखा शीर्षक ५७--अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान तथा अनुदान संख्या १७--लेखा शीर्षक ३६--वैज्ञानिक विभाग (जारी) | .. ३०८--३२६ |
| उत्तर प्रदेशीय अपराध निरोधक समिति के लिये सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में सूचना .. .. | .. ३२६-३२७ |
| वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या १८--लेखा शीर्षक ३६ तथा वैज्ञानिक विभाग-अनुदान संख्या ३७--शिक्षा, अनुदान संख्या ४०--लेखा शीर्षक ५७--अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान तथा अनुदान संख्या १७--लेखा शीर्षक ३६--वैज्ञानिक विभाग (स्वीकृत) | .. ३२७--३३९ |
| भारतीय मेडिसिन बोर्ड, उत्तर प्रदेश, के लिये विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा .. .. | .. ३३९-३४० |
| उत्तर प्रदेशीय अपराध निरोधक समिति के लिये विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा .. .. | .. ३४० |


## शनिवार, १९ जुलाई, १९५२


| | |
|---|---|
| उपस्थित सदस्यों की सूची .. .. | .. ३४१--३४५ |
| विभिन्न अनुदानों के लिए समय-विभाजन .. | .. ३४५--३४६ |
| वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या ४६--लेखा शीर्षक ८१--राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर लागत (स्वीकृत) .. | .. ३४६--३५७ |
| अनुदान संख्या ३१--लेखा शीर्षक ५०--सार्वजनिक निर्माण कार्यों के व्यय, जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं (स्वीकृत) .. | .. ३५७--३७२ |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| अनुदान संख्या ३२—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य और केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता (स्वीकृत) .. .. | ३७२—३८८ |
| अनुदान संख्या ३३—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य और ८१—राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों की पूंजी का लेखा (स्वीकृत) .. .. .. | ३८८—४०० |
| बैठक के कार्य-काल में वृद्धि करने का प्रस्ताव (स्वीकृत) .. .. | ४०० |
| उत्तर प्रदेश वाद और व्यवहार स्थगित करने का (मिर्जापुर) विधेयक, १९५२ (विधान परिषद् द्वारा पारित विधेयक—पारित) .. .. | ४००—४०२ |


सत्यमेव जयते

# शासन

---

## राज्यपाल

**श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी।**

## मंत्रि परिषद्

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त, बी० ए०, एल–एल० बी०, एम० एल० ए०, मुख्य मंत्री तथा सामान्य प्रशासन और नियोजन मंत्री।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम, बी० ए०, एल–एल० बी०, एम० एल० ए०, वित्त तथा विद्युत् मंत्री।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द, बी० एस–सी०, एम० एल० ए०, गृह तथा श्रम मंत्री।

[illegible], बी० ए०, एल–एल० बी०, एम० एल० ए०, उद्योग तथा पुनर्वासन मन्त्री।

श्री गिरधारी[illegible], एम० ए०, एम० एल० ए०, निर्माण मन्त्री।

श्री चन्द्रभानु गुप्त, एम० ए०, एल–एल० बी०, एम० एल० ए०, स्वास्थ्य तथा अन्न मंत्री।

श्री सैयद अली जहीर, बार–ऐट–ला, एम० एल० ए०, न्याय तथा मादककर मंत्री।

श्री चरण सिंह, एम० ए०, बी० एस–सी०, एल–एल० बी०, एम० एल० ए०, माल तथा कृषि मंत्री।

श्री हरगोविन्द सिंह, एम० एल० ए०, शिक्षा तथा हरिजन सहायक मंत्री।

श्री मोहनलाल गौतम, बी० ए० (आनर्स), स्वशासन मन्त्री।

श्री कमलापति त्रिपाठी, सूचना तथा सिंचाई मन्त्री।

श्री विचित्रनारायण शर्मा, परिवहन तथा सहकारिता मन्त्री।

## उपमंत्री

श्री मंगलाप्रसाद, बी० ए०, एल–एल० बी०, एम० एल० ए०, सहकारिता उपमंत्री।

श्री जगमोहन सिंह नेगी, बी० ए०, एल एल० बी०, एम० एल० ए०, वन उपमंत्री।

श्री फूलसिंह बी० ए०, एल–एल० बी०, एम० एल० ए०, योजना उपमंत्री।

श्री जगनप्रसाद रावत, बी० एस–सी०, एल–एल० बी०, एम० एल० ए०, कृषि उपमंत्री।

श्री मुजफ्फर हसन, एम० एल० ए०, कारावास उपमंत्री।

श्री राममूर्ति, एम० ए०, एल–एल० बी०, एम० एल० ए०, सिंचाई उपमंत्री।

श्री चतुर्भुज शर्मा, बी० ए०, एल–एल० बी०, एम० एल० ए०, निर्माण उपमंत्री।

## सभा सचिव

### मुख्य मंत्री के सभा सचिव

श्री कृपाशंकर, एम० एल० ए०।

### अन्न मंत्री के सभा सचिव

१––श्री बलदेव सिंह आर्य, एम० एल० ए०।

२–– [illegible]बनारसीदास, एम० एल० ए०

### उद्योग मन्त्री के सभासचिव

श्री रऊफ जाफरी, एम० ए०, एम० एल० ए०।

### माल मन्त्री के सभा सचिव

श्री द्वारिकाप्रसाद मौर्य, एम० एल० ए०।

### शिक्षा मन्त्री के सभा सचिव

डाक्टर सीताराम, एम० एस–सी० (फिस), पीं० [illegible] ० डी०, एम० एल० ए०।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन क्षेत्र

| | | |
|---|---|---|
| १—अंसमान सिंह, श्री | ... | बस्ती (पूर्व) |
| २—अक्षयवर सिंह, श्री | ... | गोरखपुर (दक्षिण-पूर्व) |
| ३—अज़ीज़ इमाम, श्री | ... | मिर्ज़ापुर (दक्षिण) |
| ४—अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री | ... | रुड़की (दक्षिण) |
| ५—अनन्तस्वरूप सिंह, श्री | ... | फ़तेहपुर (दक्षिण)—खागा (दक्षिण) |
| ६—अब्दुल मुईज़ ख़ां, श्री | ... | ख़लीलाबाद (मध्य) |
| ७—अब्दुल रऊफ ख़ां, श्री | ... | फतेहपुर (पूर्व) खा—गा (उत्तर) |
| ८—अमरेशचन्द्र पाण्डय, श्री | ... | मिर्ज़ापुर (उत्तर) |
| ९—अमृतनाथ मिश्र, श्री | ... | उतरौला (दक्षिण) |
| १०—अली जहीर, श्री सैयद | ... | लखनऊ नगर (मध्य) |
| ११—अवधशरण वर्मा, श्री | ... | फ़तेहपुर (उत्तर) |
| १२—अवधेशचन्द्र सिंह, श्री | ... | छिबरामऊ (पूर्व)—फर्रुखाबाद (पूर्व) |
| १३—अवधेशप्रताप सिंह, श्री | ... | बीकापुर (पूर्व) |
| १४—अशरफ़ अली ख़ां, श्री | ... | सादाबाद (पूर्व) |
| १५—आत्माराम गोविन्द खेर, श्री | ... | झांसी (पूर्व) |
| १६—आर्थर ग्राइस, श्री | ... | नाम-निर्देशित आंग्ल भारतीय |
| १७—आशालता व्यास, श्रीमती | ... | फूलपुर (दक्षिण) |
| १८—इर्तज़ा हुसैन, श्री | ... | बुलन्दशहर (उत्तर-पश्चिम) |
| १९—इसराऊल हक़, श्री | ... | फीरोज़ाबाद—फतेहाबाद |
| २०—इस्तफ़ा हुसैन, श्री | ... | गोरखपुर (मध्य) |
| २१—उमाशंकर, श्री | ... | सगरी (पश्चिम) |
| २२—उमाशंकर तिवारी, श्री | ... | चंदौली (दक्षिण-पश्चिम)—रामनगर |
| २३—उमाशंकर मिश्र, श्री | ... | नवाबगंज(दक्षिण)—हैदरगढ़—रामसनेहीघाट |
| २४—उम्मेद सिंह, श्री | ... | उतरौला (उत्तर-पूर्व) |
| २५—उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री | ... | ऐतमादपुर—आगरा (पूर्व) |
| २६—ऐज़ाज़ रसूल, श्री | ... | शाहाबाद (पश्चिम) |
| २७—ओंकार सिंह, श्री | ... | दातागंज (उत्तर)—बदायूं |
| २८—कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री | ... | शाहाबाद (पूव)—हरदोई (उत्तर-पश्चिम) |
| २९—कमलापति त्रिपाठी, श्री | ... | चकिया—चन्दौली (दक्षिण-पूर्व) |
| ३०—कमला सिंह, श्री | ... | सैदपुर |
| ३१—कमा ल अहमद रिज़वी, श्री | ... | मोहमदी (पूर्व) |
| ३२—करण सिंह यादव, श्री | ... | गुन्नौर (उत्तर) |
| ३३—करन सिंह, श्री | ... | निघासन—लखीमपुर (उत्तर) |
| ३४—कल्याण राय, श्री | ... | हज़ूर मिलक (उत्तर) |
| ३५—कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री | ... | चंदौली (उत्तर) |
| ६—कालिका सिंह, श्री | ... | लालगंज (दक्षिण) |
| ३७—कालीचरण टण्डन, श्री | ... | कन्नौज (उत्तर) |
| ३८—काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री | ... | कादीपुर |
| ३९—किन्दरलाल, श्री | ... | हरदोई (पूर्व) |
| ४०—किशनस्वरूप भटनागर, श्री | ... | खुरजा |
| ४१—कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री | ... | सुल्तानपुर (पश्चिम) |
| ४२—कृपाशंकर, श्री | ... | हरैया (पूर्व)—बस्ती (पश्चिम) |
| ४३—कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री | ... | सीतापुर (दक्षिण-पूर्व) |
| ४४—कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री | ... | ललितपुर (दक्षिण) |

| | | |
|---|---|---|
| ४५—कृष्णशरण आर्य, श्री | .. | मिलक (दक्षिण)—शाहाबाद |
| ४६—केदारनाथ, श्री | ... | मुरादाबाद (दक्षिण) |
| ४७—केवल सिंह, श्री | ... | सिकन्दराबाद (पूर्व) |
| ४८—केशभान राय, श्री | ... | बांसगांव (मध्य) |
| ४९—केशव गुप्त, श्री | ... | कैराना (उत्तर) |
| ५०—केशव पाण्डेय, श्री | ... | गोरखपुर (उत्तर–पूर्व) |
| ५१—केशवराम, श्री | ... | सहसवान (पूर्व) |
| ५२—कैलाशप्रकाश, श्री | ... | मेरठ नगरपालिका |
| ५३—खयालीराम, श्री | ... | अमरोहा (पूर्व) |
| ५४—खुशीराम, श्री | ... | पिथौरागढ़—चम्पावत |
| ५५—खूबसिंह, श्री | ... | धामपुर (उत्तर–पूर्व)—नगीना (पूर्व) |
| ५६—गंगाधर, श्री | ... | चमोली (पश्चिम)—पौड़ी (उत्तर) |
| ५७—गंगाधर जाटव, श्री | ... | फ़ीरोज़ाबाद—फतेहाबाद |
| ५८—गंगाधर शर्मा, श्री | ... | मिश्रिख |
| ५९—गंगाप्रसाद, श्री | ... | तरबगंज (दक्षिण–पूर्व)—गोंडा (दक्षिण) |
| ६०—गंगाप्रसाद सिंह, श्री | ... | रसरा (पश्चिम) |
| ६१—गजेन्द्र सिंह, श्री | ... | विधूना (पूर्व) |
| ६२—गज्जूराम, श्री | ... | मऊ—मोठ (दक्षिण)—झांसी (पश्चिम)—ललितपुर (उत्तर) |
| ६३—गणेशचन्द्र काछी, श्री | ... | मैनपुरी (उत्तर)—भोगांव (उत्तर) |
| ६४—गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री | ... | इलाहाबाद नगर (पूर्व) |
| ६५—गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री | ... | बांसगांव (दक्षिण–पश्चिम) |
| ६६—गिरजारमण शुक्ल, श्री | ... | पट्टी (दक्षिण) |
| ६७—गिरधारीलाल, श्री | ... | धामपुर (उत्तर—पूर्व)—नगीना (पूर्व) |
| ६८—गुप्तार सिंह, श्री | ... | डलमऊ (दक्षिण—पश्चिम) |
| ६९—गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री | ... | खजुहा (पश्चिम) |
| ७०—गुरुप्रसाद सिंह, श्री | ... | मुसाफ़िरखाना (दक्षिण)—अमेठी (पश्चिम) |
| ७१—गुलज़ार, श्री | ... | मुसाफ़िरखाना (उत्तर)—सुल्तानपुर (उत्तर) |
| ७२—गेंदा सिंह, श्री | ... | पडरौना (पूर्व) |
| ७३—गोपीनाथ दीक्षित, श्री | ... | इटावा (दक्षिण) |
| ७४—गोवर्धन तिवारी, श्री | ... | अल्मोड़ा (दक्षिण) |
| ७५—गोविन्दवल्लभ पन्त, श्री | ... | बरेली नगरपालिका |
| ७६—गौरीराम, श्री | ... | फरेंदा (मध्य) |
| ७७—घनश्यामदास, श्री | ... | नवाबगंज (दक्षिण)—हैदरगढ़—रामसनेही घाट |
| ७८—घासीराम जाटव, श्री | ... | बिधूना (पश्चिम)—भरथना (उत्तर)—इटावा (उत्तर) |
| ७९—चतुर्भुज शर्मा, श्री | ... | उरई—जालौन (दक्षिण) |
| ८०—चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री | | डलमऊ (पूर्व) |
| ८१—चन्द्रभानु गुप्त, श्री | ... | लखनऊ नगर (पूर्व) |
| ८२—चन्द्रभानुशरण सिंह, श्री | ... | तराबगंज (दक्षिण–पूर्व)—गोंडा (दक्षिण) |
| ८३—चन्द्रवती, श्रीमती | ... | बिजनौर (मध्य) |
| ८४—चन्द्र सिंह रावत, श्री | ... | पौड़ी (दक्षिण)—चमोली (पूर्व) |
| ८५—चन्द्रहास, श्री | ... | हरदोई (पूर्व) |
| ८६—चरण सिंह, श्री | ... | बागपत (पश्चिम) |

| | | |
|---|---|---|
| ८७--चित्तरसिंह निरंजन, श्री | ... | कोंच |
| ८८--चिरंजीलाल जाटव, श्री | ... | जलेसर-एटा (उत्तर) |
| ८९--चिरंजीलाल पालीवाल, श्री | .. | छिबरामऊ (दक्षिण)--कन्नौज (दक्षिण) |
| ९०--चुन्नीलाल सगर, श्री | ... | बिसौली--गुन्नौर (पूर्व) |
| ९१--छेदालाल, श्री | ... | शाहाबाद (पूर्व)--हरदोई (उत्तर-पश्चिम) |
| ९२--छेदालाल चौधरी, श्री | ... | लखीमपुर (दक्षिण) |
| ९३--जगतनारायण, श्री | ... | नवाबगंज (उत्तर) |
| ९४--जगदीशप्रसाद, श्री | ... | हसनपुर (दक्षिण)--सम्भल (पश्चिम) |
| ९५--जगदीशसरन रस्तोगी, श्री | ... | सम्भल (पूर्व) |
| ९६--जगनप्रसाद रावत, श्री | ... | खैरगढ़ |
| ९७--जगन्नाथप्रसाद, श्री | ... | निघासन--लखीमपुर (उत्तर) |
| ९८--जगन्नाथबख्श दास, श्री | ... | रामसनेही घाट |
| ९९--जगन्नाथ मल्ल, श्री | ... | पडरौना (उत्तर) |
| १००--जगन्नाथ सिंह, श्री | ... | बलिया (उत्तर-पूर्व)--बांसडीह (दक्षिण-पश्चिम) |
| १०१--जगपति सिंह, श्री | ... | मऊ-करवी--बबेरू (पूर्व) |
| १०२--जगमोहन सिंह नेगी, श्री | ... | लैन्सडाउन (पश्चिम) |
| १०३--जटाशंकर शुक्ल, श्री | ... | पुरवा (उत्तर)--हसनगंज |
| १०४--जयपाल सिंह, श्री | ... | रुड़की (पश्चिम)--सहारनपुर (उत्तर) |
| १०५--जयराम वर्मा, श्री | ... | अकबरपुर (पश्चिम) |
| १०६--जयेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री | ... | खन-टहरी (उत्तर) |
| १०७--जवाहरलाल, श्री | ... | करछना (उत्तर)--चायल (दक्षिण) |
| १०८--जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर | ... | कानपुर नगर (पूर्व) |
| १०९--जुगलकिशोर, श्री | ... | मथुरा (दक्षिण) |
| ११०--जोरावर वर्मा, श्री | .. | महोबा--कुलपहाड़--चरखारी |
| १११--ज्वालाप्रसाद सिनहा, श्री | ... | गोंडा (पश्चिम) |
| ११२--झारखण्डे राय, श्री | ... | घोसी (पश्चिम) |
| ११३--टीकाराम, श्री | ... | संडीला--बिलग्राम (दक्षिण-पूर्व) |
| ११४--डल्लाराम, श्री | ... | मिश्रिख |
| ११५--डालचन्द, श्री | ... | माट-सादाबाद (पश्चिम) |
| ११६--ताराचन्द माहेश्वरी, श्री | ... | सिधौली (पश्चिम) |
| ११७--तिरमल सिंह, श्री | ... | कासगंज (उत्तर) |
| ११८--तुलसीराम, श्री | ... | बदायूं (दक्षिण-पश्चिम) |
| ११९--तुलाराम, श्री | ... | औरैया-भरथना (दक्षिण) |
| १२०--तुलाराम रावत, श्री | ... | मलिहाबाद--बाराबंकी (उत्तर-पश्चिम) |
| १२१--तेजप्रताप सिंह, श्री | ... | मौदहा (दक्षिण) |
| १२२--तेजबहादुर, श्री | ... | लालगंज (उत्तर) |
| १२३--तेजा सिंह, श्री | ... | गाजियाबाद (उत्तर-पश्चिम) |
| १२४--त्रिलोकीनाथ कौल, श्री | ... | बहराइच (पश्चिम) |
| १२५--दयालदास भगत, श्री | ... | घाटमपुर--भोगनीपुर (पूर्व) |
| १२६--दर्शनराम, श्री | ... | मऊ-करवी--बबेरू (पूर्व) |
| १२७--दलबहादुर सिंह, श्री | ... | सलोन (दक्षिण) |
| १२८--दाऊदयाल खन्ना, श्री | ... | मुरादाबाद (उत्तर) |
| १२९--दाताराम, श्री | ... | नकुड़ (दक्षिण) |
| १३०--दीनदयालु शर्मा, श्री | ... | अनूपशहर (उत्तर) |

| | | |
|---|---|---|
| १३१—दीनदयालु शास्त्री, श्री | ... | रुड़की (पूर्व) |
| १३२—दीपनारायण वर्मा, श्री | ... | जौनपुर (पश्चिम) |
| १३३—देवकीनन्दन विभव, श्री | ... | आगरा |
| १३४—देवदत्त मिश्र, श्री | ... | पुरवा (दक्षिण) |
| १३५—देवदत्त शर्मा | ... | बुलन्दशहर (दक्षिण)—अनूपशहर (दक्षिण) |
| १३६—देवनन्दन शुक्ल, श्री | .. | सलीमपुर (पश्चिम) |
| १३७—देवमूर्तिराम, श्री | ... | बनारस (पश्चिम) |
| १३८—देवराम, श्री | | सैदपुर |
| १३९—देवेन्द्रप्रतापनारायण सिंह, श्री | .. | गोरखपुर (पश्चिम) |
| १४०—द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री | ... | मुजफ्फरनगर (मध्य) |
| १४१—द्वारकाप्रसाद मौर्य्य, श्री | ... | मरियाहू (उत्तर) |
| १४२—द्वारिकाप्रसाद पाण्डय, श्री | ... | फरेंदा (दक्षिण) |
| १४३—धनुषधारी पाण्डेय, श्री | ... | खलीलाबाद (दक्षिण) |
| १४४—धर्मसिंह, श्री | ... | बुलन्दशहर (दक्षिण)—अनूपशहर (दक्षिण) |
| १४५—धर्मदत्त वैद्य, श्री | ... | बहेड़ी (दक्षिण-पश्चिम)—बरेली (पश्चिम) |
| १४६—नत्थूसिंह, श्री | ... | आग्रा (पूर्व)—फरीदपुर |
| १४७—नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री | ... | हाथरस |
| १४८—नरदेव शास्त्री, श्री | ... | पश्चिमीय दून—दक्षिण पूर्वीय दून |
| १४९—नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री | ... | पिथौरागढ़-चम्पावत |
| १५०—नरोत्तम सिंह, श्री | ... | दातागंज (दक्षिण)-बदायूं (दक्षिण-पूर्व) |
| १५१—नवलकिशोर, श्री | ... | आंवला (पश्चिम) |
| १५२—नागेश्वर द्विवेदी, श्री | ... | मछलीशहर (उत्तर) |
| १५३—नाजिम अली, श्री | ... | मुसाफिरखाना (उत्तर)—सुल्तानपुर (उत्तर) |
| १५४—नारायणदत्त तिवारी, श्री | ... | नैनीताल (उत्तर) |
| १५५—नारायणदास, श्री | ... | फैजाबाद (पूर्व) |
| १५६—नारायणदीन, श्री | ... | पवायां—शाहजहांपुर (पूर्व) |
| १५७—निरंजन सिंह, श्री | ... | पीलीभीत (पूर्व)—बीसलपुर (पश्चिम) |
| १५८—निहालुद्दीन, श्री | ... | बदायूं (उत्तर) |
| १५९—नेकराम शर्मा, श्री | ... | सिकन्दराराव (दक्षिण) |
| १६०—नेत्रपाल सिंह, श्री | ... | सिकन्दराराव (उत्तर)—कोइल (दक्षिण-पूर्व) |
| १६१—नौरंगलाल, श्री | ... | नवाबगंज |
| १६२—पद्मनाथ सिंह, श्री | ... | मुहम्मदाबाद—गोहना (दक्षिण) |
| १६३—परमानन्द सिन्हा, श्री | ... | सोराव (दक्षिण) |
| १६४—परमेश्वरीराम, श्री | ... | केराकट—जौनपुर (दक्षिण) |
| १६५—परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री | ... | महाराजगंज (उत्तर) |
| १६६—पहलवान सिंह चौधरी, श्री | ... | बांदा |
| १६७—पातीराम, श्री | ... | छिबरामऊ (पूर्व)—फर्रुखाबाद (पूर्व) |
| १६८—पुत्तूलाल, श्री | .. | एतमादपुर—आगरा (पूर्व) |
| १६९—पुद्दनराम, श्री | ... | बांसी (उत्तर) |
| १७०—पुलिनविहारी बनर्जी, श्री | ... | लखनऊ नगर (पश्चिम) |
| १७१—प्रकाशवती सूद, श्रीमती | ... | हापुड़ (उत्तर) |
| १७२—प्रतिपाल सिंह, श्री | ... | शाहजहांपुर (पश्चिम)—जलालाबाद (पूर्व) |
| १७३—प्रभाकर शुक्ल, श्री | ... | हरैया (उत्तर-पश्चिम) |
| १७४—प्रभूदयाल, श्री | ... | बस्ती (पश्चिम) |

१७५—प्रेमकिशन खन्ना, श्री ... पवायां–शाहजहांपुर (पूर्व)
१७६—फजलुल हक़, श्री ... रामपुर नगर
१७७—फतेह सिंह, श्री ... जलेसर—एटा (उत्तर)
१७८—फ़तेह सिंह राणा, श्री ... सरधना (पश्चिम)
१७९—फूल सिंह, श्री ... देवबन्द
१८०—बद्रीनारायण मिश्र, श्री ... सलीमपुर (दक्षिण)
१८१—बनारसीदास, श्री ... बुलन्दशहर (मध्य)
१८२—बलदेव सिंह, श्री ... बनारस (मध्य)
१८३—बलदेव सिंह आर्य, श्री ... पौड़ी (दक्षिण)—चमोली (पूर्व)
१८४—बलवीर सिंह, श्री ... गाजियाबाद (दक्षिण)
१८५—बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री ... उतरौला (उत्तर)
१८६—बलवन्त सिंह, श्री ... मुजफ्फ़रनगर (पूर्व)—जानसठ (उत्तर)
१८७—बशीर अहमद हकीम, श्री ... सीतापुर (पूर्व)
१८८—बसन्तलाल, श्री ... कालपी—जालौन (उत्तर)
१८९—बसन्तलाल शर्मा, श्री ... नानपारा (उत्तर)
१९०—बाबूनन्दन, श्री ... शाहगंज (पूर्व)
१९१—बाबूराम गुप्त, श्री ... कासगंज (पश्चिम)
१९२—बाबूलाल कुसुमेश, श्री ... रामसनहीघाट
१९३—बाबूलाल मोतल, श्री ... आगरा नगर (उत्तर)
१९४—बालेन्दुशाह, महाराजकुमार ... टेहरी (दक्षिण)—प्रतापनगर
१९५—बिशम्बर सिंह, श्री ... सरधना (पूर्व)
१९६—बेचनराम, श्री ... ज्ञानपुर (उत्तर—पश्चिम)
१९७—बेचनराम गुप्त, श्री ... ज्ञानपुर (पूर्व)
१९८—बेनीसिंह, श्री ... कानपुर तहसील
१९९—बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री ... बांसडीह (मध्य)
२००—बैजूराम श्री ... सिधौली (पश्चिम)
२०१—ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री ... कानपुर नगर (दक्षिण)
२०२—भगवतीदीन तिवारी, श्री ... जौनपुर (उत्तर)—शाहगंज (पश्चिम)
२०३—भगवतीप्रसाद दुबे, श्री ... बांसगांव (पूर्व)—गोरखपुर (दक्षिण)
२०४—भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री ... प्रतापगढ़ (पूर्व)
२०५—भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री ... फ़तेहपुर (दक्षिण)
२०६—भगवानदीन मिश्र, श्री ... कैसरगंज (उत्तर)
२०७—भगवानदीन वाल्मीकि, श्री ... फ़तेहपुर (दक्षिण)—खागा (दक्षिण)
२०८—भगवान सहाय, श्री ... तिलहर (दक्षिण)
२०९—भीमसेन, श्री ... खुरजा
२१०—भुवरजी, श्री ... फूलपुर (पूर्व)—हंडिया (उत्तर–पश्चिम)
२११—भूपाल सिंह खाती, श्री ... अल्मोड़ा (उत्तर)
२१२—भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री ... बांसगांव (दक्षिण—पूर्व)
२१३—भोला सिंह यादव, श्री .. गाजीपुर (दक्षिण–पश्चिम)
२१४—मक़सूद आलम खां, श्री ... पीलीभीत (पश्चिम)
२१५—मंगलाप्रसाद, श्री ... मेजा–करछना (दक्षिण)
२१६—मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री ... फर्रुखाबाद (पश्चिम)—छिबरामऊ
२१७—मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री ... बांसी (उत्तर)
२१८—मदनगोपाल वैद्य,श्री ... फैजाबाद (पूर्व)
२१९—मदनमोहन उपाध्याय, श्री ... रानीखेत (उत्तर)
२२०—मन्नीलाल गुरुदेव, श्री ... महोबा—कुलपहाड़—चरखारी

| | | |
|---|---|---|
| २२१—महमूद अली ख़ां, श्री | ... | सुमर—टांडा—बिलासपुर |
| २२२—महमूद अली ख़ां, श्री | ... | सहारनपुर (उत्तर-पश्चिम)—नकुड़ (उत्तर) |
| २२३—महाजन, श्री सी० बी० | ... | आगरा नगर (पश्चिम) |
| २२४—महादेवप्रसाद, श्री | ... | गोरखपुर (उत्तर-पूर्व) |
| २२५—महाराज सिंह, श्री | ... | शिकोहाबाद (पश्चिम) |
| २२६—महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री | ... | हंडिया (दक्षिण) |
| २२७—महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री | ... | मोहनलालगंज |
| २२८—महीलाल, श्री | ... | बिलारी |
| २२९—मान्धाता सिंह, श्री | ... | रसरा (पूर्व)—बलिया (दक्षिण-पश्चिम) |
| २३०—मिजाजीलाल, श्री | ... | करहल (पूर्व)—भोगांव (दक्षिण) |
| २३१—मिहरबान सिंह, श्री | ... | बिधूना (पश्चिम)—भरथना (उत्तर)—इटावा (उत्तर) |
| २३२—मुज़फ़्फ़र हसन, श्री | ... | चायल (उत्तर) |
| २३३—मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री | ... | पूरनपुर—बीसलपुर (पूर्व) |
| २३४—मुन्नूलाल, श्री | ... | बिसवां—सिधौली (पूर्व) |
| २३५—मुरलीधर कुरील, श्री | ... | बिल्हौर—अकबरपुर |
| २३६—मुश्ताक़ अली ख़ां, श्री | ... | सहसवान (पश्चिम) |
| २३७—मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री | ... | डुमरियागंज (दक्षिण) |
| २३८—मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री | ... | बिजनौर (उत्तर)—नजीबाबाद (पश्चिम) |
| २३९—मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री | ... | बनारस नगर (उत्तर) |
| २४०—मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज़ | ... | नगीना (दक्षिण—पश्चिम)—धामपुर (उत्तरपूर्व) |
| २४१—मुहम्मद तक़ी हादी, श्री | ... | अमरोहा (पश्चिम) |
| २४२—मुहम्मद नबी, श्री | ... | बुढ़ाना (पूर्व)—जानसठ (दक्षिण) |
| २४३—मुहम्मद नसीर, श्री | ... | टांडा |
| २४४—मुहम्मद फ़ारूक़ चिश्ती, श्री | ... | देवरिया (उत्तर-पूर्व) |
| २४५—मुहम्मद मञ्जूरुल नबी, श्री | ... | सहारनपुर नगर |
| २४६—मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री, श्री | ... | मछलीशहर (दक्षिण) |
| २४७—मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री | ... | उतरौला (मध्य) |
| २४८—मुहम्मद सआदत अली ख़ां, राजा | .. | नानपारा (दक्षिण) |
| २४९—मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री | ... | डुमरियागंज (उत्तर-पूर्व)—बांसी (पश्चिम) |
| २५०—मोहनलाल, श्री | ... | सफ़ीपुर—उन्नाव (उत्तर) |
| २५१—मोहनलाल गौतम, श्री | ... | खैर—कोइल (उत्तर-पश्चिम) |
| २५२—मोहनसिंह, श्री | ... | बुलन्दशहर (उत्तर-पूर्व) |
| २५३—मोहन सिंह शाक्य, श्री | ... | अलीगंज (दक्षिण) |
| २५४—यमुनाप्रसाद, श्री | ... | बहराइच (पश्चिम) |
| २५५—यमुना सिंह, श्री | ... | गाजीपुर (मध्य)—महम्मदाबाद (उत्तर-पश्चिम) |
| २५६—यशोदादेवी, श्रीमती | ... | बांसगांव (दक्षिण-पश्चिम) |
| २५७—रघुनाथप्रसाद, श्री | ... | मेजा—करछना (दक्षिण) |
| २५८—रघुराज सिंह, श्री | ... | तरबगंज (पश्चिम) |
| २५९—रघुवीर सिंह, श्री | ... | बागपत (दक्षिण) |
| २६०—रणञ्जय सिंह, श्री | ... | अमेठी (मध्य) |
| २६१—रतनलाल जैन, श्री | ... | नजीबाबाद (उत्तर)—नगीना (उत्तर) |
| २६२—रमानाथ खैरा, श्री | ... | महरौनी |
| २६३—रमेशचन्द्र शर्मा, श्री | ... | मरियाहू (दक्षिण) |

२६४—रमेश वर्मा, श्री ... किराउली
२६५—राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा ... उतरौला (दक्षिण–पश्चिम)
२६६—राजकिशोर राव, श्री ... बहराइच (पूर्व)
२६७—राजकुमार शर्मा, श्री ... चुनार (उत्तर)
२६८—राजदेव उपाध्याय, श्री ... हाटा (उत्तर)
२६९—राजनारायण, श्री ... बनारस (दक्षिण)
२७०—राजनारायण सिंह, श्री ... चुनार (दक्षिण)
२७१—राजवंशी, श्री ... पडरौना (दक्षिण–पश्चिम)—देवरिया (दक्षिण–पूर्व)

२७२—राजाराम, श्री ... अतरौली (दक्षिण)—कोइल (पूर्व)
२७३—राजाराम किसान, श्री ... प्रतापगढ़ (पश्चिम)—कुण्डा (उत्तर)
२७४—राजाराम मिश्र, श्री ... फैजाबाद (पश्चिम)
२७५—राजाराम शर्मा, श्री ... खलीलाबाद (उत्तर)
२७६—राजेन्द्रदत्त, श्री ... मुजफ्फरनगर (पश्चिम)
२७७—राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री ... बिलग्राम (पूर्व)
२७८—राधामोहन सिंह, श्री ... बलिया (पूर्व)
२७९—रामअधार तिवारी, श्री ... प्रतापगढ़ (उत्तर–पश्चिम)—पट्टी (उत्तर–पश्चिम)

२८०—रामअधीन सिंह यादव, श्री ... पुरवा (मध्य)
२८१—रामअनन्त पाण्डय, श्री ... बलिया (मध्य)
२८२—रामअवध सिंह, श्री ... फरेंदा (उत्तर)
२८३—रामकिंकर, श्री ... प्रतापगढ़ (उत्तर–पश्चिम)—पट्टी (उत्तर–पश्चिम)

२८४—रामकुमार शास्त्री, श्री ... बांसी (दक्षिण)
२८५—रामकृष्ण जैसवार, श्री ... मिर्जापुर (दक्षिण)
२८६—रामगुलाम सिंह, श्री ... जलालाबाद (पश्चिम)
२८७—रामचन्द्र विकल, श्री ... सिकन्दराबाद (पश्चिम)
२८८—रामचरनलाल गंगवार, श्री ... बरेली (पश्चिम)
२८९—रामजीलाल सहायक, श्री ... मवाना
२९०—रामजी सहाय, श्री ... देवरिया (दक्षिण–पश्चिम)—हाटा (दक्षिण–पश्चिम)

२९१—रामदास आर्य, श्री .. बुढ़ाना (पूर्व)—जानसठ (दक्षिण)
२९२—रामदास रविदास, श्री ... अकबरपुर (पश्चिम)
२९३—रामदुलारे मिश्र, श्री ... अकबरपुर (दक्षिण)
२९४—रामनरेश शुक्ल, श्री ... कुण्डा (दक्षिण)
२९५—रामनाथ तिवारी, श्री ... देवरिया (दक्षिण)
२९६—रामनारायण त्रिपाठी, श्री ... अकबरपुर (पूर्व)
२९७—रामप्रसाद, श्री ... रायबरेली—डलमऊ (उत्तर)
२९८—रामप्रसाद देशमुख, श्री ... खैर–कोइल (उत्तर–पश्चिम)
२९९—रामप्रसाद नौटियाल, श्री ... लैन्सडाउन (पूर्व)
३००—रामप्रसाद सिंह, श्री ... महाराजगंज (दक्षिण)
३०१—रामबली मिश्र, श्री ... सुल्तानपुर (पूर्व)—अमेठी (पूर्व)
३०२—रामभजन, श्री ... मोहमदी (पश्चिम)
३०३—राममूर्ति, श्री ... बहेड़ी (उत्तर–पूर्व)
३०४—रामरतनप्रसाद, श्री ... रसरा (पूर्व)—बलिया (दक्षिण–पश्चिम)
३०५—रामराज शुक्ल, श्री ... पट्टी (पूर्व)

| | | |
|---|---|---|
| ३०६—रामलखन, श्री | ... | चकिया—चन्दौली (दक्षिण-पूर्व) |
| ३०७—रामलखन मिश्र, श्री | ... | डुमरियागंज (उत्तर-पश्चिम) |
| ३०८—रामलाल, श्री | ... | बस्ती (पश्चिम) |
| ३०९—रामवचन यादव, श्री | ... | फूलपुर (दक्षिण) |
| ३१०—रामशंकर द्विवेदी, श्री | ... | रायबरेली—डलमऊ (उत्तर) |
| ३११—रामशंकर रविवासी, श्री | ... | लखनऊ (मध्य) |
| ३१२—रामसनेही भारतीय, श्री | ... | बबेरी (पश्चिम) |
| ३१३—रामसहाय शर्मा, श्री | ... | गरोधा मोठ (उत्तर) |
| ३१४—रामसुन्दर पाण्डेय, श्री | ... | घोसी (पूर्व) |
| ३१५—रामसुन्दरराम, श्री | ... | खलीलाबाद (दक्षिण) |
| ३१६—रामसुभग वर्मा, श्री | ... | पडरौना (पश्चिम) |
| ३१७—रामसुमेर, श्री | ... | टांडा |
| ३१८—रामस्वरूप, श्री | ... | दूधी—राबर्ट्सगंज |
| ३१९—रामस्वरूप गुप्त, श्री | ... | भोगनीपुर (पश्चिम)—डेरापुर (दक्षिण) |
| ३२०—रामस्वरूप भारतीय, श्री | ... | कुण्डा (दक्षिण) |
| ३२१—रामस्वरूप मिश्र "विशारद", श्री | ... | महाराजगंज (पश्चिम) |
| ३२२—रामहरख यादव, श्री | ... | बीकापुर (पश्चिम) |
| ३२३—रामहेत सिंह, श्री | ... | छत्ता |
| ३२४—रामेश्वरप्रसाद, श्री | ... | महाराजगंज (पश्चिम) |
| ३२५—लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री | ... | नैनीताल (दक्षिण) |
| ३२६—लक्ष्मणराव क़दम, श्री | ... | मऊ—मोठ (दक्षिण)—झांसी (पश्चिम)—ललितपुर (उत्तर) |
| ३२७—लक्ष्मीदेवी, श्रीमती | ... | संडीला—बिलग्राम (दक्षिण-पूर्व) |
| ३२८—लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री | ... | माट—सादाबाद (पश्चिम) |
| ३२९—लक्ष्मीशंकर यादव, श्री | ... | शाहगंज (पूर्व) |
| ३३०—लताफ़त हुसैन, श्री | ... | हसनपुर (उत्तर) |
| ३३१—लालबहादुर सिंह, श्री | | केराकट—जौनपुर (दक्षिण) |
| ३३२—लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री | ... | बनारस (उत्तर) |
| ३३३—लीलाधर अष्ठाना, श्री | ... | उन्नाव (दक्षिण) |
| ३३४—लुत्फ अली खां, श्री | ... | हापुड़ (दक्षिण) |
| ३३५—लेखराज सिंह, श्री | ... | सम्भल (पूर्व) |
| ३३६—वंशनारायण सिंह, श्री | ... | ज्ञानपुर (उत्तर-पश्चिम) |
| ३३७—वंशीदास धनगर, श्री | ... | करहल (पश्चिम)—शिकोहाबाद (पूर्व) |
| ३३८—वंशीधर मिश्र, श्री | ... | लखीमपुर (दक्षिण) |
| ३३९—वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री | ... | गाजीपुर (दक्षिण-पूर्व) |
| ३४०—वसी नक़वी, श्री | ... | महाराजगंज (पूर्व)—सलोन (उत्तर) |
| ३४१—वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री | ... | कानपुर नगर (मध्य-पश्चिम) |
| ३४२—विचित्रनारायण शर्मा, श्री | ... | गाजियाबाद (उत्तर-पूर्व) |
| ३४३—विजयशंकर प्रसाद, श्री | ... | मुहम्मदाबाद (दक्षिण) |
| ३४४—विद्यावती राठौर, श्रीमती | ... | एटा (पूर्व)—अलीगढ़ (पश्चिम)—कासगंज (दक्षिण) |
| ३४५—विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री | ... | गाजीपुर (पश्चिम) |
| ३४६—विश्वम्भरनाथ पाण्डेय, श्री | ... | इलाहाबाद नगर (मध्य) |
| ३४७—विष्णुदयाल वर्मा, श्री | ... | जसराना |
| ३४८—विष्णुशरण दुब्लिश, श्री | ... | मवाना |
| ३४९—बीरसेन, श्री | ... | हापुड़ (दक्षिण) |

३५०--वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री ... बिलग्राम (पश्चिम)
३५१--वीरेन्द्रपति, यादव, श्री ... मैनपुरी (दक्षिण)
३५२--वीरेन्द्र वर्मा, श्री ... कैराना (दक्षिण)
३५३--वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री ... नानपारा (पूर्व)
३५४--वीरेन्द्रशाह, राजा ... कालपी--जालौन (उत्तर)
३५५--व्रजभूषण मिश्र, श्री ... दूधी राबर्ट्सगंज
३५६--व्रजरानी मिश्र, श्रीमती ... बिल्हौर--अकबरपुर
३५७--व्रजवासीलाल, श्री ... बीकापुर (मध्य)
३५८--व्रजविहारी मिश्र, श्री ... फलपुर (उत्तर)
३५९--व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री ... घाटमपुर--भोगनीपुर (पूर्व)
३६०--शंकरलाल, श्री ... कादीपुर (मध्य)
३६१--शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री ... बाह
३६२--शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री ... चकराता--पश्चिमी दून (उत्तर)
३६३--शिवकुमार पाण्डेय, श्री ... सिराथू--मंझनपुर
३६४--शिवकुमार मिश्र, श्री ... तिलहर (उत्तर)
३६५--शिवकुमार शर्मा, श्री ... बिजनौर (दक्षिण)--धामपूर (दक्षिण-पश्चिम)
३६६--शिवदान सिंह, श्री ... इगलास
३६७--शिवनाथ काटजू, श्री ... फूलपुर (मध्य)
३६८--शिवनारायण, श्री ... हरैया (पूर्व)--बस्ती (पश्चिम)
३६९--शिवपूजन राय, श्री ... मुहम्मदाबाद (उत्तर-पूर्व)
३७०--शिवप्रसाद, श्री ... हाटा (मध्य)
३७१--शिवमंगल सिंह, श्री ... बांसडीह (पश्चिम)
३७२--शिवमंगल सिंह कपूर, श्री ... डुमरियागंज (पश्चिम)
३७३--शिवराजबली सिंह, श्री ... खजुहा (पूर्व)--फतेहपुर (दक्षिण-पश्चिम)
३७४--शिवराज सिंह यादव, श्री ... बिसौली--गुन्नौर (पूर्व)
३७५--शिवराम पाण्डेय, श्री ... डोरापुर (उत्तर)
३७६--शिवराम राय, श्री ... सदर (आजमगढ़) (उत्तर)
३७७--शिववक्ष सिंह राठौर, श्री ... करहल (पूर्व)--भोगांव (दक्षिण)
३७८--शिववचन राव, श्री ... सलीमपुर (उत्तर)
३७९--शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री ... बहराइच (पूर्व)
३८०--शिवस्वरूप सिंह, श्री ... ठाकुरद्वारा
३८१--शुकदेवप्रसाद, श्री ... महाराजगंज (दक्षिण)
३८२--शुगनचन्द, श्री ... रुड़की (पश्चिम)--सहारनपुर (उत्तर)
३८३--श्याममनोहर मिश्र, श्री ... मलिहाबाद--बाराबंकी (उत्तर-पश्चिम)
३८४--श्यामलाल, श्री ... उतरौला (उत्तर)
३८५--श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री ... नरैनी
३८६--श्रीचन्द, श्री ... बुढ़ाना (पश्चिम)
३८७--श्रीनाथ भार्गव, श्री ... मथुरा (उत्तर)
३८८--श्रीनाथराम, श्री ... मुहम्मदाबाद (उत्तर)--घोसी (दक्षिण)
३८९--श्रीनिवास, श्री ... उतरौली (उत्तर)
३९०--श्रीपति सहाय, श्री ... राठ
३९१--सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती ... कासगंज (पूर्व)--अलीगंज (उत्तर)
३९२--सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री ... सलीमपुर (पूर्व)

| | | |
|---|---|---|
| ३९३—सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती | ... | गोंडा (पूर्व) |
| ३९४—सत्यनारायणदत्त, श्री | ... | औरय्या—भरथना (दक्षिण) |
| ३९५—सत्यसिंह राणा, श्री | ... | देवप्रयाग |
| ३९६—सत्यानन्द, श्री | ... | सगरी (पूर्व) |
| ३९७—सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती | ... | बरेली (पूर्व) |
| ३९८—सम्पूर्णानन्द, डाक्टर | ... | बनारस नगर (दक्षिण) |
| ३९९—सावित्रीदेवी, श्रीमती | ... | मुसाफिरखाना (मध्य) |
| ४००—सियाराम गंगवार, श्री | ... | फ़र्रुखाबाद (मध्य)—क़ायमगंज (पूर्व) |
| ४०१—सियाराम चौधरी, श्री | ... | कैसरगंज (मध्य) |
| ४०२—सीताराम, डाक्टर | ... | देवरिया (दक्षिण-पश्चिम)—हाटा (दक्षिण-पश्चिम) |
| ४०३—सीताराम शुक्ल, श्री | ... | हरैया (दक्षिण-पश्चिम) |
| ४०४—सुखी राम भारतीय, श्री | ... | सिराथू—मंझनपुर |
| ४०५—सुन्दरलाल, श्री | ... | आम्बोला (पूर्व)—फरीदपुर |
| ४०६—सुरजूराम, श्री | ... | सदर (आजमगढ़) (उत्तर) |
| ४०७—सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री | ... | हमीरपुर—मौदहा (उत्तर) |
| ४०८—सुरेशप्रकाश सिंह, श्री | ... | बिसवां—सिधोली (पूर्व) |
| ४०९—सुल्तान आलम खां, श्री | ... | क़ायमगंज (पश्चिम) |
| ४१०—सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री | ... | कानपुर नगर (उत्तर) |
| ४११—सूर्य्यबली पाण्डेय, श्री | ... | हाटा (मध्य) |
| ४१२—सेवाराम, श्री | ... | पुरवा (उत्तर)—हसनगंज |
| ४१३—हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री | ... | सफ़ीपुर—उन्नाव (उत्तर) |
| ४१४—हबीबुर्रहमान आजमी, श्री | ... | मुहम्मदाबाद (उत्तर)-घोसी (दक्षिण) |
| ४१५—हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री | ... | शाहजहांपुर (मध्य) |
| ४१६—हमीद खां, श्री | ... | कानपुर नगर (मध्य-पूर्व) |
| ४१७—हरखपाल सिंह, श्री | ... | बागपत (पूर्व) |
| ४१८—हरगोविन्द पन्त, श्री | ... | रानीखेत (दक्षिण) |
| ४१९—हरगोविन्द सिंह, श्री | | जौनपुर (पूर्व) |
| ४२०—हरदयाल सिंह पिपल, श्री | ... | हाथरस |
| ४२१—हरदेव सिंह, श्री | ... | देवबन्द |
| ४२२—हरसहाय गुप्त, श्री | ... | बिलारी |
| ४२३—हरिप्रसाद, श्री | ... | बिसलपुर (मध्य) |
| ४२४—हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री | ... | सीतापुर (उत्तर-पश्चिम) |
| ४२५—हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री | ... | लखनऊ (मध्य) |
| ४२६—हरिसिंह, श्री | ... | हापुड़ (उत्तर) |
| ४२७—हुकुमसिंह, श्री | ... | कैसरगंज (दक्षिण) |
| ४२८—हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री | ... | करछना (उत्तर)—चायल (दक्षिण) |
| ४२९—हेतीलालदास, श्री | ... | एटा (दक्षिण) |
| ४३०—[रिक्त] | .... | कोइल (मध्य) |
| ४३१—(रिक्त) | ... | सोरों (उत्तर)—फूलपुर (पश्चिम) |

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## के

# पदाधिकारी

---

### अध्यक्ष

श्री आत्माराम गोविन्द खेर, बी० ए०, एल-एल० बी० ।

### उपाध्यक्ष

हरगोविन्द पन्त, एम० एल० ए० ।

### सचिव

श्री कैलासचन्द्र भटनागर, एम० ए० ।

### सहायक सचिव

श्री कृष्णबहादुर सक्सेना, बी० ए० ।

### अधीक्षक

श्री राधेरमण सक्सेना, एम० ए०, एल-एल० बी०, डी० एल० एस-सी० ।

श्री रामप्रकाश, बी० काम०, एल-एल० बी० ।

R.A.
717 ~~9556~~

उत्तर प्रदेश सभा

सत्यमेव जयते

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

४१५५६

सोमवार, १४ जुलाई, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

## उपस्थित सदस्यों की सूची (३५५)

अज़ीज़ इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ ख़ां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ़ अली ख़ां, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐज़ाज़ रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करण सिंह यादव, श्री
कल्याण राय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
किन्दरलाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
ख़ुशीराम, श्री
ख़ूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलज़ार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री

चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखण्डे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मित्तल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार

बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन मिश्र, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम ख़ां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
महमूद अली ख़ां, श्री (रामपुर)
महमूद अली ख़ां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुज़फ़्फ़र हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली ख़ां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मञ्जूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुनाप्रसाद, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अनन्त पाण्डेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री

रामनप्रसाद, श्री
रामाज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्टाना, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विश्वम्भर नाथ पांडेय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा

ब्रजभूषण मिश्र, श्री
ब्रजरानी मिश्र, श्रीमती
ब्रजवासीलाल, श्री
ब्रजविहारी मिश्र, श्री
ब्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शिवकुमार पाण्डेय, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
श्यामममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सत्यानन्द, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री

सुल्तान आलम खाँ, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पाण्डेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री

---

# प्रश्नोत्तर

---

## तारांकित प्रश्न

*१-३--श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)--[२८ जुलाई, १९५२ के लिये स्थगित किये गये ।]

**नैनीताल जिले की पट्टी पूर्वी आगर तथा रामगढ़ के गांवों में फसल को हानि**

*४--श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या सरकार को मालूम है कि अप्रैल और मई सन् १९५२ की १६ तारीख तक नैनीताल जिले की पट्टी पूर्वी आगर व रामगढ़ के अनेक गाँवों में गेहूं, आलू और फल की फसल पूर्णतया नष्ट हो गई ?

कृषि उपमन्त्री (श्री जगन प्रसाद रावत)--तहसील नैनीताल में पट्टी पूर्वी आगर के २३ गाँवों में और रामगढ़ के २ गाँवों में ओले से गेहूं, आलू तथा फलों की फसल को हानि पहुंची है ।

*५--श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि उपर्युक्त पट्टियों की जनता की सहायता के लिये वह कोई उपाय सोच रही है ? यदि हाँ, तो क्या ?

श्री जगन प्रसाद रावत--जिन गाँवों में रबी की फसल को अधिक हानि हुई है वहाँ लगान व मालगुज़ारी की माफी के सिलसिले में नक्शे बनवाये जा रहे हैं । फौरेस्ट पंचायत की बकाया रकम ( dues ) और कृषि विभाग की वह रकम जो किसानों पर वाजिब है उसकी वसूली नवम्बर, १९५२ तक स्थगित करने की कार्यवाही की जा रही है । इसके अतिरिक्त किसानों को तकावी देने का भी प्रबन्ध किया जा रहा है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि रामगढ़-मुक्तेश्वर रोड के जो बचे हुये दो मील हैं, क्या उनको जनता अब भी बना पावेगी ?

श्री जगन प्रसाद रावत--यह सवाल इससे सम्बन्ध नहीं रखता ।

* ६-८--श्री राम सुभग वर्मा (जिला देवरिया)--[२७ जुलाई, १९५२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*९-११--श्री बेचनराम गुप्त (जिला बनारस)--[२१ जुलाई, १९५२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१२-१४--श्री राजनारायण (जिला बनारस) (अनुपस्थित)--[देखिये पृष्ठ ७ पर]

*१५-१७--श्री रामसुन्दर पांडेय (ज़िला आजमगढ़)--[२८ जुलाई, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

## रोडवेज़ कर्मशाला, आजमगढ़ में गिरे हुये खम्बों का निर्माण

*१८--श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--क्या सरकार को मालूम है कि असिस्टेंट रीजनल मैनेजर, रोडवेज, आजमगढ़ तथा रोडवेज के कार्यालय तथा रोडवेज के स्टैंड, आजमगढ़ के सम्बन्ध में निर्माण किये गये १७ खम्भे अभी हाल में आँधी आने के कारण गिर गये थे ?

परिवहन मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)--जी नहीं। बल्कि रोडवेज वर्कशाप आजमगढ़ के सम्बन्ध में निर्माण किये गये ७ खम्भे १५ मई, १९५२ को आँधी के कारण गिर गये थे।

*१९--श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त कार्य के लिये किसको और कितने रुपये का ठेका दिया गया था ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--उक्त कार्य के लिये जैन इन्जीनियरिंग कम्पनी को ८,६५० रुपये का ठेका दिया गया था।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या यह मुनासिब नहीं समझा गया कि १५ मई को ७ खम्भे गिरने के बाद ठेका बदल दिया जाता ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--जी नहीं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या जैन कम्पनी का टेण्डर सब से कम था ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--जी, सब से कम था।

*२०--श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या इस कार्य के लिये टेंडर (निविदा) माँगे गये थे ? यदि हाँ, तो कितने ठेकेदारों ने टेंडर दिये थे ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--जी हाँ। ६ ठेकेदारों ने टेंडर दिये थे।

*२१--२३--श्री राम प्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)--[२१ जुलाई, १९५२ के लिये संख्या २३-२५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

## जिला खीरी की महेवा रियासत का उत्तराधिकार

*२४--श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--क्या यह सच है कि जिला खीरी की महेवा रियासत कोर्ट आफ वार्ड्स के प्रबन्ध में है और उसके उत्तराधिकार का प्रश्न न्यायालय के विचाराधीन है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--जी हाँ, जिला खीरी की महेवा रियासत कोर्ट आफ वार्ड्स के प्रबन्ध में है। उसके उत्तराधिकार के निर्णय के लिये कोर्ट आफ वार्ड्स को यह आदेश दिया गया है कि वह इंटर प्लीडर मुकद्दमा अदालत दिवानी में दायर करदें। यह मुकदमा जल्दी ही दायर होने वाला है।

## उपभोक्ता सहकारी समितियों की पूंजी और संख्या

*२५--श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)--क्या सरकार कृपा कर यह बतलायेगी कि खाद्य के वितरण के लिये जो उपभोक्ता सहयोग भंडार ( Consumers cooperative societies ) खुले हैं उनकी पूंजी और संख्या क्या है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--३० जून, १९५१ को उत्तर प्रदेश में उपभोक्ता सहकारी समितियों की संख्या २३४ थी। उनकी कारोबारी पूंजी ८५.४५ लाख रुपये थी जिसमें निजी पूंजी ३४.३० लाख रुपये और कर्ज ली हुई पूंजी ५१.१५ लाख रुपये थी।

श्री देवकी नन्दन विभव--क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि इन उपभोक्ता भंडारों को जो लाभ हिसाब से १९४९-५० में हुआ था वह सन् ५१ में घट गया ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--पूछने से पता चल सकता है। मुझे मालूम नहीं है।

*२६--श्री देवकीनन्दन विभव--क्या सरकार ने यह सोचा है कि राशनिंग खत्म हो जाने पर इनका क्या भविष्य होगा और क्या सरकार उनके लिये कोई ऐसी योजना बनायेगी कि वे उसके बाद भी सफलतापूर्वक कार्य करते रहें ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--नियंत्रणकाल में उपभोक्ता सहकारी समितियों को कारोबार का अच्छा अनुभव हो गया है। उनमें से कुछ समितियाँ खाद्यान्न के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के क्रय-विक्रय का कार्य भी कर रही हैं। राशन -व्यवस्था समाप्त होने पर उपभोक्ता समितियाँ साधारण व्यवसायियों की भांति जनता की दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं के वितरण द्वारा उनकी सेवा कर सकती हैं। जिला सहकारी संघ और प्रादेशिक सहकारी संघ उनकी कारोबार की वस्तुयें थोक मंगाने की व्यवस्था द्वारा उनकी मदद करने और पथ-प्रदर्शन के लिये प्रस्तुत रहेंगे।

श्री देवकीनन्दन विभव--क्या माननीय मंत्री ने सोचा है कि जो परिस्थिति कंट्रोल हट जाने से पैदा हुई है, उसमें ये लोग क्या करेंगे ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--सोचा है। आसान नहीं मालूम होता है कि इनको बहुत अच्छा काम दिया जा सकेगा।

## बनारस जिले का गंगातीरी फार्म

*१२--श्री राजनारायण (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बतलायेगी कि गंगातीरी फार्म (आराजी, लाइन्स बनारस जिला) में प्रति दिन कितना दूध होता है और कुल कितनी गायें हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत--गंगातीरी फार्म (आराजी लाइन्स बनारस जिला) में प्रतिदिन ५ ३/४ मन दूध होता है। गायों की कुल संख्या १०४ है।

*१३--श्री राजनारायण (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बतलायेगी कि गंगातीरी फार्म में कुल दूध देने वाले कितने जानवर हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत--८५।

*१४--श्री राजनारायण (अनुपस्थित)--क्या सरकार को पता है कि गंगातीरी फार्म के किसानों का मुआविजा अभी तक पूरा नहीं मिल पाया है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--८६ खातों में से ७९ खातों का मुआविजा बाँटा जा चुका है। बाकी ७ खातों के किसानों को सूचना भेजी गई थी परन्तु वे लोग अपना मुआविजा लेने नहीं आये। वे लोग जब चाहें जिलाधीश बनारस से अपना मुआविजा ले सकते हैं।

## अतारांकित प्रश्न

### गन्ना विकास विभाग द्वारा महावीर शुगर मिल्स सिसवा बाजार के गन्ना क्षेत्र पर अधिकार तथा मिल कर्मचारियों का अलग किया जाना

१--श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)--क्या कृषि मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गत अप्रैल महीने से श्री महावीर शुगर मिल्स, सिसवा बाजार का गन्ना क्षेत्र, गन्ना

---

नोट--ताराँकित प्रश्न १२-१४--श्री नारायण दत्त तिवारी ने पूछे।

विकास विभाग द्वारा अपने हाथों में ले लिया गया है? यदि हाँ, तो क्या यह सच है कि इस केन जोन के कारण मिल मालिकों ने २०० से अधिक कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है ?

कृषि मंत्री (श्री चरण सिंह)--जी हाँ।

## १० जुलाई, १९५२ के श्री गेंदा सिंह के तारांकित प्रश्न २४ के उत्तर से संलग्न तालिका में अशुद्धि

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमान् की आज्ञा से यह अर्ज करना चाहता हूं कि १० तारीख को श्री गेंदासिंह ने जो प्रश्न नं० २४ किया था २ आने कटौती के सम्बन्ध में, उस सिलसिले में जो जवाब दिया गया था उसके साथ एक तालिका भी थी, उसमें जो फिगर्स हैं वे इनएक्यूरेट (अशुद्ध) थे। लिहाजा उसे दुरुस्त करने के लिये मैं इनफार्मेशन कलेक्ट (सूचना एकत्र) कर रहा हूं। उनके आ जाने पर मैं सदन के सामने सही तालिका रखूंगा जिससे कि सही फिगर्स (आँकड़े) मालूम हो जावेंगे। यह मुझे अर्ज करना है।

अध्यक्ष--अच्छी बात है यह नोट कर लिया गया है।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--मैं माननीय उद्योग मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या ऐसा गलत फिगर वाला स्टेटमेंट उन्होंने पहले पहल हाउस में रखा है या इससे पहले भी कभी पेश किया है।

अध्यक्ष--मैं इस प्रश्न की इजाजत नहीं देता। माननीय मंत्री जी ने गलती कबूल करने की उदारता दिखाई है और उसके बाद यह प्रश्न पूछना कुछ उचित सा नहीं दिखाई देता है।

## उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) विधेयक, १९५२ ई०, पर राज्यपाल की अनुमति की घोषणा

अध्यक्ष--मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) विधेयक, १९५२ ई० पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २९ मई, सन् १९५२ ई० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २ जून, सन् १९५२ ई० की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल की अनुमति १५ जून, सन् १९५२ ई० को प्राप्त हो गई और वह सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश का १५वाँ अधिनियम बन गया।

## विभिन्न अनुदानों के लिये समय-विभाजन

अध्यक्ष--अब आय-व्ययक के अनुदानों पर प्रस्ताव होंगे। आज माननीय उद्योग मंत्री के अनुदानों पर विवाद होगा। इसके लिये मैं माननीय सदस्यों से विशेषकर नेता विरोधी दल से प्रार्थना करूंगा कि वह कितना-कितना समय इन अनुदानों के लिये, पहले ४ अनुदानों के लिये आज देना चाहते हैं। हमारे पास कोई पौने पाँच घंटे का समय है। इसका बंटवारा चार विभागों में करना है। क्या कोई इस सम्बन्ध में सुझाव है कि कितना कितना समय देना है ? क्या मंगला प्रसाद जी का भी सुझाव नहीं है ?

महाराजकुमार बालेन्दु शाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव यह है कि अनुदान संख्या २८ और ४५ को इकट्ठा किया जाय, क्योंकि ये दोनों उद्योग से सम्बन्धित हैं और इसके लिये ४ घंटा समय दिया जाय तथा बाकी अनुदानों ३८ और ३९ के लिये बाकी समय बाँट दिया जाय।

अध्यक्ष--यानी आप ३८ के लिये १५ मिनट और ३९ के लिये आधा घंटा रखना चाहते हैं।

महाराजकुमार बालेन्दु शाह--अनुदान संख्या २८ और ४५ के लिये साढ़े तीन घंटा कर दिया जाय और बाकी दोनों अनुदानों के लिये ४५, ४५ मिनट समय रख दिया जाय।

अध्यक्ष--कुल पौने पाँच घंटा समय है । इस तरह से तो ज्यादा हो जाता है।

महाराजकुमार बालेन्दु शाह--तो फिर अनुदान संख्या २८ और ४५ के लिये सवा तीन घंटा कर दिया जाय और अनुदान संख्या ३८ और ३९ में बाकी समय ४५, ४५ मिनट बाँट दिया जाय ।

अध्यक्ष--और कोई सुझाव है ?

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव यह है कि अनुदान संख्या २८ के लिये ढाई घंटा, अनुदान संख्या ४५ के लिये सवा घंटा और अनुदान संख्या ३८ तथा ३९ के लिये आधा आधा घंटा समय रखा जाय ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना (जिला इलाहाबाद)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २८ के लिये दो घंटा, अनुदान संख्या ४५ के लिये एक घंटा और अनुदान संख्या ३८ के लिये सवा घंटा तथा अनुदान संख्या ३९ के लिये आधा घंटा समय रखा जाय ।

अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि माननीय बालेन्दु शाह ने जो सुझाव दिया है और श्री केशव गुप्त जी ने जो सुझाव दिया है, वे दोनों करीब करीब एक से ही हैं। सिर्फ इतना ही अन्तर है कि माननीय बालेन्दु शाह पहले और दूसरे अनुदान यानी अनुदान संख्या २८ और ४५ को एक में मिलाना चाहते हैं । जब और सदस्य मिलाना नहीं चाहते हैं तो ऐसी अवस्था में, जैसा कि इसमें दिया हुआ है, उसी के अनुसार विभाजन रहेगा । श्री केशव जी गुप्त का जो प्रस्ताव है, मैं वही सब से उचित समझता हूं, यानी ढाई घंटा पहले अनुदान के लिये, सवा घंटा दूसरे अनुदान के लिये और अनुदान संख्या ३८ के लिये आधा घंटा तथा अनुदान संख्या ३९ के लिये आधा घंटा। जो लोग अनुदान संख्या ३८ के लिये अधिक समय चाहते हों वे बोलें (कोई सदस्य नहीं बोला)। लेकिन मैं देखता हूं कि इसमें कटौती के जो प्रस्ताव आये हैं वे दो ही तीन हैं और बाकी पर अधिक आये हैं । इससे मालूम होता है कि माननीय सदस्य उसमें कम दिलचस्पी रखते हैं । अगर कोई माननीय सदस्य इसके महत्व को समझते हों और वे इसका महत्व बतला दें तो मैं पहले अनुदान संख्या में जो ढाई घंटा समय दिया हुआ है उसमें से पाव घंटा कम कर दूंगा और उसमें पौन घंटा कर दूंगा । अलावा बहुगुना जी के और कोई माननीय सदस्य इसमें दिलचस्पी रखते हैं ? और कोई नहीं मालूम होता है । तो पहले अनुदान के लिये ढाई घंटा, दूसरे के लिये सवा घंटा, तीसरे के लिये आधा घंटा और चौथे के लिये आधा घंटा समय रहा ।

## वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान

### अनुदान संख्या २८--लेखा शीर्षक ४३--उद्योग और ४४--उड्डयन

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष सन् १९५२-५३ के लिये आय-व्ययक में अनुदान संख्या २८ उद्योग-(लेखा शीर्षक--४३ उद्योग और ४४ उड्डयन) के अन्तर्गत ९४, ०५,००० की धनराशि स्वीकृत की जाय।

इस संबन्ध में मुझे चन्द बातें इस सदन के सामने अर्ज करनी हैं । अभी तक मैं ऐसे विभागों के चार्ज में था कि जिनमें कमाने के सिवाय खर्च का कम मौका मिलता था और हमेशा इस सदन ने बड़ी कृपा के साथ हमारी जो दरख्वास्तें हुआ करती थीं, उनको बहुत ही सहृदयता के साथ स्वीकार किया । आज मुझे यह पहिले पहल मौका मिला है जब कि मैं सदन के सामने उन विभागों को लेकर हाजिर हुआ हूं, जिनमें खर्च होता है और वे अर्निंग डिपार्टमेंट्स (उपार्जक विभाग) नहीं कहे जा सकते । इखराजात में बड़ी सावधानी की जरूरत हुआ करती है और अक्सर अच्छी भावनाओं को रखते हुए भी बाज वक्त ऐसी बातें पैदा हो जाती हैं कि किन्ही मदों में कुछ अपव्यय नजर आता है । मैं यह छिपाना नहीं चाहता कि जहाँ तक इन विभागों का ताल्लुक है, मैं भी वैसे ही नाबिस (नया व्यक्ति) हूं

[ श्री हुकुम सिंह ]

जैसे कि मेरे और भी बहुत से भाई होंगे, इस तरफ के भी और उस तरफ के भी। मुझको पूरा विश्वास है कि जब हम अच्छी भावना लेकर आये हैं तो हमको सबका सहयोग प्राप्त होगा, खाह वे किसी दल के हों, क्योंकि हम सबका उद्देश्य एक ही है कि हमारे देश में इंडस्ट्री (उद्योग) का डेवलपमेंट (विकास) होना निहायत जरूरी है।

हमारे देश की जो गरीबी है उसको दूर करने के लिये अगर हम तनहा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री डेवलप (कृषि उद्योग विकसित) करें तो उससे हमारी निजात नहीं हो सकती जब तक कि हम उद्योग-धंधों को प्रोत्साहन न दें। लिहाजा इंडस्ट्री भी एक जरूरी अंग है जिसको हम पूरी तरह निगलेक्ट (उपेक्षित) नहीं कर सकते। हम सब का भरसक यह प्रयत्न होना चाहिये कि हम भरसक अपने उद्योग-धंधों को बढ़ायें और लोगों को काम दें और नई नई चीज जो हमारी जरूरियात की हैं, उनको हम पैदा करें। इसी उद्देश्य को सामने रख कर के यह बजट तैयार किया गया है। मैं यह भी साफ कह देना चाहता हूं कि मैं छोटे छोटे धंधों को ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहता हूं, क्योंकि उन्हीं के जरिये से मैं देखता हूं कि हमारा कल्याण हो सकता है। बड़ी बड़ी दिक्कतें हैं, इन छोटे छोटे उद्योग-धंधों को चलाने में।

हमारे सामने बड़ी बड़ी प्राबलम्स और बड़ी बड़ी समस्यायें हैं जिनको हल करना हमारा और आपका सबका फर्ज है। जब तक हम उनको हल नहीं कर लेते तब तक हम चाहे जितनी अच्छी भावनाओं को लेकर चलें, उनसे कोई फायदा नहीं हो सकता। हमारे देश में टेक्नीकल हैंड्स (शिल्पियों) की कमी है। जब हम कोई काम करने के लिये तैयार हो जाते हैं और जब हमें टेक्नीकल हैंड्स की जरूरत पड़ती है तो उनकी कमी होने की वजह से रुकावट पैदा हो जाती है। इसी उद्देश्य को लेकर और परिस्थितियों को देखते हुए हमें आगे बढ़ना है। पुराने ढंग से काम करके हम दुनियाँ में कम्पीट (प्रतियोगिता) नहीं कर पाते हैं। जब तक कि नये नये तरीके जो ईजाद हुये हैं उनसे काम न लें तो ऐसी आशा करना कि उन लोगों से हम कम्पीट कर जायेंगे जो कि नये ढंग से काम करते हैं, हम समझते हैं कि यह आशा गलत सी बात होगी। इस कमी की पूर्ति के लिये सरकार की तरफ से ट्यूशनल क्लासेज (शिक्षण कक्षाएं) खोले गये हैं और उसमें मुख्तलिफ ढंग की शिक्षा दी जाती है। नये औजारों को, नई मशीनों को हैण्डिल करने (काम में लेने) की शिक्षा दी जाती है, मुख्तलिफ मेथड्स (रीतियों) से भी काम करने की शिक्षा दी जाती है। अपने देश में इस एजूकेशन (शिक्षा) को बढ़ाने के लिये सरकार ने बजाय १४.७३ लाख के १९.५७ लाख का प्राविजन (उपबंध) रखा है। यह रकम हम इन्हीं सब बातों पर सर्फ करना चाहते हैं ताकि जो हमारे रास्ते में रुकावट है वह दूर हो और खामियाँ पूरी हो जायं।

इसके साथ साथ मैं एक बात आपको और बतलाना चाहता हूं कि अभी तक तो हम खाली ट्रेनिंग (प्रशिक्षण) देते रहे ज्यादा तवज्जह ट्रेनिंग पर थी लेकिन हम अब यह करना चाहते हैं और मैं समझता हूं कि हमको इस सदन से पूरी मदद और सहयोग मिलेगा और वह यह है कि जो ट्रेनिंग सेन्टर्स (प्रशिक्षण केन्द्र) हमारे हों उनमें प्रोडक्शन (उत्पादन) भी होता रहे। इस तरफ भी ध्यान दिया जाय। महज ट्रेनिंग से काम चलता नहीं है। ट्रेनिंग के साथ साथ अगर प्रोडक्शन (उत्पादन) भी चलता रहे तो बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। हम इस बात का भी उद्योग करना चाहते हैं कि हम ऐसी चीजों का प्रोडक्शन करें जिनकी जरूरत हमारे यहाँ है और आगे होती रहेगी। प्रोडक्शन के साथ साथ मार्केट (बाजार) को भी देखना चाहते हैं। हम तो यह सोच रहे हैं कि जितनी भी चीजे हम बनायेंगे उनके लिये मार्केट भी पैदा करें और हम समझते हैं कि इस तरह से दोनों पहलुओं को साथ साथ हम आगे बढ़ायेंगे। अभी तक हमारे बहुत से सेकण्ड क्लास इंस्टीट्यूट्स हैं। उनको हम ट्रेनिंग-कम-प्रोडक्शन सेन्टर्स (प्रशिक्षण तथा उत्पादन केन्द्र) में कनवर्ट (परिवर्तित) करना चाहते हैं। वहाँ हम ऐसी चीजों को प्रोड्यूस (उत्पन्न) करना

चाहते हैं, जैसे कि कानपुर का लैदर स्कूल है। वहाँ हम जूते भी बनाना चाहते हैं, चप्पल भी बनायेंगे, पुलिस फोर्स के लिये और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी उनके लिये हम ऐसी चीजें बनाना चाहते हैं। इस तरह का ढंग हम अख्तियार करना चाहते हैं। खाली ट्रेनिंग से हमारा काम नहीं हो सकता जब तक कि कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (व्यावहारिक प्रशिक्षण) उसके साथ साथ न हो।

इसके साथ साथ इस बात की भी बहुत जोरदार डिमाण्ड (माँग) है कि प्रिंटिंग (मुद्रण) की भी कुछ ट्रेनिंग होनी चाहिये। हमारे यहाँ बड़े बड़े प्रेसेज (मुद्रणालय) हैं लेकिन अभी वही पुराने ढंग से वे काम करते हैं। तो हम यह चाहते हैं कि प्रिंटिंग टेक्नालोजी (मुद्रण प्रविधि) में भी हम कुछ ट्रेनिंग दें। इलाहाबाद में हमारे यहाँ आकूपेशनल सेन्टर्स (व्यावसायिक केन्द्र) हैं, उनमें हम कम्पोजिंग, प्रूफ रीडिंग, प्रिंटिंग और बुकबाइंडिंग की शिक्षा देना चाहते हैं और इसके लिये भी हमने इस बजट में रक़में प्रोवाइड (उपबंधित) की हैं। तो इस तरह से हम स्किल्ड आपरेटर्स (निपुण कार्यकर्त्ता) भी पैदा करेंगे जो नये ढंग को सीख करके हमारे प्रेस की इंडस्ट्री (मुद्रणालय उद्योग) में काफी सहायक होंगे। उससे खुद भी वे मुस्तफीद होंगे और सूबे को भी मुस्तफीद करेंगे।

इसके साथ साथ माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि बनारस में हमारे यहां मेटल वर्किंग स्कूल को भी रेवाइव (पुनर्जीवित) करने की जरूरत है, नये ढंग से रिआर्गेनाइज (पुनस्संघटित) करने की जरूरत है। वह हमारे सूबे का बहुत मशहूर उद्योग है। बहुत अच्छी अच्छी चीजें वहां बना करती थीं, लेकिन उसकी दशा कुछ गिरने लगी है। उस उद्योग को जो काफ़ी शोहरत पा चुका हो, उसको आगे बढ़ाना और गिरने से बचाना चाहिए। उसको भी हम रिआर्गेनाइज करेंगे। उसके लिये भी हमने काफ़ी रुपया रखा है।

हमारे यहां पाटले का काम होता है, जैसे खुरजा में है और वहां की बनी हुई चीजें यू० पी० हैंडीक्रैफ्ट्स में भी देखने को आएंगी। उसमें तरह तरह की चीजें बनती हैं। मैं तो एक दिन अपने माननीय सदस्यों को निमंत्रित करूंगा कि चल कर वहां देखें कि कौन कौन सी चीज़ हमारे यहां बन रही हैं, तब पूरा अंदाजा होगा कि हमारे यहां की यह इन्डस्ट्री कितनी डेवलप (विकसित) हुई है और कितनी उसमें डेवलपमेंट (विकास) की गुंजायश है।

इसके साथ साथ हमारे यहां हैंडलूम इंडस्ट्री (करघा उद्योग) है। उसके सेंटर्स (केन्द्र) हैं। लेकिन हम चार-पांच और नये सेंटर्स क़ायम करना चाहते हैं ताकि अच्छा फिनिश देने और आर्टिस्टिक डिजायन बनाने (कलात्मक रूपांकन) की शिक्षा दी जाय ताकि वे लोग अपनी इस इन्डस्ट्री को सुधार सकें। यह तो एक ऐसी इंडस्ट्री है जिससे हमारे सूबे को बहुत बड़ा फायदा पहुंच सकता है। उनके रास्ते में दिक्क़तें हैं, तागा न मिलना, ठीक वक्त से न मिलना इन सब दिक्क़तों की वजह से इस इंडस्ट्री के रास्ते में भी परेशानियां हैं। लेकिन मुझे खुशी होती है इस बात के बतलाने में कि आपकी सरकार इस बात का उद्योग कर रही है कि स्माल मेकैनिक स्पिनिंग प्लांट्स (कातने की छोटी मशीनें) हम लगायें जो थोड़े दाम में लग सकते हैं। मैं उनको गांवों में भी लगा सकता हूं और लगा कर तागा बना सकता हूं। उससे यह फायदा होगा कि जो हैंडलूम के वीवर्स (बुनकर) हैं उनको तागे की जो दिक्क़तें होती हैं उनमें भी सहूलियत होगी और नज़दीक़ पा जायंगे, जहां जहां हैंडलूम्स लगे हैं उनके कुर्बजवार में अगर ऐसे प्लांट्स लगा दें। इसके मुताल्लिक़ हम काफ़ी उद्योग कर रहे हैं और मुझे आशा है कि मुझे इसमें एक हद तक सफलता होगी। तो इससे हमारी दिक्क़तें जो होंगी वह हल हो जायंगी।

**श्री खूबसिंह (जिला बिजनौर)**--यह जो तागे के प्लांट्स (स्थिरयंत्र) लग रहे हैं, यह गवर्नमेंट की तरफ से होंगे या प्राइवेट आदमियों को दिये जायंगे।

श्री हुकुम सिंह--पहले शुरू करने दीजिये। अभी तो हम ही करेंगे, क्योंकि शुरू में ही उनको दे दें तो अगर उनके पास पूरी सहूलियतें न हों और उसमें नाकामयाबी हो जाय तो हमारा जो बना बनाया ढांचा है, उसमें गड़बड़ी हो जायगी। लिहाजा इस वक्त मैं अपने भाई के इत्मीनान के लिये अर्ज कर देना चाहता हूं कि पहले हम ही शुरू करना चाहते हैं, ताकि जब लोग देख लें तो हम उनको मदद दें और उनके जरिये से यह सब काम होने लगे। इससे आसानी भी हो सकती है।

एक हमारे यहां ग्लास बीड्स (कांच के मनकों) की इंडस्ट्री है। उसकी थोड़े दामों में ही मशीनरी खड़ी हो जाती है। लोगों को ट्रेनिंग दी गयी और ट्रेण्ड होने के बाद बहुत से ट्रेनीज (प्रशिक्षणार्थियों) ने अपनी अपनी स्वतन्त्र ग्लास बीड्स की इंडस्ट्रीज खोल लीं और ग्लास बीड्स बनाकर के अपनी जीविका पैदा करते हैं और उनकी काफ़ी बिक्री होती है। तो इस तरह से बहुत से यंगमेन (नवयुवकों) के लिये काम मिल जाता है। उसके लिये और भी प्रोत्साहन मैं देना चाहता हूं और उसके लिये हमने रक़में रखी हैं।

यह बात हमारे माननीय सदस्यों को बखूबी मालूम है कि काटेज इंडस्ट्रीज और हैंडलूम्स में जो सामान बनते हैं उनके लिये मार्केटिंग (बिक्री) का इन्तजाम भी सरकार की तरफ से है और जो गवर्नमेंट का आर्गेनाइजेशन (संघटन) है, उसको यू० पी० हैंडिक्राफ्ट्स के नाम से पुकारा जाता है और अब इस बात का उद्योग हो रहा है कि जैसे जैसे हम डिजाइन (रूपांकन) में इम्प्रूवमेंट (सुधार) करते रहें तो उसके लिये हम मार्केट भी ढूंढ़ते रहें और एक्सपर्ट (विशेषज्ञ) भी उसके रहें। फारेन मार्केट (विदेशी बाजार) हासिल करने के लिये भी उद्योग किया जा रहा है। तो ऐसी सूरत में मैं यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि चूंकि यह चीज साफ है कि चीजें पैदा हों और अगर उनकी बिक्री न हो सके तो फिर पैदा करने से कोई फायदा नहीं और बिला वजह फिर बना बना कर चीजों का स्टाक क्यों बढ़ाया जाय। ऐसी सूरत में मार्केट होना जरूरी है और उसके लिये भी उद्योग हो रहा है। हमने इस बजट में इस बात का भी प्रावीजन रखा है कि जो एजूकेटेड यंगमेन (शिक्षित नवयुवक) हों और उनका किसी धंधे को करने का इरादा हो तो हम उनको लोन्स (ऋण) और ऐडवांस (अग्रऋण) दें ताकि उस रक़म से वह उन धंधों को शुरू करें और अपनी जीविका निर्वाह कर सकें। लिहाजा इस बात को भी उसमें रखा है।

खादी के मुताल्लिक यह है कि पहले ज्यादा रक़म थी, अब मैंने कम रखी है। लेकिन यह सरकार की तजवीज है कि जितने विभाग हैं, जहां जहां उनको कपड़े की जरूरत है वह खादी का प्रयोग शुरू करें और इस इन्तजाम में क़रीब क़रीब ६-७ लाख का ज्यादा सर्फा होगा। गवर्नमेंट इसको भी बरदाश्त करने को तैयार है और क़रीब डेढ़ लाख रुपया मैंने इसमें रखा है वह इसलिये रखा है कि जो खादी के वर्कर्स हैं और संस्थाएं हैं, जो खादी को प्रोडयूस (पैदा) करने का काम करती हैं, उनको हम सहायता दें। मैं जानता हूं कि खादी एक ऐसी चीज है जिससे सब को प्रेम है, ख्वाह इस तरफ के हों या उस तरफ के हों और आप कभी पसन्द नहीं करेंगे कि खादी के काम में रुपया की कमी पड़े और कम रुपया रखा जाय। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं और मैं जानता भी हूं कि हमारे बहुत से मेम्बर इस सम्बन्ध में एक राय रखते हैं। कब्ल इसके कि वह कुछ कहें, मैं पहले ही अर्ज कर देना चाहता हूं कि खादी का काम रुपये की कमी से सफर नहीं करने (हानि नहीं उठाने) पायेगा, मैं इतना कह सकता हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--इसके क्या माने हैं?

श्री हुकुम सिंह--माने आप लगाइये, क्या मैं ही सब बता दूं।

इसके साथ साथ गुड़ के डेवलपमेंट (विकास) की भी एक स्कीम थी। उसमें भी मैंने कमी की है। बिला वजह कमी नहीं की, मेरा ख्याल यह है कि जितना गवर्नमेंट को इसमें डेवलपमेंट का काम करना चाहिये था, गवर्नमेंट ने काफी हद तक उसे किया और लोगों ने उसे अपनाया जो उसे अपनाना चाहते थे। जो नहीं अपनाना चाहते थे उन्होंने नहीं किया।

हमारे कहने का मतलब यह है और मैं साफ इस सदन के सामने अर्ज कर देना चाहता हूं कि चारों तरफ हाथ फैलाने से कि यह भी करेंगे, वह भी करेंगे, काम हल नहीं होता है और बहुत सी स्कीमें रुपये की कमी की वजह से फेल (विफल) हो जाती हैं। लिहाजा मैंने तो यह तय किया है कि हम चाहे चन्द काम करें, लेकिन जिनको करें उनको हम काफी तौर से रुपया पैसा से फीड (पोषित) करें ताकि वे कामयाब हो सकें। अगर हम दस काम करते हैं और दस को फीड नहीं कर पाते हैं तो कहीं कामयाबी नहीं होती है। १५ साल से यह स्कीम है। जो कुछ करना था काफी हद तक हो चुका, लेकिन फिर भी हमने इसे कतई तौर से बन्द करना पसन्द नहीं किया। मैंने एक लाख रुपया अब भी रखा है इम्प्रूव्ड (सुधरे हुये) कोल्हू वगैरा के लिये इमसाल भी हमने एक लाख रुपया रखा है जिन लोगों को जरूरत होगी, मैं उनकी सहायता करूंगा। इसके साथ मैं यह भी अर्ज कर देना चाहता हूं कि अगर जरूरत हुई और इस बात का अहसास हुआ कि इसको अभी और प्रोत्साहन देना है तो बजट में प्राविजन न होने की वजह से इसमें रुकावट नहीं पड़ने दी जायगी। यह पहले ही से हम देख चुके हैं कि बहुत से लोग इसे अपनाकर इसी ढंग से काम करते हैं, लेकिन जिन लोगों ने इसे नहीं अपनाया है उनके लिये मेरा यह ख्याल है कि वह अपनायेंगे नहीं, उनकी ऐसी मेंटालिटी (मनोवृत्ति) नहीं, इस वजह से अब इसमें ज्यादा रुपया सर्फ करना ठीक नहीं है। मैं यह भी छिपाना नहीं चाहता कि जो इसमें संचालक हैं, फील्ड वर्कर हैं, उनमें वह इंथ्यूजियाज्म (उत्साह) नहीं है जो होना चाहिये, लिहाजा उन पर मैं ज्यादा रुपया बरबाद करना नहीं चाहता। टैक्सपेयर (करदाता) का जो रुपया सर्फ हो वह जनता के काम में आवे। वह रुपया ऐसे लोगों की जेबों में नहीं जाना चाहिये जो कि सच्चाई के साथ और जील (उत्साह) के साथ काम नहीं करते, जनता की सेवा नहीं करते। अगर जरूरत पड़ेगी तो उनकी अल्हेदगी भी हो जायगी। हमारा तो यह उद्देश्य है कि एक एक पाई जो हम सर्फ करें, वह जनता के फायदे में सर्फ हो और इधर-उधर बेकार बरबाद न हो। इसी दृष्टिकोण से मैंने इसमें कमी की है और एक लाख रुपया रख छोड़ा है, वक्त जरूरत हम इसे सर्फ करेंगे और अगर जरूरत हुई तो और भी हम रुपया देने के लिये तैयार हैं।

इस ग्रांट में यह जो प्रेसीजन इंस्ट्रूमेंट फैक्टरी (सूक्ष्म यंत्रों का कारखाना) लखनऊ की है, उसके लिये भी पाँच लाख के ऊपर रुपया रखा गया है।

एक सदस्य--उसे बन्द कर दीजिये।

श्री हुकुम सिंह--अब मुझे मौका मिला है, जरा उद्योग करने दीजिये। पुरानी बातों से घबड़ा कर क्यों छोड़ दूं। जरा मुझे भी मौका दीजिये, मैं भी उद्योग कर लूं। अगर हम नाकामयाब रहेंगे तो जरूर आप के सामने आ करके अर्ज कर देंगे कि हम नाकामयाब रहे, इसे बन्द कर दें। लेकिन मौका न मिले और मेरे दिल के अरमान दिल ही में रह जायं, इस वजह से मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मुझे भी अपने दिल के अरमान निकाल लेने दीजिये और यह रकम मंजूर कर दीजिये। जरा देखूं तो कैसे गड़बड़ी होती है। मैं यह छिपाना नहीं चाहता कि जो प्रोग्रेस (उन्नति) हुई है मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं, लेकिन मैं उसे छोड़ कर भागना नहीं चाहता। मैं उसमें सुधार करना चाहता हूं और जिस उद्देश्य के लिये यह बनायी गयी है उस उद्देश्य को पूरा करना चाहता हूं। लिहाजा मैं समझता हूं कि हमारे भाई श्री बाजपेयी जी मेरी मदद करेंगे और यह ग्रांट मंजूर करके मुझे यह मौका जरूर दिलायेंगे। इन शब्दों के साथ मुझे आशा है कि सदन इस ग्रांट को मंजूर करेगा।

एक बात और मैं कह दूं और एक सेकंड में खत्म करता हूं। मैंने बड़ा वक्त ले लिया है, इसके लिये मैं माफी चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि हमारे माननीय सदस्य, चाहे इस तरफ के हों या उस तरफ के हों, अपने सुझाव देकर के मेरे रास्ते में रोशनी डालेंगे

[श्री हुकुम सिंह]

ताकि उन पर विचार करने का मुझे अवसर मिले और उनसे मुझे फायदा हो। मैं यह भी यकीन दिलाता हूं कि उनकी जो बात मानने के काबिल होगी चाहे सफेद टोपी की तरफ से आये चाहे लाल टोपी की तरफ से आये, मैं जरूर उस पर अमल करने की कोशिश करूंगा और अगर गड़बड़ होगी तो मैं दस्तबस्ता माफी चाहूंगा कि मैं उस पर अमल नहीं कर सकता।

श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं कि संपूर्ण अनुदान के अधीन १०० रुपये की कमी कर दी जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विरोधी दल के नेता श्री राजनारायण जी ने माननीय मंत्रीगणों से बार बार इस बात की प्रार्थना की कि हम लोगों के वास्ते पहले से रिपोर्ट दे दी जाया करे। लेकिन बार बार प्रार्थना करने के बाद भी हमारे पास पिछले सालों की रिपार्टें नहीं भेजी जातीं, जिसके कारण हम मंत्रीगणों को रचनात्मक सुझाव नहीं दे पाते हैं। कल हमको कुटीर विभाग की एक बहुत लम्बी रिपोर्ट शाम को मिली, जिसका कि रात भर में हम अध्ययन नहीं कर सकते थे। उद्योग विकास के ऊपर कोई भी रिपोर्ट हमको नहीं मिली। ये हमारे रास्ते में रुकावटें पैदा की जा रही हैं और उसका कारण भी है। मैं समझता हूं कि हमारे कैबिनेट (मंत्रिमंडल)) के माननीय मंत्री महोदय तो विरोधी दल के अस्तित्व को ही नहीं मानते हैं। स्पीकर महोदय, आपके निर्णय के मुताबिक विरोधी दल को उन्होंने माना, नहीं तो विरोधी दल के अस्तित्व को ही वह मानने के लिये तैयार नहीं हैं। इसलिये ये अड़चनें हमारे रास्ते में डाली जाती हैं और हम रचनात्मक सुझाव कैबिनेट को नहीं दे पाते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हम उद्योग पर खर्च किये जाने वाले बजट की ओर देखते हैं तो हमें यह मालूम पड़ता है कि यह बजट उद्योग के विकास का बजट नहीं है, बल्कि उद्योग के ह्रास का बजट मालूम पड़ता है। सरकार ने खादी की योजना में भी ६ लाख ९३ हजार की कमी की है। इसके अलावा गुड़ योजना, पटसन योजना और हाथ का कागज बनाने की योजना में भी सरकार ने कमी की है। इसी प्रकार करघा उद्योग में भी सरकार ने ५१ हजार रुपये की कमी की है। यू० पी० हैंडीक्राफ्ट्स के अन्तर्गत भी ३६ हजार रुपये की कमी की जा रही है। इसी तरह से जो गाँवों में चलने वाले छोटे छोटे उद्योग-धंधे हैं जैसे तेल और खादी और जिनके विकास की बात अभी उद्योग मंत्री ने कही उन सबमें रकम कम की जा रही है। जब हम पिछले साल १९५१-५२ के बजट के तखमीनों को देखते हैं तो पता चलता है कि ९६,८७,५०० रुपये उद्योग विभाग पर खर्चा किया गया और १९५२-५३ में ९४,०५,००० रुपया खर्च किया जा रहा है। इस तरह से इस साल के बजट में उद्योग धंधों पर रुपया कम खर्च किया जा रहा है। जब हम खर्चे और आमदनी के हिसाब को मिलाते हैं तो पता चलता है कि १९५०-५१ में १.६ प्रतिशत पूरे बजट का उद्योग विभाग पर खर्च किया गया और १९५२-५३ में १.५ प्रतिशत पूरे बजट का उद्योग पर खर्च किया जा रहा है यानी इस साल कम रुपया खर्च किया जा रहा है। इस तरह से पता चलता है कि हमारी सरकार की जो नीति कुटीर उद्योग के संबंध में है वह सिर्फ कहने भर के लिये है, अमल में लाने की नीति नहीं है।

गुड़ उद्योग का जहाँ तक ताल्लुक है, इसमें १२ लाख आदमी काम करते हैं। यह उद्योग हमारे प्रदेश में बहुत दिनों से प्रचलित है। इसमें हमारे प्रदेश में प्रति वर्ष ६ करोड़ मन गुड़ बनता है। इसमें से ५ करोड़ मन गुड़ तो हमारे प्रांत में ही खप जाता है। एक करोड़ मन गुड़ बाहर भेजा जाता है, जिसकी कीमत ७ करोड़ रुपये होती है। इस उद्योग का जो जनता का लोकप्रिय उद्योग है, करोड़ों किसानों से संबंध है। ऐसे जनप्रिय उद्योग में भी सरकार कम रुपया खर्च कर रही है। सरकार का कहना है कि हम खोई के खरीदने में खर्च कर देंगे। जो कुछ रुपया होता है वह कार्यकर्त्ताओं को दिया जाता है। वे कहते तो यह हैं कि इधर उधर के लोगों को रुपया दिया जायगा। लेकिन अधिकतर रुपया ऐसे लोगों

को दिया जाता है, जिनसे सूबे में मंत्रिमंडल कायम रहता है, वजारत को सूबे में कायम रखने के लिये रुपया खर्च किया जाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक उद्योग का ताल्लुक है जब हम उद्योग के दृष्टिकोण से अपने सूबे पर नजर डालते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है कि हमारे सूबे को उद्योग के दृष्टिकोण से यदि डेवलप (विकसित) किया जाय तो हमारा सूबा काफी विकसित हो सकता है। जब देश में भुखमरी बढ़ रही हो, विद्यार्थी स्कूल्स और कालेजेज से बेकार निकल रहे हों तो ऐसी हालत में उनको यदि उद्योग की तरफ लगा दिया जाय तो उनको काम दिया जा सकता है। मगर सरकार की नीति उद्योग को डेवलप करने की नहीं है, बल्कि ह्रास की नीति मालूम होती है।

हमारे प्रांत में बहुत से बड़े बड़े उद्योग चल रहे हैं। जैसे कपड़े का उद्योग चल रहा है। कानपुर में कपड़े की बड़ी बड़ी मिलें हैं जो हिन्दुस्तान में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में मशहूर हैं। इसी के साथ साथ शकर की मिलें कानपुर तथा सूबे के दूसरे हिस्सों में हैं और जो हमारे देश में १५ लाख टन शकर तैयार होती है तो उसकी आधी शकर हमारे प्रांत में ही तैयार होती है। यह भी हमारे प्रांत का एक प्रमुख धंधा है। जूट की मिलें कानपुर में पाई जाती हैं और चमड़े की मिलें भी कानपुर में पाई जाती हैं। इस तरह से हमारे सूबे में बड़ी बड़ी मिलें हैं। अगर सरकार चाहे तो इन उद्योगों को विकसित किया जा सकता है। लेकिन सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया है।

जहाँ तक शकर का ताल्लुक है, उसको पूंजीपतियों के हाथ में छोड़ रखा है। पूंजीपतियों की निकम्मी नीति की वजह से ही देश में शकर की एक क्राइसिस (संकट) पैदा हो गई है। इसके लिये समय समय पर बहुत सी बातें कही गई हैं। टैरिफ बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में १९४९ में बताया है कि शकर की क्राइसिस पैदा कर दी है। अप्रैल सन् १९४९ तक तो शकर आम बिकती थी और जून में यकायक कमी पड़ गई। इसका मुख्य कारण यह था कि सरकार ने पूंजीपतियों को छूट दे दी, ताकि वह पाकिस्तान तथा दूसरी जगहों में शकर भेज सकें। इससे देश में बड़ी भारी क्राइसिस पैदा हुई। कंट्रोल के जरिये शक्कर बेचने की इजाजत दी गई। साथ ही साथ पक्की शुगर (चीनी मुक्त) कर दी गई। इसका नतीजा यह हुआ कि मिलमालिकों ने दूकानदारों के हाथ में एक बोरा १२० रुपये में बेचा और वह बोरा दूकानदारों ने उपभोक्ताओं के हाथ में १८०-१९० रुपये में बेचा और इस तरह से ४ करोड़ की धनराशि उपभोक्ताओं के हाथ से निकल कर पूंजीपतियों के हाथ में चली गई। इस तरह सरकार ने पूंजीवादी नीति का परिचय दिया।

एक तरफ मंत्री जी कहते हैं कि उद्योगों के विकसित करने के लिये हमारे पास पैसा नहीं है। मैं कहता हूं कि आपके पास पैसा है, लेकिन आप उस पर हाथ नहीं लगाना चाहते। किस तरह उद्योगपति अपने व्यापार को आगे बढ़ाते हैं, बीमा कम्पनी और बैंकों से रुपया लेते हैं, आप भी उद्योगों को विकसित करना चाहते हैं तो बीमा कम्पनी और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं और वह रुपया आप छोटे और बड़े उद्योगों में लगाने के लिये दे सकते हैं। लेकिन आपकी नीति पूंजीपति नीति है। आप बैंकों और बीमा कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण नहीं कर सकते, क्योंकि आप पूंजीवादी व्यवस्था के गर्भ से निकले हैं। आपको इससे इस तरह से मोह है जिस प्रकार बंदरिया को अपने मरे हुए बच्चे से मोह होता है और वह मरने पर भी उसको चिपकाये रहती है। उसी तरह से आपको भी पूंजीवादी व्यवस्था से मोह है और आप उनके हितों पर कुठाराघात नहीं करना चाहते हैं। आप बात किसान और मजदूरों की करते हैं, लेकिन हित मिलमालिकों का करते हैं। बीमा कम्पनियों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके ही यह समस्या हल की जा सकती है। बड़े बड़े उद्योग धन्धे जो हैं उनका राष्ट्रीयकरण किया जाय तभी उपभोक्ताओं को चीजें सस्ती मिल सकती हैं और सरकार को भी अच्छी खासी बचत होगी।

मैं सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि जहां तक मामूली उद्योग धंधे हैं वे सब इंडिविजुअल्स (व्यक्तियों) के हाथ में दिये जायं, जिनमें तीन लाख तक की पूंजी लगती हो, ताकि १

[श्री गजेन्द्र सिंह]

हजार माहवार का मुनाफा उनको मिल सके। छोटे छोटे उद्योग-धंधे सहकारिता के आधार पर चलाये जायं, उनका ठीक से संगठन किया जाय। लेकिन मैं देखता हूं कि सहकारिता के ढंग पर जो उद्योग-धंधे चलाये जाते हैं वे विकसित नहीं हो पाते, क्योंकि कच्चा माल उनको नहीं मिलता, आने जाने के साधन उनको नहीं मिलते, रुपये की कमी उनको रहती है। अगर यह सुविधायें उनको दी जायं तो बहुत कुछ काम हो सकता है। अलीगढ़ में ताले का व्यवसाय है, १ लाख आदमी इस व्यवसाय में काम करते हैं लेकिन सरकार ने उनको कोई मदद नहीं दी। बनारस में इसी तरह १ लाख जुलाहे रेशम का काम करते हैं, साड़ियां बनाते हैं, इटावा में कपड़े का काम होता है, शर्टिंग वगैरह बनाई जाती है, लेकिन सरकार ने कोई मदद नहीं दी।

श्री गोपीनाथ दीक्षित (जिला इटावा)--अध्यक्ष जी, हमारे माननीय मंत्री जी ने जो ग्रान्ट मंजूरी के लिये पेश की है, मैं उसमें एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव उपस्थित करता हूं।

अध्यक्ष--दीक्षित जी, कटौती का प्रस्ताव तो एक ही रहेगा।

श्री गोपीनाथ दीक्षित--बहुत अच्छा। मेरा निवेदन यह है कि माननीय उद्योग मंत्री ने जो तीन बातें कही हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं हालांकि मैं यह महसूस करता हूं कि इस मद में कम रुपया रक्खा गया है। माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि देहात की कारीगरी बढ़ाई जायगी। उनका यह विचार बहुत उत्तम है। उन्होंने यह भी फरमाया कि इस मद में जो रुपया खर्च होगा उसकी एक एक पाई का खर्च सही होगा, कहीं पैसे का दुरुपयोग न होगा, इसकी भी मैं ताईद करता हूं।

मैं, अध्यक्ष जी, आपके द्वारा उद्योग मंत्री और अन्य मंत्रियों से, जो इस सदन में मौजूद नहीं हैं, यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रान्त का भविष्य दो ही बातों पर मुन्हसिर है। एक खेती पर और दूसरे उद्योग पर। अगर आपने खेती और उद्योग के जरिये पैसा बढ़ाया नहीं और आप खर्च बढ़ाते गये तो हमारा राज्य दिवालिया हो जायगा और हम और आप अपने सूबे की जनता को जवाब नहीं दे सकेंगे। उद्योग का काम कृषि के मुकाबले में कोई छोटा काम नहीं है। इंग्लैंड का बजट हमारे यहां से दसियों गुना बड़ा केवल उद्योग के बढ़ाने से है। यद्यपि हमारा प्रान्त कृषि-प्रधान है, परन्तु तब भी हमको अपने यहां उद्योग को बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम सारे संसार में बराबरी का दर्जा प्राप्त करना चाहते हैं तो उद्योग को प्रोत्साहन देना होगा। इससे आपके पास पैसा आयेगा। अगर ऐसा है तो आपको इस दृष्टिकोण से देखना होगा कि इस ग्राण्ट के जरिये से जिसको आज हम मंजूर करने जा रहे हैं आपका प्रान्त कितना आगे बढ़ेगा उससे आपकी कितनी आमदनी बढ़ने जा रही है।

मैं आप से यह निवेदन करूंगा कि हमारे यहां दो तरह का उद्योग है, एक तो लार्ज स्केल प्रोडेक्शन (बड़े पैमाने का उत्पादन) और दूसरा कुटीर उद्योग। इसमें अब देखने की बात यह है कि हमारे यहां कौन सा लार्ज स्केल प्रोडेक्शन बढ़ने जा रहा है। मुझे मद्रास के 'हिन्दू' में पढ़कर खेद हुआ कि हमारा प्रान्त और बिहार, जिसको अपने यहां शक्कर उद्योग के ऊपर नाज था वहां से मिलें उठकर मद्रास में खुल रही हैं। शुगर व्यवसाय आपके प्रान्त से क्यों जा रहा है। जिस मद से आपको ३ करोड़ रुपया की आमदनी है, जिस इंडस्ट्री से ३ करोड़ इस प्रान्त की सरकार को मिलता है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उसकी रक्षा के लिये सरकार क्या प्रयत्न करने जा रही है? इससे हमको यह देखना होगा कि हमारा जो जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन (सामान्य प्रशासन) है और जो आपके दूसरे तरह के कानून हैं, जो राज्य की ओर से लोगों को मनवाने के लिये विवश किया जाता है उनमें कहीं इस तरह की कोई वजह तो नहीं है। आपको यह देखना होगा कि क्या वजह है कि हमारे सूबे का पूंजीपति इस सूबे में कारखाने न खोलकर कलकत्ता और बम्बई में खोल रहा है। जब बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में मिलें खुल रही हैं और सरकार जो उद्योग आरम्भ करती है वह

सफल नहीं होता और दूसरे उद्योगों को सफलता नहीं मिलती तो फिर किस तरह से हमारा सूबा इस उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा । इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसके लिये एक कमेटी नियुक्त करें जो इस बात का पता लगाये कि हमारे प्रान्त की जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है वह यहां से उठकर बंगाल क्यों जा रही है, बम्बई क्यों जा रही है और मद्रास में क्यों खुलने जा रही है ? फिर इस बात का प्रयत्न किया जाय कि उत्तर प्रदेश की जो इंडस्ट्री है वह यहीं उत्तर प्रदेश में ही रहे और वह दूसरे किसी प्रान्त में न जाने पाये।

समय बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं दो-चार सुझाव आपके सामने रखना चाहता हूं । हमारे प्रान्त के जो कुटीर उद्योग हैं उनको आप मौजूदा हालत में कंसोलिटेड (संहत) करें, उनका जो खर्चा है उसको कुछ कम करें तो अच्छा है । मैं जिस इटावे जिले से आता हूं उसका नाम संसार में पायलट प्रोजेक्ट के कारण मशहूर है । आपकी जितनी भी योजनायें हैं उनमें सब से ज्यादा योजना गुड़ विकास की सफल हुई है, क्योंकि उससे हर किसान को फायदा हुआ है । ऐसी कड़ाही का प्रचार जिसमें साफ गुड़ बने, ऐसे कोल्हू का चलाना जिससे अधिक रस निकले और ईख के फूंस से लकड़ी का काम लेना आदि इस तरह की बातें हैं जो काफी लाभप्रद साबित हुई हैं । जितने तरीके बताये गये हैं उससे प्रान्त में और जगह भी फायदा पहुंचा होगा। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि जहां शक्कर से आपको इतनी आमदनी है और हमारे बजट में इतना रुपया उससे आता है तो उसको आगे बढ़ाने के लिये प्रयत्न करना जरूरी है और बाकी जो इंडस्ट्री रह जाती हैं उनको आप कंसोलिटेड करें ।

इसी प्रकार से मैं खादी के सम्बन्ध में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप खादी को बढ़ाना चाहते हैं और इस उद्योग को पनपते हुए देखना चाहते हैं तो मेरे दो सुझाव हैं । एक तो यह है कि जो आप ग्राण्ट इसके लिये रखते हैं वह गांधी आश्रम को दे दें। इस ३ लाख की रकम से उनका बहुत लाभ होगा । वह इस मामले में बहुत अनुभव रखते हैं और उनका यह काम चल रहा है तो इस ग्राण्ट से वह इस कुटीर उद्योग को खादी के मामले में आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे । दूसरा सुझाव मेरा यह है कि यदि आप खादी की उन्नति करना चाहते हैं तो आप बाई आर्डर (आदेश द्वारा ) ऐसा करें कि सरकारी कामों के लिये जितने कपड़े की खरीद होती है उसके लिये यह खादी खरीदी जाय और जो आपके यहां सरकारी मुलाजिम हैं उनको बाध्य किया जाय कि वह नेशनल ड्रेस को इस्तेमाल करें और उनको मजबूर किया जाय कि वह खादी का प्रयोग करने लगें । राज्य के कामों में जितना भी कपड़ा खरीदा जाता है उन कामों के लिये हर विभाग में खादी का प्रयोग करना आवश्यक समझा जाय और उन सब कामों के लिये खादी खरीदी जाय, इससे खादी को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा ।

हमारे इटावे की तरफ सारे देश की नजर लगी हुई है। दो इंडस्ट्री वहां की अब खास हैं । लेकिन इधर ४ या ५ साल से वह कुछ पिछड़ गई हैं। इसके बहुत से कारण हैं । इटावे का घी सारे देश में हर जगह मशहूर था और हर जगह वहां के घी के साइनबोर्ड लगे रहते थे और सूबे के तमाम हिस्सों से और सारे देश से रकम हमारे जिले को मिलती थी, लेकिन अब यह इंडस्ट्री भी बहुत पीछे रह गई है । यहां की जो बकरियां थीं वह भी सारे संसार में प्रसिद्ध थीं। अगर वह नस्ल भी सारी दुनिया में भेजी जातीं और उसका प्रचार किया जाता तो काफी तरक्की इन मशहूर जमुनापारी बकरियों की हो सकती थी और काफी लाभ हमारे जिले को हो सकता था । बाहर भेज कर काफी आमदनी इनसे अब भी की जा सकती है। तीसरी चीज मैं आप से अर्ज करूं कि यहां पर टूरिस्ट इंडस्ट्री (भ्रमण उद्योग ) की भी बहुत कुछ गुंजायश है । अब मेरा वक्त खत्म हो गया है और मुझे यही कहना था ।

महाराजकुमार बालेन्दु शाह (जिला टेहरी गढ़वाल)--अध्यक्ष महोदय, उद्योग मंत्री के भाषण को सुनकर दिल बाग-बाग हो गया। खास कर जो दिलचस्पी छोटे-छोटे उद्योग-धन्धों के

[ महाराजकुमार बालेन्दु शाह ]

सिलसिले मे दिखलाई गई है उससे तो दिल को बहुत ही खुशी पहुंची। मैं मानता हूं कि नई रीति के अनुसार देश की उन्नति के लिये बड़े-बड़े धन्धों को भी बढ़ाना आवश्यक है और मैं यह भी जानता हूं कि दुनियां के साथ-साथ चलने के लिये यह भी आवश्यक है कि हम हर प्रकार के इस तरह के काम अपने यहां चलावें और हिन्दुस्तान में एक नहीं बल्कि सिन्दरी फैक्टरी और दामोदर बेली प्रोजेक्ट शुरू की जावें।

मैं उद्योग मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही जवाब होगा जबकि आपके एक जिले की जनता पानी के लिये तृषित हो और उससे यह कह दिया जाय कि तुम शान्त रहो, केवल एक वर्ष में देश के सब लोगों को पानी ही पानी मिलने लगेगा। टेहरी-गढ़वाल एक इस प्रदेश का जिला है और यहां के राज्य शासन का उससे अब सम्बन्ध है। किसी एक योजना को देखकर यदि वहां के लोगों में बहुमत से सन्तोष न फैले तो उन लोगों के लिए उस योजना का कोई विशेष महत्व नहीं रहता। मैं जानता हूं कि जैसा कि मैंने कहा कि दामोदर वेली प्राजेक्ट और सिन्दरी फैक्टरी सरीखी चीजें सफल होकर बहुत अच्छा काम करेंगी और हिन्दुस्तान का नाम बहुत बड़ा होगा, किन्तु आजकल जो भयंकर असन्तोष फैला हुआ है .....

अध्यक्ष--माननीय सदस्य इस प्रान्त का ही जिक्र करें तो अच्छा होगा।

महाराजकुमार बालेन्दु शाह--मैंने दामोदर वेली का जिक्र इसलिये किया क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि हमारे मंत्री जी ने इस ग्रान्ट के सिलसिले में छोटी योजनाओं का जिक्र किया और सिफारिश की तो जब थोड़ी देर में वह चन्द घंटों ही में १ करोड़ २५ लाख ६३ हजार रुपया हमसे मंजूर कराने के लिये कहेंगे तो वह किन शब्दों में उसको रखेंगे। मतलब कहने का यह है कि उद्योग नीचे से किया जाय जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा, यह उनकी नीति बहुत सही है।

उद्योग मंत्री जी ने टेक्निकल हैण्ड्स (शिल्पियों) की कमी के बारे में बहुत कुछ कहा। यह बिलकुल सही है हालांकि शिक्षा मंत्री जी को ग्राण्ट के समय कहना उचित होता फिर भी मैं यह कहूंगा कि टेक्निकल आदमियों के लिये जो ट्रेनिंग सेन्टर कायम किये हैं यदि मंत्री जी कुछ ध्यान दें तो आजकल इन ट्रेनिंग सेन्टर्स में केवल अनएम्प्लायड (अनियोजित) ही ट्रेनिंग के लिये जाते हैं। अच्छा हो कि स्कूल स्टेज पर ही वोकेशनल एजूकेशन (व्यावसायिक शिक्षा) का प्रचार किया जाय और आरम्भ से ही लड़कों को किसी न किसी धन्धों में डाल देना चाहिये ताकि बड़े होने के बाद और अनइम्प्लायड होने पर भी वह किसी न किसी तरह काम करने में अपने को पीछे न समझें।

देश भर में पैसे की कमी है, इस सिलसिले में हम कई वर्षों से चर्चा सुन रहे हैं और मैं मानता हूं कि पैसे की कमी है। पैसे की कमी के कारण प्रायोरिटी (प्राथमिकता) का सिस्टम (पद्धति) लगाना जरूरी हो जाता है। मैं उद्योग मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि जब प्रायोरिटी का सवाल उनके सामने आवे तो वह यह न भूलें कि वह पूरे प्रान्त के उद्योग मंत्री हैं। उनके पास सारे प्रान्त के लोगों का उद्योग का महकमा है। कहीं ग़लती से यह न हो कि किसी एक जिले या चन्द जिलों में ही या किसी एक उद्योग में ही उनका ध्यान लगे और बाक़ी और जिलों की तरफ उनकी नजर ही न जाय। मैं समझता हूं कि उद्योग मंत्री जी इस बात पर विशेष ध्यान देंगे कि उन्हें पूरे प्रान्त की उन्नति करनी है। किसी एक या दो जिलों में ही उन्नति लाने से यह नहीं कहा जा सकता कि तमाम प्रान्त की उन्नति हो गई है।

श्री राधामोहन सिंह (जिला बलिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस कटौती के प्रस्ताव के बारे में दो चार शब्द निवेदन करना चाहता हूं। उद्योग हमारे मनुष्य समाज का एक आवश्यक अंग है और इसी में लक्ष्मी का वास है। उद्योग के द्वारा मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसी से हमारी बेकारी दूर होती है। हमारे यहां बेकारी और ग़रीबी भयंकरता से फैली हुई है और इनके लिये उद्योग का विकास करना नितान्त

आवश्यक ही नहीं बल्कि एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो गया है। मैं जानता हूं कि उद्योग के लिये काफ़ी काम किया जा चुका है, लेकिन वह इतना नहीं है कि जितने की हमें आवश्यकता है। जब तक मनुष्य की तमाम आवश्यकतायें पूरी नहीं होतीं और हर एक को काम नहीं मिल जाता तब तक उद्योग की प्रगति काफ़ी नहीं कही जा सकती है। हमारे यहां उद्योग की प्लान्ड स्कीम (संविधायित योजना) नहीं है। बड़े-बड़े उद्योग और मशीनरी भी हमारे समाज में बेकारी फैलाने के कारण हुए हैं। हमारी सरकार जितना इस पर खर्चा कर रही है उससे अधिक करना चाहिये। यह अनुदान जो इस समय हाउस के सामने उपस्थित है उसमें केवल ९४ लाख रुपये दिये गये हैं, जबकि पहले साल का अनुमान ९७ लाख था। इस साल उसमें कुछ कम दिया गया है।

मैं समझता हूं कि हमारे उद्योग के दो अंग हैं, एक तो वह जो सरकार स्वयं चलाती है, अर्थात् वे जिन्हें सरकार स्वयं बढ़ाती है। उद्योग की उन्नति के वास्ते हमें उन लोगों को जो उन कामों में लगे हुए हैं, सहायता देनी चाहिये। मैं समझता हूं कि इस बजट में ६ लाख रुपया इसके लिये बहुत कम है। इस तरह से और भी रुपया उन यंगमैनों (नवयुवकों) को दिया जाय जो बेकार हैं और उनको इंडस्ट्री की शिक्षा दी जाय। केवल नौकरियों के लिये शिक्षा दिया जाना रुपये का व्यर्थ बरबाद करना है। ऐसे नवयुवकों को शिक्षा दी जानी चाहिये जो शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् उद्योगों में अपने आपको लगाकर देश के धन को बढ़ा सकें। ऐसे नवयुवकों को हमें प्रोत्साहन देना चाहिये।

दूसरी बात जो इस संबंध में मुझे निवेदन करना है वह यह है कि हर एक जिले में हमें इंडस्ट्री की सर्वे (पर्यालोचन) कराना चाहिये। हर जिले में कौन-कौन से उद्योग हैं और कौन-कौन आगे सफलतापूर्वक चलाये जा सकते हैं, इसकी जांच होनी चाहिये और उन्हीं को प्रोत्साहन देना चाहिये। ऐसा करने से ही हमारा देश आगे बढ़ सकता है। जो प्लानिंग कमेटियां (संविधायन समितियां) हर जिले में बनी हुई हैं उनके सुपुर्द यह काम होना चाहिये। हर जिले से यह रिपोर्ट मांगी जानी चाहिये कि किन किन उद्योगों को वहां प्रोत्साहन देने से उन्नति हो सकती है और लोगों को काम भी मिल सकता है।

इसके अतिरिक्त एक चीज और है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह यह है कि हमारे देश में बहुत सी ऐसी लक्जरी (विलासिता) की चीजें हैं जो बाहर से आती हैं। उनको अपने मुल्क में पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिये। इस प्रकार हमारे धन का दुरुपयोग होता है। जिस रुपये के लिये, डालर के लिये हम तरस रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे और जरूरी काम रुके पड़े हैं, वह रुपया इस बेकार की सी चीज में खर्च हो जाता है। अगर हम अपने उद्योगधंधों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो हमें इन लक्जरी की चीजों के आयात को बिलकुल रोक देना चाहिये। हमारी प्रान्तीय सरकार और यूनियन सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये। चीन देश की सरकार ने अपने यहां अफीम को बिलकुल बंद कर दिया है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस तरफ ध्यान दे और जिस पैसे को प्राप्त करने के लिये वह जनता पर टैक्स लगाती है उसको वह इस प्रकार बरबाद होने से रोके।

मैं चाहता हूं कि जो उद्योग-धंधे इस समय हमारे प्रान्त में हैं उनको हमें ठीक तरह से चलाना चाहिये। इसके संबंध में मैं सरकार का खद्दर और कुटीर उद्योग की ओर विशेष रूप से ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरी जानकारी में आया है कि बहुत सी खद्दर खादी भंडारों में पड़ी हुई है। सरकार लाखों रुपये का सामान खरीदती है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को चाहिये कि वह पहिले सब कुटीर-उद्योगों का और खद्दर का सामान ही मोल ले और उसके बाद बाहर से सामान खरीदे।

हमारे प्रान्त में गुड़ का भी एक बहुत बड़ा उद्योग है उसको भी हमें समाप्त न होने देना चाहिये। यह मैं मानता हूं कि वह बहुत अच्छा नहीं होता। लेकिन हमें देखना यह है कि हमारे यहां

[ श्री राधामोहन सिंह ]

के लोग ७० फीसदी गुड़ खाते हैं। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि हम गुड़ की क्वालिटी (तत्ता) को थोड़ा अच्छा करने में मदद दें। इससे किसानों को भी एक दो रुपया ज्यादा मिल जाया करेगा और उसके कारण उनकी आय में बहुत बड़ी वृद्धि हो जायगी और गुड़ भी सुधर जायगा। मेरी राय में इस व्यवसाय को बंद करना उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट इस पर अवश्य ध्यान देगी और संभवतः इसको आगे बढ़ाने में मदद देगी।

श्री ब्रज विहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार उद्योग मंत्री जी ने खादी के सम्बन्ध में अपनी नयी नीति का परिचय दिया है वह मुझे बड़ी चिन्ताजनक मालूम होती है। पिछली बार माननीय मंत्री जी ने बतलाया था कि वे अनेक गृह-उद्योगों की सहायता करना चाहते हैं लेकिन इस बार उनकी यह घोषणा हुई कि वे चन्द उद्योगों को लेकर ही आगे बढ़ेंगे। जब मैंने यह देखा कि उनकी घोषणा के साथ ही साथ खादी विकास के सिलसिले में काफ़ी रक़म कमी की गयी है तो मुझे बड़ा ताज्जुब मालूम हुआ। खादी में जितनी बड़ी कटौती उन्होंने की है वह बड़ी ही चिन्ताजनक है। इस प्रदेश के करोड़ों निवासी इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि इस प्रदेश में खादी का विकास बढ़ेगा। खादी उद्योग में लगी हुई लाखों विधवायें और वे लोग जो कि खादी का प्रयोग करने की प्रतिज्ञा लिये हुए हैं और खादी का कारोबार करते हैं, इतनी बड़ी कटौती करना एक तरह से उनकी रोटी ही मारना है और खास कर के कांग्रेस मैन (जन) के लिये तो यह एक शर्मनाक बात मालूम होती है।

उन्होंने गुड़ के सम्बन्ध में भी कहा कि गुड़ उद्योग में वे जो रुपया खर्च कर रहे थे अब उसे बन्द करने जा रहे हैं। इस काम में लगे हुए जो नौजवान हैं, जब वे खाली हो जायंगे, बेकार हो जायंगे तो उनके लिये हमारे उद्योग मंत्री जी ने क्या सोचा है ?

कानपुर लेदर वर्किंग स्कूल की बात कही गयी है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कानपुर लेदर वर्किंग स्कूल से निकले हुए विद्यार्थी २५ वर्षों के बीच में जब से कि यह स्कूल चल रहा है, केवल नौकरी के धंधों में रहे। शायद १० परसेंट (प्रतिशत) ने भी इस बात का प्रयत्न नहीं किया होगा कि वे वहां से निकलने के बाद स्वयं उस उद्योग में लगने का प्रयत्न करें।

इसी प्रकार प्रयाग में प्रिंटिंग (मुद्रण) का काम सिखलाने की बात भी उन्होंने कही कि कुछ लोगों को कम्पोजीटरी वगैरह का काम सिखलाया जायगा। ठीक है, आप उन्हें प्रेस का काम सिखलाइये, लेकिन उसके साथ ही साथ अगर हमारे उद्योग मंत्री जी काग़ज़ उद्योग की बात भी कहते तो ठीक था। जिस देश में काग़ज़ की कमी हो उस देश के नौजवानों को प्रिंटिंग की शिक्षा के लिये अधिक प्रोत्साहन देना कहां तक मुनासिब होगा। सचमुच अगर वे कालपी के काग़ज़ उद्योग को प्रोत्साहन देने का प्रयत्न करते और उसमें कुछ रुपया खर्च करने की बात कहते तो मुनासिब होता। कानपुर स्वराज्य आश्रम बिलकुल काटेज इंडस्ट्री के तौर पर काग़ज़ का उद्योग करने का प्रयत्न कर रहा था, लेकिन सरकार की ओर से पैसा न मिलने की वजह से बड़े बड़े साधन, जो नौजवानों ने इकट्ठे किये थे काग़ज़ पैदा करने के, वे सब वैसे ही पड़े हैं और आज उनमें लगाया हुआ धन बेकार हो गया है। सचमुच अगर हमारे उद्योग मंत्री जी इस काम की तरफ ध्यान दें तो इसमें लाखों नौजवानों को खपाया जा सकता है।

इसी तरह से मुरादाबाद में कलई का उद्योग है। मुरादाबाद के कलई उद्योग में लगे हुए लाखों आदमी पाकिस्तान चले गये जिससे वह उद्योग वहां घटता जा रहा है। अगर इसकी तरफ ध्यान दिया जाय और सरकार की ओर से कुछ अधिक धन खर्च हो तो लाखों नौजवानों को इसमें खपाया जा सकता है और उस उद्योग को संकट से उबारा जा सकता है।

इसी तरह से इटावे का कपड़े का उद्योग भी है। इटावे का कपड़ा बहुत अच्छे क़िस्म का समझा जाता है। उसमें भी लाखों नौजवानों को लगाया जा सकता है। फिर जब

कपड़े की बात आती है तो उसी के साथ साथ छपाई का प्रश्न भी आ जाता है। कानपुर के पास मूसा नगर में रंगाई का काम बहुत अच्छा होता है। वहां पर देहातों में बनस्पति से अच्छे क़िस्म का रंग तैयार कर लिया जाता है, लेकिन कंट्रोल की वजह से कपड़ा न मिलने के कारण वह उद्योग भी शिथिल सा पड़ा हुआ है। विदेशी रंगों के मुकाबले में वहां के रंग नहीं ठहरते हैं, क्योंकि ये महंगे पड़ते हैं। सरकार लोगों को प्रोत्साहित करे और देहातों में फैले हुए उद्योग को सहायता देने के लिये प्रयास करे।

उन्होंने जो कुछ रकमें रखी हैं वह बहुत कलील रकमें हैं। अगर सचमुच उस रकम को दूना किया जा सके और खादी की रकम को जो काटने का निश्चय किया गया है उसके लिये अगर जितना पिछले साल था उतना ही रख दिया जाय तो आँसू पुछ जायं। अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के द्वारा मैं उद्योग मन्त्री से प्रार्थना करता हूं कि वह इन रकमों को पूरा करने का प्रयत्न करें।

श्री पद्मनाथ सिंह (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, उद्योग मन्त्री ने जो अभी इस सदन से अवसर का तकाजा किया उसका तो स्वागत सदन करेगा ही और अवसर भी उन्हें मिला ही है, लेकिन जो बजट की रूपरेखा इस सदन के सामने उपस्थित हुई है उससे मैं समझता हूं अधिकांश सदस्यों को बड़ी निराशा ही हुई है। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में चाहे परतंत्रता के कारण और चाहे जिन और कारणों से भी हो उद्योग का विकास नहीं हो पाया है, दुर्भाग्य की बात है कि आज १०० में से ९० और ९१ फीसदी जनता खेती पर गुजर करती है। इस नयी सरकार से आशा थी कि वह इस बड़ी भारी जनसंख्या को जो केवल खेती के सहारे जिन्दगी बिताने को विवश है दूसरी ओर भी लगावेगी और बेतरह जो अनइम्प्लायमेंट (बेकारी) फैला है उसको दूर करेगी। इस बजट में जो योजना पेश की जा रही है उससे अनएम्प्लायमेंट को दूर करने के लिये और लोगों में उद्योगों की ओर प्रवृत्ति पैदा करने के लिये कोई कदम उठाया जायगा और लोगों को इंडस्ट्री माइन्डेड (उद्योग की मनोवृत्ति वाले) बनाया जायगा, ऐसी आशा थी और तीसरी बात यह भी की जायगी कि हमारे यहाँ के उद्योग से देश को धनधान्य से परिपूर्ण बनाया जायगा। लेकिन इन तीनों ही दिशाओं में बजट जो उपस्थित हुआ है बड़ा शान्त सा दीख पड़ता है, न तो इसमें अनइम्प्लायमेंट को दूर करने की गुन्जायश की गई है, न उद्योग के लिये प्रवृत्ति ही पैदा की गई है और न देश को धनधान्य से पूर्ण करने के लिये कोई स्कीम रखी गई है।

बजट सिर्फ काम चलाऊ है। जैसे और स्कीमें चलती हैं, चलती रहती हैं, उद्योग की स्कीम भी बजट में उपस्थित कर दी गई है। यही सचमुच दीख पड़ता है। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि बजट में वह स्कीम नहीं है वह प्रवृत्ति नहीं है जिससे देश लहलहा सके। पिछली बार नौजवानों को जो बेरोजगार थे उनको काम दिलाने के लिये बहुत से ग्रांट्स (अनुदान) और लोन्स (ऋण) दिये गये थे। चमड़े का काम करने के लिये, गुड़ बनाने के लिये, साबुन बनाने के लिये, तेलघानी के लिये इत्यादि ऐसे कामों में मैं जानता हूं एक जिले में नहीं कई कई जिलों का किस्सा मैं जानता हूं जिन्हें ग्रान्ट्स और लोन्स दिये गये हैं लेकिन एक भी काम न तो साबुन का, न तेलघानी का और न चमड़े वगैरह का ही शुरू हुआ। रुपये खा डाले गये और वह तमाम रुपया बरबाद हो गया। सरकार की ओर से इस बात की कोशिश भी नहीं की गई कि रुपया क्या हुआ, किस काम में लगा, कोई उद्योग शुरू भी हुआ या नहीं। सरकार अगर लाखों रुपया इस तरह से बरबाद करती रही, स्कीमें चलाकर छोड़ती रही तो प्रवृत्ति होने की बात तो बहुत दूर रही यह एक दूषित सी प्रथा बन जायगी और इस प्रथा से देश का स्तर नीचा होता है और देश का नुकसान होता है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता था कि जो स्कीम बनती है उसमें पहले तो प्रवृत्ति को उत्पन्न करने की बात होनी चाहिये। अवसर तो उद्योग मन्त्री को मिला है हम आशा करते हैं और मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे जो अनुदान माँगना चाहें लें

[ श्री पद्मनाथ सिंह ]

उसके बाद कोई ऐसी योजना अवश्य पैदा करें जिससे हमारे देश में उद्योग के प्रति प्रवृत्ति पैदा हो। हमारे देश में उद्योग की प्रवृत्ति है उसको उठाने की आवश्यकता है।

हमारे गाँवों में, छोटे छोटे गाँवों में काटेज इंडस्ट्रीज के बारे में हजारों आदमी ऐसे बसते हैं जो हजारों रोजगार ऐसे जानते हैं और अगर सच पूछिये तो उन्हीं पर उनकी बसर भी होती है, लेकिन सरकार की ओर से उनके लिये कोई सहारा नहीं है। ऐसी हालत में उनको कोई प्रोत्साहन मिलता नहीं है और जो नयी स्कीमें बनती हैं उनसे कोई लाभ होता नहीं। ऐसी बात हो जाती है कि जो काम करते हैं उनको सहारा मिलता नहीं है और जो लोग काम नहीं जानते हैं उनको लोन्स और ग्रान्ट्स मिल जाती हैं। सरकार की ओर से कोई कोआपरेशन (सहकारिता), कोई कोआर्डिनेशन (एकीकरण), कोई कोलैबोरेशन (सहयोग) नहीं है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि अगर सरकार खर्च करना चाहती है तो व्यय की पूरी जिम्मेदारी ले और उसके लिये मैं एक सुझाव पेश करना चाहता हूं कि हर एक जिले में एक ऐसा सरकारी और अर्धसरकारी बोर्ड बनावे जो वहाँ के विभिन्न रोजगारों की बातों के बारे में अपने सुझाव पेश करे और साथ ही साथ आपकी ओर से जो सहायता मिलती है अनएम्प्लायड आदमियों को भी काम में लगावें और जिनको रुपया आप देते हैं अगर वह खर्च नहीं करते हैं तो उस ओर ध्यान दें।

खादी और गुड़ की बात कही गई है। पूर्वी जिलों में बहुत गुड़ का कारोबार होता है और भी बहुत से कारोबार वहां नीचे स्तर पर हैं। आपने गुड़ के लिए एक स्कीम बनायी। उससे कुछ लाभ हुआ। लेकिन केवल १० प्रतिशत लाभ हुआ। उसमें आपने कमी करके एक बड़ा जबरदस्त अहित पूर्वी जिलों के किसानों का किया है। वह उनके जीवन निर्वाह का साधन था। वह अब मिलों में गुड़ भेजते हैं और मिल वाले उनको थोड़ा सा रुपया देते हैं और वह भी रेगुलर ( नियमित ) मिलता नहीं। नतीजा यह हुआ है कि गुड़ के विकास को कम करके सरकार ने, पूर्वी जिलों के बहुत अच्छे उद्योग का ह्रास किया है। इसलिए मैं फिर अर्ज करना चाहता हूं कि इन आँकड़ों का कोई बड़ा महत्व नहीं है। आँकड़े आप चाहे जो भी रखें, पब्लिक अगर सरकार की ओर से कुछ उत्साह पाती है तो कुछ कर लेती है। आप उद्योग की प्रवृत्ति पैदा करें, उद्योग में मुनाफाखोरी की भावना दूर करें और देश को उद्योग द्वारा धनधान्य से पूर्ण करके देश की क्षति को पूरा करें।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी अपनी स्पीच के सम्बन्ध में माननीय उद्योग मंत्री ने कहा कि मैं ऐसे विभाग का अनुदान पेश करने जा रहा हूं जिसमें खर्चा बहुत है, आमदनी नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि इसमें भी आमदनी हो। इसके लिए हमारी सरकार को थोड़ी सी हिम्मत दिखलाने की जरूरत है। यह हिम्मत इस तरह से दिखाई जा सकती है कि हमारे सूबे में जितने भी बड़े उद्योग हैं जैसे चीनी और कपड़े का उद्योग है उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय और अगर सरकार ने राष्ट्रीयकरण किया तो निश्चय ही सरकार की इस मद में भी आमदनी बढ़ेगी। मैं क्यों कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीयकरण हो, इसलिए कि मिल मालिक चाहते हैं कि वह इंडस्ट्री के साथ खिलवाड़ करें, उसको बरबाद कर दें। कैसे वे बरबाद करने की कोशिश करते हैं, यह मैं आपको बताऊं। जैसे चीनी का उद्योग है, उसमें मैं दो एक मिसालें आपके सामने रखना चाहता हूं जिससे यह साबित होता है कि मिल मालिक उद्योग को बरबाद कर रहे हैं। कहा यह जाता है कि मजदूर काम नहीं करते हैं इसलिये उद्योग बरबाद हो रहा है। लेकिन बिलकुल साफ है कि मजदूर नहीं मिल मालिक उसको जानबूझ कर बरबाद कर रहे हैं। वे अपने फायदे के लिए उसको बरबाद करते हैं। यहाँ उद्योग में मैनेजिंग एजेंसी या मैनेजिंग डाइरेक्टर्स का तरीका चल रहा है। जितनी भी मिल में गड़बड़ी होती है सारी गड़बड़ी के जिम्मेदार यही लोग हैं। आपको मैं मिसाल दूं।

बहुत से मिल मालिक आपस में मुकद्दमाबाजी करते हैं और इसलिए मुकद्दमाबाजी करते हैं कि मिल में मेरा अधिकार हो, क्योंकि जिसका मिल पर अधिकार होता है वह उसमें हर तरह से जायज-नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करता है। उस मुकद्दमेबाजी में उनका पैसा खर्च नहीं होता है। जितने भी ऐसे मुकद्दमे दायर किये जाते हैं उसमें मिल का ही रुपया खर्च किया जाता है। इस तरह से मिल का सारा रुपया बरबाद किया जा रहा है। जो स्टोर्स खरीदे जाते हैं उसमें भी ब्लैकमार्केटिंग (चोर बाजारी) की जाती है। इस तरह से उस उद्योग को चौपट किया जाता है। कुछ लोग चौपट करते हैं और उस मिल के मजदूरों को ही नहीं बल्कि वहाँ के शेयरहोल्डर्स (साझीदारों) को भी कोई फायदा नहीं होने पाता। बहुत सी ऐसी मिसालें आपको मिल सकती हैं। मैं आपको दो एक मिसालें दूं। पडरौना मिल को ले लीजिये। वहाँ मिल मालिकों में मुकद्दमाबाजी हो रही है। लेकिन मुकद्दमेबाजी का सारा खर्च कम्पनी से किया जा रहा है। उस मुकद्दमेबाजी से इंडस्ट्री का क्या फायदा हो सकता है? इस तरह की चीज वहाँ चल रही है। इतना ही नहीं। मिल मालिकों की मरजी पर है चाहे जिसको नौकर रक्खें। बहुत से आदमी अनावश्यक रूप से रखे हुए हैं जिनको लम्बी लम्बी तनख्वाहें दी जाती हैं। दो-दो ऐडवाइजर्स (परामर्शदाता) वहां रखे गये हैं। पहले उनकी तनख्वाह ५०० रखी गयी और ५०० की और तरक्की दी गयी। इस तरह से एक एक हजार रुपया तनख्वाह पाने वाले दो ऐडवाइजर्स हैं जो कभी मिल तशरीफ नहीं लाते। इस तरह से मिल का २४,००० रुपया सालाना बरबाद होता है।

इतना ही नहीं, मैं आपको और बताऊं। पडरौना के बगल ही में कठकुंइया मिल है। पहले वहाँ पर चार लाख के करीब घाटा चल रहा था और उसको सरकार ने लिया। एक मिल मालिक से ४ लाख रुपया लेकर उसको अथा-राइज्ड कन्ट्रोलर (प्राधिकृत नियंत्रक) मुकर्रर कर दिया। उसके बाद जब उनकी मृत्यु हो गई तो एक दूसरे मिल मालिक को अथराइज्ड कन्ट्रोलर मुकर्रर कर दिया और उससे किसी किस्म का पैसा नहीं लिया गया। आज नतीजा यह है कि उस मिल में १२ लाख का घाटा चल रहा है। यह तो सरकार की जिम्मेदारी है कि जब सरकार इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट की धारा ३ के अनुसार किसी मिल को लेती है तो वह उसकी देखभाल करती है कि वह बरबाद न हो जाय और जब आपने मिल मालिक को दिया तो क्यों दिया जब उसने एक पैसा भी नहीं दिया है?

आप उस मिल को एक बार मजदूरों को क्यों नहीं देते। आप देखिए तो सही कि मजदूर चला सकता है या नहीं। मिल मालिक को तो आपने दे दिया है और उसने १२ लाख का घाटा दे दिया। इतना बड़ा रिस्क (जोखिम) आपने लिया और आप कहते हैं कि मजदूरों को कैसे दें। आप दीजिए तो सही मजदूरों को और एक बार तजुर्बा तो करके देखिए। अगर मजदूर चला सकता है तो क्यों न उनसे चलवाया जाय। मैं तो आप से निवेदन करूंगा कि आप उस मिल को मजदूरों के हाथ में दीजिए। मजदूर उसको चलाना चाहता है। उसको हर तरह से प्रोत्साहन दीजिए। मैं समझता हूं कि अगर आपने ऐसा किया तो मिल मालिकों ने जो उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, अगर मजदूरों के हाथ में वह जाय तो वह बहुत आगे तरक्की कर सकती है। क्योंकि मजदूर यह समझेगा कि हम जो काम आज कर रहे हैं वह अपने लिए कर रहे हैं और किसी मालिक के जेब भरने के लिये नहीं कर रहे हैं। अगर मजदूर यह समझेगा तो दूने उत्साह के साथ उस उद्योग की तरक्की करने की कोशिश करेगा। अब अन्त में मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस पर ध्यान देंगे, विचार करेंगे और मजदूरों को भी यह मौका देंगे कि वह भी आपके सामने कुछ करके दिखलाने में सफलीभूत हो सकें।

**श्री बेचन राम गुप्त** (जिला बनारस)—अध्यक्ष महोदय, इस अनुदान पर जो माननीय उद्योग मन्त्री ने रुपया माँगा है वह पारसाल के बनिस्बत कम है। पारसाल इस अनुदान पर ९६,८७,५०० रु० की माँग की थी। इस साल ९४,०५,००० रु० की माँग की गई है। साथ ही साथ गुड़ डेवेलपमेन्ट स्कीम पर पारसाल २,७९,७०० रु० की बजट स्कीम थी और इस साल केवल १,१० ५०० रुपया रखा गया है। श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गुड़ से हमारे जीवन का बहुत कुछ सम्बन्ध है। इस प्रान्त में जितनी ईख पैदा होती है उसका ७० फी सदी गुड़ बनाने के काम आता है, २० फीसदी मिल में जाता है और १० फीसदी किसान बीज के लिये इस्तेमाल करता और चूसता है। इस इंस्डस्ट्री में १२ लाख लेबर काम करता है और ६ करोड़ मन गुड़ यू० पी० में हर साल बनाया जाता है और पर कैपिटा (प्रति व्यक्ति, ४० पौंड खर्च होता है। ऐसी दशा में मैं यह समझता हूं कि गुड़ डेवेलपमेंट स्कीम के ऊपर जो कमी हमारी सरकार कर रही है वह उचित नहीं है। प्लानिंग कमीशन ने भी जो ग्राम उद्योग के बारे में अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया है उसमें गुड़ उद्योग पर विशेष ध्यान देने के लिये हर एक स्टेट को कहा है। सम्भव है पश्चिम के जिलों में गुड़ डेवेलपमेंट स्कीम की आवश्यकता न हो, मगर पूर्वी जिलों में अभी स्कीम की बड़ी जरूरत है। पूर्वी जिलों में जो गुड़ बनाये जाते हैं वह रंग में काले होते हैं। वे रिफाइन्ड (स्वच्छ) गुड़ नहीं बना पाते हैं। इस वास्ते मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि गुड़ डेवेलपमेन्ट स्कीम में जो यह कमी की जा रही है वह न की जाय। कुछ समय तक यह स्कीम पूर्वी जिलों में और कायम रहे। मुझे आशा है कि ३–४ साल के बाद जब वहाँ के काश्तकार रिफाइंड गुड़ बनाना सीख जायेंगे तो फिर अगर हमारी सरकार इस गुड़ डेवेलपमेंट स्कीम को तोड़ देगी तो कोई बात नहीं होगी।

दूसरी बात यह है कि २५–२६ लाख के लगभग जो इम्प्रूव्ड (उन्नत) कोल्हू हमारे इस प्रान्त में पड़े हुए हैं वे सब के सब बेकार हो जायेंगे और सरकार को घाटा होगा। इन शब्दों के साथ मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाता हूं कि गुड़ इन्डस्ट्री पर जो कमी की गई है वह उचित नहीं है।

काटेज इन्डस्ट्री की तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जिसकी तरफ हमारी सरकार का बिलकुल ध्यान ही नहीं है वह कारपेट इन्डस्ट्री है। विलीन काशी राज्य में एक तहसील भदोही है जहाँ कालीन बनते हैं। इस भवन में जो कालीन बिछा हुआ है या सेक्रेटेरियेट में जहाँ कहीं भी कालीन आपने देखे होंगे, वे सब भदोही के बने हुए होते हैं। हर साल ५ या ६ करोड़ के कालीन कनाडा, अमरीका, न्यूजीलैन्ड, आस्ट्रेलिया और यू० के० जाते हैं और काफी रुपया विदेशों से आता है। मगर मुझे खेद है कि हमारी सरकार का ध्यान इस इन्डस्ट्री की तरफ बिलकुल नहीं है। वहाँ आवश्यकता इस बात की है कि एक स्कूल रंगने के काम के लिये और डिजाइन (रूपांकन) सिखलाने के काम के लिये खोला जाय। अब धीरे धीरे ऐसे लोगों की बड़ी कमी हो रही है कि जो वूल रंगने का काम जानते हों और डिजाइन बना सकते हों। यह डिजाइन बाहर से आते हैं, उसको वहाँ के लोग इनलार्ज (बड़ा) करते हैं मगर धीरे धीरे इस कला के जानने वालों की संख्या कम हो रही है। इस वास्ते मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस तहसील में एक छोटा सा स्कूल रंगाई के लिये और डिजाइन बनाने के लिये सरकार खोले। साथ ही साथ जिस लूम पर यह कारपेट बुनते हैं उसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट (सुधार) करने की जरूरत है। कभी कभी यह देखा गया है कि एक गज या दो गज बुनने के बाद उसके कारीगर को यह आवश्यकता पड़ती है कि उसको रोल करे और उसमें उसका समय बरबाद होता है। तो इस तरफ भी कुछ अनुसंधान करने की जरूरत है, उस लूम में क्या इम्प्रूवमेंट किया जाय जिससे उसकी तरक्की हो सके।

इसी प्रकार ब्लैंकेट यानी कम्बल बनाने की इन्डस्ट्री वहाँ पर है। लड़ाई के जमाने में लाखों रुपये के कम्बल सरकार ने वहाँ से खरीदे और जरूरत पड़ने पर वहाँ कम्बल बुनवाये जा सकते हैं। मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि ३–४ लाख जो वहाँ की जन-

संख्या है वह कारपेट इन्डस्ट्री और ब्लैंकेट इन्डस्ट्री में लगी रहती है। इसलिये उसके लिये सरकार को कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए।

श्री चन्द्र सिंह रावत (जिला गढ़वाल)--माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मन्त्री जी को इस अनुदान की माँग पेश करने पर बधाई देता हूं, कारण यह है कि आज के सुअवसर पर यह उनका सौभाग्य है कि उन्होंने उद्योग के अनुदान के लिये सरकार से माँग पेश की है। इस अनुदान का संबन्ध इस राज्य की छः करोड़ जनता से है। आदि-काल में आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि इन उद्योग-धन्धों के कारण भारत के वैभव की पताका उस जमाने के सभ्य राष्ट्रों के बाजारों में फहराती रही है जैसे यूनान, रोम और इंगलैन्ड। जब तक कि वे उद्योग धन्धे, जिनके कारण भारतवर्ष उन्नति की चोटी पर चढ़ा था, इस मुल्क के अन्दर फिर से संचालित और फिर से चालू नहीं कर दिये जाते और उनको हरा भरा नहीं बनाया जाता है मैं समझता हूं कि इस देश के वैभव और समृद्धि को फिर हमारे देश में वापस लौटाना नामुमकिन होगा। मुझे खेद है कि वे उद्योग जो इस राज्य को सबसे ऊंचा उठा सकते हैं आज उनके लिये जो अनुदान की माँग की गई है वह बहुत ही कम है। मैं समझता हूं कि अगर आप इस राज्य की जनता के जीवन को सुखी और समृद्धिशाली बना सकते हैं तो क्या यह राज्य वैभवशाली नहीं कहलावेगा। उद्योग-धन्धों के लिये बड़ा से बड़ा अनुदान हमारे सदन को मंजूर करना चाहिए था। सरकार ने जो कुछ भी इस दिशा में काम किया है उसमें बहुत कुछ तरक्की हुई है, लेकिन जिसकी हमें आशा थी वह नहीं हुई है और इसका कारण यह है कि जितने भी हमारे सरकारी अधिकारी इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं जिनको इन उद्योग धन्धों को पनपाने के लिये बड़ी-बड़ी तनख्वाहें मिलती हैं वे पुराने जमाने के नौकरशाह हैं। उनको हिन्दुस्तान की सभ्यता और संस्कृति ने छुआ तक नहीं है। वे तो पैन्ट, कोट और हैट लगा कर गाँव की जनता के सामने जाते हैं। साहब लोग यहाँ से चले गये, लेकिन वह साहबियत उन लोगों के अन्दर रह गयी है।

मैं चाहता हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन और अंग्रेजों के जमाने की जो प्रैक्टिस पब्लिक सर्वेंट्स को भरती करने की हमारी सरकार की है उसको तब्दील करने की अब जरूरत है। हमें उन सेवकों की जरूरत है जो गाँवों की झोपड़ियों और गलियों में जाकर गरीब जनता के दुख और दर्द से अच्छी तरह परिचित हों। मैंने देखा कि इन लोगों के अन्दर कोई दर्द जनता के दुखों का नहीं है। वे तो साहब बन कर जाते हैं और कतई काम नहीं कर सकते। इसलिये मैं सरकार से यह माँग करता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि उद्योग-धंधे इस सूबे के अन्दर पनपें तो आपको सही तरीके के सेवकों को रखना होगा और जो पब्लिक सर्विस कमीशन का पुराना ढर्रा है वह तो बरतानिया के हित सम्पादन का रहा है। हिन्दुस्तान के हितों की उसने हमेशा उपेक्षा की है। "The Public Service Commission has got the perfect genius to select servile and the unfittest" (लोक सेवा आयोग में नीच तथा सबसे अधिक अनुपयोगी व्यक्तियों को चुनने की पूर्ण प्रतिभा है।) मैं समझता हूं कि इस सिस्टम को इस मुल्क से खत्म कर देना चाहिए। तभी हमारे उद्योग-धन्धे इस मुल्क के अन्दर पनप सकते हैं। क्या कारण है कि हमारे किसान भाई जो ९० प्रति सैकड़ा हैं जिनकी आमदनी इन उद्योग-धन्धों के पनपने से बढ़ाई जा सकती है और जिनके घरों के अन्दर एक आशा का चिराग जगमगा सकता है उनके लिये इतनी छोटी रकम इस अनुदान के अन्दर रखी गयी है? इसका मुझे अफसोस है। मैं समझता हूं कि इस सदन के जितने भी माननीय सदस्य हैं वे अच्छी तरह जानते हैं कि किसानों की इतनी बड़ी तादाद के हितों का संचालन करने से आप राज्य की बड़ी से बड़ी ताकत को प्रोत्साहन देते हैं और उसका माथा ऊंचा करते हैं। इसलिये मैं नम्र निवेदन करूंगा कि यह सदन इस दिशा में सतर्क रहे और देखे की गाँवों के अन्दर गाँवों की जिन्दगी को एक नई दिशा में ले जाने के लिये इन उद्योग-धन्धों का फिर से हरा-भरा किया जाना अनिवार्य है।

श्री काली चरण टंडन (जिला फर्रुखाबाद)--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उद्योग मंत्री जी ने जिस तरह से अपने बजट को पेश करते हुये भवन के सामने छोटे-छोटे उद्योग-धंधों को पनपाने के लिये और उन्हें उन्नत करने के लिये विश्वास दिलाया उसके लिये वे भवन के धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जिन उद्योग विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा वे अपनी नीति का संचालन और उसको कार्यरूप में परिणत करने की व्यवस्था करते आये हैं उनकी जैसा कि मुझसे पहले बोलने वाले मित्र ने कहा इस तरह की कुछ आदतें पड़ी हुई हैं कि वे हृदय से उन नीतियों को जिनसे कि राष्ट्र की भलाई होने की बात है, जिनसे कि हमारे प्रान्त के उद्योग-धंधे पनपें और हमारे प्रान्त की आर्थिक व्यवस्था सुधरे इस पर आज तक ध्यान न देकर वे अपने कामों को कागजी खानापूरी तक ही सीमित रख कर संतुष्ट हो जाया करते हैं।

मुझे इस संबंध में आपके सामने लखनऊ के एक कारखाने की रिपोर्ट रखना है जिसके बारे में बड़ी-बड़ी लम्बी और चौड़ी आशायें बंधाई गई थीं और कहा गया था कि निकट भविष्य में यह कारखाना जिसमें थर्मामीटर वगैरह बनते थे इस हद तक तरक्की करेगा कि हिन्दुस्तान में अपनी किस्म का पहला और आदर्श कारखाना होगा। लेकिन इस रिपोर्ट के देखने के बाद शायद ऐसा मालूम होता है कि वहाँ के कर्मचारी और अधिकारीवर्ग ने अपने कर्त्तव्य का पालन ठीक तरह से नहीं किया। जिसकी वजह से जो मुनाफा तथा उन्नति होने की आशा थी वह नहीं हुई, बल्कि काफी हद तक नुकसान पहुंचा और वह उद्योग-धंधा जिसके बढ़ने से हमारे प्रांत की उन्नति हो सकती थी संकटापन्न अवस्था में पहुंच रहा है।

दूसरी ओर मुझे यह जानकर बड़ा अफसोस होता है कि हमारे उद्योग-धंधे से संबद्ध जो डायरेक्टर का आफिस कानपुर में है, वहाँ से कोयले का जो एलाटमेंट होता है (इस सिलसिले में काफी शिकायतें हमारे सामने आई हैं) वहाँ पर कोयले का एलाटमेंट करते वक्त इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता है कि कौन उद्योग किस महत्ता का है बल्कि संबद्ध अधिकारी जिससे जितना प्रसन्न हो जाय उतना ही अधिक या कम कोयले का एलाटमेन्ट होता है। मेरे यहाँ कन्नौज में एक कुटीर-उद्योग है जिसको इत्र के उद्योग के नाम से पुकारा जाता है। उसको चलाने के लिये संदल के तेल का बेस बनाया जाता है। चंदन का तेल बनाने की हमारे प्रान्त में एक ही फैक्टरी कन्नौज में है, जो इस तेल को बनाती है। बाकी फैक्टरीज मद्रास, बम्बई और मैसूर में हैं, जिनपर बड़ी-बड़ी लागत लगी हुई है और जिनके संचालन में वहाँ की स्टेट सरकार बड़ी सहायता दे रही है। इस छोटे से उद्योग को कोयले का ठीक तरह से एलाटमेंट न होने से परेशानी पहुंच रही है।

इसी तरह से आपके उद्योग-धंधा विभाग की ओर से जो ब्वायलर्स इंस्पेक्टर्स हैं वह जहाँ कहीं भी दौरे पर जाते हैं, उनके संबंध में हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब तक उन उद्योग-धंधे का संचालक उनको प्रसन्न नहीं कर देता है और अगर कोई ऐसा संचालक हो जिसने कसम खाई हो कि वह गलत ढंग से उनको प्रसन्न करना नहीं चाहता है तो उसको तरह-तरह से परेशान किया जाता है और कितने दिनों तक फैक्टरी बन्द रहती है। इसकी कोई परवाह नहीं की जाती है।

इसी तरह से आज आपके प्रांत में कपड़ा जो देहात में बुना जाता है उसके संबंध में भी बड़ी अव्यवस्था फैली हुई है। सब चीजों का डिकंट्रोल (विनियंत्रण) हो जाने पर भी सूत का ठीक उत्पादन न बढ़ने के कारण तथा उसके वितरण में कुछ खामियां होने की वजह से कोरी और जुलाहे बड़ी परेशानी की हालत में हैं और इन सबकी दशा इस वक्त इस हद तक खराब हो चुकी है कि अगर हमने जल्दी ही इस गृह उद्योग को जो इस वक्त संकटाकीर्ण अवस्था से गुजर रहा है कोई सहारा नहीं दिया और ठीक से सूत के उत्पादन और वितरण की व्यवस्था का जो भी क्रम इस उद्योग के लिये जरूरी है न करने की बात सोची तो और भी ज्यादा खतरा पैदा हो सकता है।

इसी तरह हमारे कई साथियों ने अपने-अपने सुझाव इस संबंध में उद्योग मंत्री के सामने रक्खे। गुड़ विकास योजना को स्थगित किया जा रहा है इसका जो मंत्री जी ने अपनी बजट स्पीच में उल्लेख किया है यह बात किसी तरह से मुनासिब नहीं है। अभी भी देहात में गुड़ विकास योजना को समझाने के लिये बहुत बड़ा फील्ड (क्षेत्र) है, खासतौर से उस इलाके में जिसमें फर्रुखाबाद जिला भी आता है, जहाँ चीनी की कोई मिल नहीं है। गन्ना पैदा करने वाले लोगों को इस तरह की विकास योजना से अधिक फायदा हो सकता है क्योंकि उसी के आधार पर वह अपने माल की कीमत अच्छी पा सकते हैं। मुझे आशा है कि इन दिक्कतों को जिनके आधार पर हमारे जरूरी उद्योग-धंधों को ठेस लग रही है उन्हें दूर करने की ओर हमारे मंत्री महोदय और मंत्री महोदय से अधिक उन उद्योग धंधों में लगे हुए अधिकारियों और कर्मचारियों से साग्रह अनुरोध करूंगा और आशा करूंगा कि वे अपने कर्त्तव्य पालन करने में ज्यादा दृढ़ता से काम लेने का प्रयत्न करेंगे।

श्री मदन गोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)--माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आपने अनुग्रह करके जो बोलने का अवसर दिया है उसमें सब से बड़ी खूबी यह है कि आज मुझे उस विषय पर बोलने का अवसर मिला है जो ग्राम की बेरोजगारी का विषय है, जो अनाथों का विषय है। हमारे मंत्री महोदय ने जो बजट पेश किया है वह बहुत ही गरीबी का बजट पेश किया है। हमारे प्रान्त का बजट ६०-६५ करोड़ का बजट है। उसमें से हमारे मंत्री जी ९४ लाख रुपये हड़पने में सफल हो सके हैं। यह हमारी असफलता, गरीबी और बेरोजगारी का निर्देशन मात्र है। जहाँ तक उद्योगों का संबंध है हमारे देश का उद्धार तो महज उद्योगों पर निर्भर है लेकिन सरकार ने इस संबंध में जो नीति अपनाई है उसका समर्थन करते हुए और सरकार की नेकनियती में पूरा विश्वास करते हुए भी अनेक ऐसी बातें हैं जिनके संबंध में मुझे आपके सामने निवेदन करना है। हमारी सरकार बड़े अच्छे शब्दों में, बड़े अच्छे आँकड़ों के साथ इस बात का प्रयत्न करती रही है कि सरकार की तरफ से उद्योग विकास का संचालन बड़ी अच्छी तरह से हो रहा है, लेकिन जब हम उसकी धनराशि को देखते हैं तो उसे देख कर बड़ी निराशा हो जाती है।

धनराशि की बात जाने दीजिए। हमारा देश बड़ा गरीब है लेकिन अगर हम नीति के ऊपर आयें तो उससे भी बड़ी निराशा होती है। मैं यह समझता हूं कि हमारे प्रदेश के अन्दर बहुत जबरदस्त बेरोजगारी है। सरकार की तरफ से जो नीति अपनाई जाती है उसके संबंध में ऐसे रास्तों को अपनाया जाता है जिससे ग्राम उद्योग को क्षति पहुंचती है और ग्राम वासियों को बहुत ज्यादा तादाद में बेरोजगार हो जाना पड़ता है। यह सब जानते हैं कि हमारे देश में कड़वे तेल का काम कोल्हू से निकलता है लेकिन उसके लिये बराबर लाइसेंसेज और पावर परमिट्स दिये जाते हैं जबकि हमारे देश की बेरोजगारी इतनी अधिक बढ़ी हुई है। पावर परमिट्स और बिजली देने से ग्राम उद्योगों का विनाश होता जा रहा है। चावल हम कूट कर खा सकते हैं, हजारों स्त्रियाँ उसमें काम करती हैं लेकिन उसके लिये पावर कनेक्शन दिये जा रहे हैं। इससे गाँवों में घरेलू उद्योग-धंधे नष्ट हो रहे हैं और बेरोजगारी का सवाल बढ़ता जाता है। इसलिये सरकार से निवेदन है कि जो काम ग्राम-उद्योग के जरिये से हो सकता है उन सभी उद्योगों के लिये पावर कनेक्शन्स देना बन्द कर दिया जाय ताकि ग्राम की बेरोजगारी में कोई बढ़ती न हो।

दूसरी एक बात हमारी समझ में यह भी आई है कि सरकार की तरफ से जो उद्योग खोला जाता है तो उन उद्योगों के संरक्षण के लिये, जब दूसरे प्राइवेट उद्योगों से मुकाबला होता है तो कोई तरजीह नहीं दी जाती है जिससे उनको वह विकास नहीं मिल पाता जो कि उनको मिलना चाहिये। हमारे फैजाबाद जिले के अन्दर १० हजार जुलाहों की संख्या है

[ श्री मदनगोपाल वैद्य ]

लेकिन उनको किसी तरह से भी कोई तरजीह नहीं दी जाती है इसका नतीजा यह होता है कि उनको अपना माल लागत से कम कीमत पर बाजार में बेचना पड़ता है । इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इन जुलाहों के लिये भी कुछ तरजीह देने का सवाल उठता है । फैजाबाद में गुड़, शीरा और खंडसारी का बहुत बड़ा रोजगार चलता था। वहां पर सड़कों पर रास्ता नहीं मिलता था लेकिन आज वह रोजगार चीनी की मिल खुल जाने की वजह से बरबाद हो गया है । उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग रोजगार के अन्दर लगे हुये थे लेकिन आज वहां पर बेकारी है और बेरोजगारी है । वे लोग कर्जदार हैं और अपने मकान बेच कर अपना पेट भर रहे हैं। आज यह अवस्था है।

एक तरफ तो कहा जाता है कि चीनी उद्योग में हमारा प्रान्त उन्नति करता जा रहा है किन्तु उसकी जो प्रतिक्रिया होती है उसके लिये कुछ विचार करना आवश्यक है । जो लोग शीरा और खंडसारी के काम में लगे हुये थे आज वह बेकार हैं और उनके पास कोई रोजगार नही है । वे लोग कर्जदार हैं और अपने मकान बेच रहे हैं। सरकार की तरफ से जो रिपोर्ट प्रकाशित होती है तो उसमें कहा जाता है कि चीनी के मामले में हम उन्नति कर रहे हैं और उसके आंकड़े भी रखे जाते हैं लेकिन इस बात के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं कि उससे कितने ग्राम उद्योगों को नष्ट कर दिया जाता है ।

इसके अलावा हमने यह भी अनुभव किया है कि अगर सरकार की तरफ से कोई नया उद्योग खोला जाता है तो कुछ दिन के बाद उसको बन्द कर दिया जाता है और वह दूसरी जगह खोल दिया जाता है सरकार अपनी रिपोर्ट में यह लिख देती है कि हम नये उद्योग खोल रहे हैं और दूसरी जगह उसको खोल दिया जाता है । हमारे यहां फैजाबाद में कागज बनाने के स्कूल थे । वहां पर हाथ से कागज बनाया जाता था लेकिन उसको बन्द कर दिया गया । उसका नतीजा यह हुआ कि उसके अन्दर जो सामान था वह गुदड़ी बाजार में जाकर सैकड़ों रुपये की चीजें मामूली दामों पर बिकी हैं । कहने के लिये रिपोर्ट में छाप दिया जाता है कि फलां जगह उद्योग खोला गया है और वहाँ पर और रुपया लगा कर उस उद्योग को कायम किया जाता है फिर कुछ दिन के बाद उसको बन्द कर दिया जाता है और उसमें जितना रुपया लगा रहता है वह बरबाद हो जाता है ।

दुनिया जानती है कि रानीवान आश्रम कितना अच्छा काम कर रहा था और कितना जबरदस्त यह उद्योग चल रहा था । हमारा प्रदेश इस कारखाने पर फख्र करता था लेकिन क्या कभी सरकार ने सोचा कि इस कारखाने की तरफ ध्यान दिया जाय और इसकी कुछ मदद की जाय । सन् १९४२ ई० के जमाने में जब हम लोग जेल में चले गये और गिरफ्तार हो गये तो जितने पुलिस के कर्मचारी थे उन्होंने एक-एक, दो-दो जोड़ा जूता वहाँ से लाये थे।

श्री जयेन्द्र सिंह बिष्ट (जिला टेहरी-गढ़वाल)--श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, उद्योग विकास के लिये जो अनुदान इस वक्त पेश किया गया है उस पर बहुत कुछ भाषण मैंने सुने हैं । जहाँ तक उद्योग-विकास और उद्योग-धंधों का प्रश्न है वह देश की उन्नति में आवश्यक अंग माना जाता है और उसके लिये मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह बहुत ही आवश्यक अंग है । चाहे हमारा प्रान्त कृषि प्रधान देश हो लेकिन कल्याण के लिये उद्योग-धंधों का विकास होना अत्यन्त आवश्यक है । लेकिन उद्योग-धंधों के विकास के लिये सब से पहले यह आवश्यक है कि उसके लिये सारे साधन मौजूद हों और इसीलिये वहाँ उद्योगों के साधन इस देश में मौजूद हैं और कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं इस बात का सरवे (पर्यालोचन) होना बहुत आवश्यक है। अभी देहली में काटेज इंडस्ट्री के संबंध में जो काँफ्रेंस हुई थी उसमें उन्होंने एक ४ प्वाइंट प्लान रखी है। उसमें एक बात यह रखी गयी है कि इस बात की डिटेल्ड सरवे (विस्तृत पर्यालोचन) कराई जाये कि काटेज इंडस्ट्रीज की

अलग-अलग कहाँ कहां पूरी सुविधायें प्राप्त हैं और कौन-कौन उद्योग कहाँ-कहां सफल हो सकते हैं। केन्द्रीय सरकार ने सब स्टेट्स से इस बात की जानकारी (सरवे) कराने की बात इस बारे में माँगी है कि वह अपने-अपने प्रदेश की रिपोर्ट उसके पास भेजें। पहले सरवे होना बहुत आवश्यक है, बाकी प्रोग्राम तो डिटेल (विस्तार) का सवाल है।

जहाँ तक पर्वतीय इलाकों का सवाल है मुझे खुशी हुई कि माननीय राज्यपाल महोदय ने अभी नैनीताल में एक कानफ्रेन्स की थी जिसमें उन्होंने जंगलात के तमाम अफसरों और डी० एस० ओज० को भी बुलाया था। वहाँ उन्होंने एलान किया कि पहाड़ी प्रदेशों की तरक्की अवश्य होनी चाहिये और उसके लिये उन्होंने सुझाव माँगे हैं। जो सुझाव रक्खे गये हैं उनमें खास बात काटेज इंडस्ट्री की ही रखी गयी है। दूसरे वहाँ पर रेजिन और टरपेनटाइन की इंडस्ट्री भी होनी चाहिये और उसका रामेटीरियल (कच्चामाल) अधिक मात्रा में वहाँ प्राप्त होना चाहिये। ऐसे पौधे भी वहाँ लगाये जा सकते हैं जिनसे स्पोर्ट्स का सामान तैयार हो सकता है और स्पोर्ट्स के मेटीरियल का उद्योग भी वहाँ चल सकता है। फलों के पौदों और आर्चर्ड्स (बाग) की भी तरक्की वहाँ होनी चाहिये। ये चीजें अवश्य वहाँ थोड़े उद्योग से तरक्की कर सकती हैं। आशा है कि माननीय राज्यपाल ने इस ओर ध्यान दिलाया है, इसलिये सरकार जरूर इस दिशा में गौर करेगी।

इसके साथ-साथ मैं अपने थोड़े सुझाव भी देना चाहता हूं कि पहाड़ी इलाकों में और खास-तौर से हमारे जिले में किन-किन उद्योगों के विकास की आवश्यकता है और वहां उनके लिये क्या क्या प्रासपेक्टस (संभावनायें) हैं। इनको सदन के सामने विचार के लिये रखना बहुत आवश्यक है। सबसे पहली बात यह है कि वहाँ टरपेनटाइन इंडस्ट्री चल सकती है। यह भी एक बहुत आवश्यक चीज है। पेपर पल्प भी यहाँ अच्छे तरीके से तैयार हो सकता है और इसके लिये एक योजना भी बनायी गयी थी लेकिन उसका प्रचार नहीं किया गया। इसके अलावा वहाँ अखरोट के दरख्तों को भी तरक्की दी जा सकती है। फल के अलावा उससे बन्दूकों के बट्स भी बनते हैं और वह लकड़ी कलकत्ता तक भेजी जाती है। इसके अलावा वहाँ खैर के दरख्त पाये जाते हैं, जिनसे कत्था तैयार होता है और इस उद्योग की भी वहाँ बहुत गुंजाइश है। जड़ी-बूटी के भी यहाँ बहुत से ठेके होते हैं और वह बाहर को भेजी जाती हैं। अगर इनकी भी इंडस्ट्री अपनी ही प्रान्त में बढ़ाई जाय तो अधिक लाभ हो सकता है, और यहाँ दवायें तैयार की जा सकती हैं। ऊन इंडस्ट्री के लिये भी वहाँ बहुत गुंजाइश है। पहले उत्तर काशी में इसके लिये एक स्कूल भी था लेकिन राज्य-विलीन होने के बाद वह तोड़ दिया गया है। स्टेट के जमाने में वह स्कूल अच्छी तरह से चल रहा था। हम चाहते हैं कि वहाँ ऊन इंडस्ट्री को भी उन्नति देने का प्रबन्ध किया जाय।

श्री धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)--माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपकी आज्ञा से माननीय उद्योग मंत्री द्वारा प्रस्तुत माँग पर कुछ कहना चाहता हूं। माननीय उद्योग मंत्री जी ने जो अनुदान सदन के सामने रक्खा है उसको देखते हुए आज हमें इस बात पर विचार करना है कि इन अनुदानों के द्वारा वास्तव में जिन उद्योग-धंधों के लिये माँग की गई है उनको सही तरीके से हम पूरा कर पाते हैं या नहीं। हम इन उद्योग-धंधों के द्वारा अपने प्रदेश का फायदा कराना चाहते हैं और पिछली सरकारें भी इन उद्योग-धंधों के द्वारा प्रयत्न करती रही हैं परन्तु उचित मात्रा में अभी हमें साधन प्राप्त नहीं हुए हैं।

इस समय मुख्यकर दो प्रकार के उद्योग-धंधे हमारे प्रदेश में चलते हैं। एक तो छोटे-छोटे घरेलू उद्योग-धंधे हैं और दूसरे बड़े बड़े उद्योग हैं। छोटे उद्योगों में चमड़े का काम, गुड़, खादी, कागज वर्धा घानी आदि आते हैं। जब तक कोई उद्योग की दृष्टि से नहीं

[श्री धर्मदत्त वैद्य]

किया जाता है तब तक वह उद्योग नहीं कहा जा सकता और न वह चल ही सकता है। हमने खादी के लिये पिछले वर्षों में बहुत प्रयत्न किया है। लेकिन आज भी गाँधी आश्रम में लाखों रुपये की खादी पड़ी हुई है। खादी के लिये आज मार्केट नहीं है। खादी का उत्पादन करना एक बात है और उसके लिये निकासी करना दूसरी बात है। जब तक किसी उद्योग के लिये मार्केट तैयार न किया जाय तब तक वह सफल नहीं हो सकता है। मार्केट भी उतनी ही आवश्यक चीज है जितना कि उत्पादन। खादी हमारे यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में पैदा होने लगी है परन्तु उसके पहनने वाले बहुत कम हैं। जितनी मात्रा में खादी तैयार होती है अगर उसकी उतनी मात्रा में माँग नहीं होती है तो वह पड़ी पड़ी सड़ेगी। अगर सरकार खादी को संरक्षण देना चाहती है और खादी के उद्योग को बढ़ाना चाहती है तो उसका यह कर्त्तव्य हो जाता है कि उसके लिये मार्केट तैयार करे और उसकी निकासी का प्रयत्न करे। इसी प्रकार वर्धा धानी के लिये हमारी सरकार हमेशा मदद देती रही है और अब भी कुछ रुपया उसके लिये रखा है। परन्तु वह काफी नहीं है और जब तक ठीक सहायता प्राप्त नहीं होती तब तक कोई व्यवसाय सफल नहीं हो सकता।

मैं माननीय अध्यक्ष के द्वारा माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे कोई भी उद्योग क्यों न हो जब तक उसकी दो बातें सामने नहीं रखी जाती हैं तब तक वह नहीं चल सकता है। एक तो उत्पादन और दूसरे उसको निकालने के लिये बाजार। आज हमारे प्रदेश में बहुत से बड़े-बड़े उद्योग भी हैं। लेकिन उनका आगे बढ़ना और पनपना बहुत मुश्किल हो गया है। हमारी सरकार चाहती है कि उन्हें आगे बढ़ाया जाय किन्तु इसमें बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ हैं। आज जो बड़े काम करने वाले लोग हैं उनसे एक रुपया पैदा करने पर दस आने टैक्स के रूप में ले लिये जाते हैं। सात आने कारपोरेशन टैक्स के और कुछ सेल्स टैक्स वगैरह हैं। रुपये में दस आने देने से उसका उत्साह भंग हो जाता है। इस प्रकार जो लोग कुछ करना चाहते हैं उनके दिलों में आज उतना उत्साह नहीं रह गया है। जो छोटे-छोटे उद्योग हैं उनको हम यह समझते हैं कि वे हमारे ग्राम-उद्योग के अंग हैं और हमारे साधारण जीवन के लिये आवश्यक हैं। उनको प्रारंभ करके बहुत से लोगों को रोजी दिलाने का सवाल तो एक चीज हैं किन्तु उनको उद्योग की दृष्टि से चलाना दूसरी बात है। दूसरे भी बड़े बड़े उद्योग हैं। सरकार का कर्त्तव्य है कि उनको प्रोत्साहन दे और आगे बढ़ाये। उनको प्रोत्साहन देने से हमारे प्रान्त के बहुत से लोगों को काम मिलता है। सरकार की आय बढ़ती है। अगर सरकार का ध्यान इस ओर जावे तो सरकारी कोष भी इससे बढ़ेगा और लोगों को काम भी मिलेगा।

इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि बरेली में केन्द्रीय काष्ठ-कला विद्यालय में लाखों रुपये की मशीनें लगी हुई हैं और उनका कोई इस्तेमाल नहीं होता। थोड़ा सा काम सिखाया जाता है और बहुत सा रुपया व्यर्थ में बरबाद किया जा रहा है। बड़े बड़े उद्योगों में और भी बहुत से काम हैं। जैसे बरेली में कत्थे का काम है। लेकिन उसकी एक मानोपली (एकाधिकार) सी है। हमारे प्रदेश की सरकार को उसकी ओर भी ध्यान देना चाहिये। अगर हमारी सरकार कुछ करना चाहती है तो उसको बड़े-बड़े उद्योग-धंधों में शेयर (हिस्से) खरीद कर उनको प्रोत्साहन देना चाहिये। इससे हमारे प्रदेश की व्यवस्था बहुत कुछ संभल सकती है। लेकिन हमें जो सफलता नहीं मिलती उसका कारण यही है कि या तो सरकार ने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया था। जिन कर्मचारियों के सुपुर्द यह काम है उन्होंने उसमें इतना हिस्सा नहीं लिया जितना कि लेना चाहिये, या उस लगन के साथ नहीं लिया जिससे कि कोई काम आगे बढ़ाया जा सकता है।

समय नहीं है नहीं तो मैं इस संबंध में बहुत सी बातें कहना चाहता था। मैं माननीय मंत्री को बहुत से सुझाव दूंगा और चाहूंगा कि हमारे प्रदेश में जो बहुत से अच्छे उद्योग-धंधे हैं जैसे फल संरक्षण, तथा कालीन दरी वगैरह, उनको प्रोत्साहन देना चाहिये। क्योंकि इस समय मेरे पास समय नहीं है और जो समय मुझे अध्यक्ष जी ने निर्धारित किया है उससे अधिक मैं लेना नहीं चाहता। इसलिये बाकी जो बातें हैं उनको मैं मंत्री जी के सामने प्रस्तुत करूंगा।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे खास बात जो हमने माननीय मन्त्री के व्याख्यान में पायी वह यह थी कि अपनी इंडस्ट्रियल पालिसी ( औद्योगिक नीति ) को बतलाते हुए उन्होंने 'हेवी इंडस्ट्रीज' ( बड़े उद्योगों ) के बारे में कोई खास जिक्र नहीं किया और उन्होंने यह भी नहीं बतलाया कि हमारी नीति, जो हेवी इंडस्ट्रीज हैं जो बड़े-बड़े उद्योग-धंधे हैं उनके बारे में क्या नीति होनी चाहिये। सन् १९४९-५० में इंडस्ट्रियल फाइनेंस कमीशन (औद्योगिक वित्तायोग) बनाने की बात यू० पी० गवर्नमेण्ट की रिपोर्ट में कही गयी थी लेकिन तब से इस हेवी इंडस्ट्रीज के मामले में इस मुख्य बात को किसी प्रकार से कार्यान्वित नहीं किया गया है। प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट में 'ज्वाइंट' पार्टिसियेशन इंडस्ट्री '----' इन के बारे में खास कर कहा गया है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई।

जहाँ तक काटेज इंडस्ट्रीज (कुटीर उद्योगों )का सवाल है सब से बड़ी कमी आज काटेज इंडस्ट्रीज के लिये कच्चे माल की है। फर्रुखाबाद के प्रिंटिंग के काम को ही ले लिया जाय। फर्रुखाबाद के प्रिंटिंग की माँग यू० एस० ए० और इंगलैंड से होती है, लेकिन यहाँ कच्चे माल की कमी की वजह से वह माँग पूरी नहीं हो पाती है। टाँडा की प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज की भी यह हालत है कि पहले वहाँ का बहुत सा कपड़ा नेपाल को जाता था लेकिन कच्चा माल मिलने की सुविधा न होने से वह इंडस्ट्री भी इसी तरह से बेकार पड़ी हुई है। कुमायूं के बागेश्वर मेले वगैरह में ऊन द्वारा तैयार की हुई दस्तकारी की चीजें काफी तादाद में तिब्बत जाती थीं, लेकिन अब कच्चा माल न मिलने की वजह से इस साल बहुत कम माल जा सका है। सबसे बड़ी कमी जो गवर्नमेण्ट की पालिसी स्टेटमेंट में दिखलाई देती है वह यह है कि किसी भी प्रकार की काटेज इंडस्ट्रीज को धन की कमी के अलावा माल की कमी से भी उनको वंचित रखा जा रहा है।

इसके साथ ही साथ सन् १९४९-५० में तीन किस्म की स्कीमें बनायी गयीं जिनमें इलाहाबाद में रेयन फैक्टरी के लिये ६ लाख रुपया दिया गया, डान कोल माइंस गोंडा के लिये एक लाख रुपया रक्खा गया और पूर्वी जिलों के लिये एक क्राफ्ट पेपर फैक्टरी के लिये ५० लाख रुपया रक्खा गया लेकिन वे तीनों स्कीमें ठप कर दी गई और सब रुपया बेकार हो गया। यही हालत गवर्नमेन्ट प्रेसिशन इंस्ट्रूमेंट फैक्टरी लखनऊ की है। गवर्नमेन्ट ने बतलाया था कि यहाँ पर हजारों की संख्या में वाटर मीटर्स बनाये जायंगे लेकिन सन् १९५१ में जब गवर्नमेंट की रिपोर्ट सामने आयी तो मालूम हुआ कि माह में एक हजार वाटर मीटर्स बनते हैं फिर बाद में जो रिपोर्ट मिली उससे मालूम हुआ कि ८०० माहवार बनते हैं अब यह जरा सोचने की बात है कि जहाँ पहले ४,५०० वाटर मीटर्स बनाने की बात थी वहाँ एक हजार ही बने और उनमें से भी बाद को ८०० ही निकले। सबसे बड़े ताज्जुब की बात यह है कि कुल जगह एक हजार मीटर्स ही तैयार किये जा सके यह बड़े आश्चर्य की बात है। सरकार को चाहिये कि इसकी पूरी इनक्वायरी करावे। जहाँ तक इन वाटर मीटर्स के वेल्डिंग और फन की बात है इसके लिये उनको पंजाब आयरन वर्क्स में भेजा जाता है और जो काम यहाँ ३० हजार रुपये में हो सकता

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

था उसके लिये इन तीन सालों में पंजाब आयरन वर्क्स को करीबन एकलाख रुपया दिया गया है । इन वाटर मीटर्स को एक्सपेरिमेंट के लिये बाहर भेजा गया है जो विफल रहा ।

आल इंडिया रेडियो के पास जाँच के लिये रेडियो भेजा गया, आर०सी० ए० रेडियो के पार्ट्स थे उनको भी मिलाकर भेजा गया लेकिन वह भी असफल रहा । ऐम्प्लीफायर के भी पार्ट्स वगैरह बाजार से लेकर ठीक करके बम्बई जाँच के लिये भेजा गया लेकिन वह भी फेल हो गया । इतना बड़ा स्कैंडल प्रेसीजन फैक्टरी में हो रहा है फिर भी हम देखते हैं कि ६ लाख रुपया इस साल के लिये रखा गया है ।

इसके साथ ही साथ केवल इतना ही नहीं गन मैटिल उनके पास था । ११८ रुपया हंडरवेट उसका रेट था, लेकिन वह ९० रुपये हंडरवेट से बेचा गया और इस तरह से लगभग १० हजार रुपये का नुकसान हुआ । उनका वेल्डिंग चारजेज ६ रुपये ८ आने से बढ़ा कर १४ रुपये कर दिया गया और इस तरह से सरकार को हजारों रुपये का नुकसान हुआ । जिस प्रेसीजन फैक्टरी के लिये बड़ा ढिंढोरा पीटा गया था कि थर्मामीटर बनेगा, वाटरमीटर बनेगा और क्या क्या बनेगा लेकिन वह भी बिलकुल नाकामयाब रही । तो मैं चाहता हूं कि कम से कम जो नमूना लखनऊ में उन्होंने कायम किया है उसी को ऊपर उठावें ताकि मालूम हो सके कि मन्त्री जी ने जो नया चार्ज लिया है उसमें से करप्शन दूर हो रहा है और वह साफ हो रही है और जो काम हम चला रहे हैं सही चला रहे हैं और ठीक प्रकार चला रहे हैं ।

श्री हुकुम सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जब मैं इस अनुदान को पेश कर रहा था तो मेरे दिमाग में यह बात बड़े जोरों से पैदा हो रही थी कि आज इस अनुदान के वाद-विवाद के सिलसिले में सोशलिस्ट पार्टी के उद्योग मन्त्री से मुझे बहुत बड़ी सहायता मिलेगी और यह भी इसलिये मेरे दिल में बात आयी कि डिप्टी लीडर साहब सोशलिस्ट पार्टी के अक्सर औकात यह कहा करते हैं कि अगर इधर बैठने का इन्हें मौका दिया जाय तो कुछ करके दिखावें कि किस ढंग से हुकूमत का इंतजाम किया जाता है । तो यह दावा था उस तरफ का । इस से मेरे दिल में यह स्वाभाविक था कि ऐसी भावना पैदा हो कि आज मुझे कुछ नई नई बातें सुनने का मौका मिलेगा, लेकिन मैं शुरू ही में कह देना चाहता हूं कि मुझे बड़ी नाउम्मेदी हुई अपने भाई गजेंद्र सिंह की तकरीर सुनकर । उन्होंने कहा यह जो बजट है यह विनाश बजट है । इसे विनाश बजट बताया । यह राय तनहा उन्हीं को मालूम हुई । जितने माननीय सदस्यों ने इस अनुदान पर व्याख्यान दिये उन लोगों ने ऐसा कोई ख्याल जाहिर नहीं किया । यह बात सुनने के बाद मेरे दिल में एक ऐसा ख्याल पैदा हुआ कि मेरे भाई सोशलिस्ट उद्योग मंत्री इस गलतफहमी में हैं कि मैंने जमींदारी विनाश बिल पेश किया था । लिहाजा उद्योग के सिलसिले में भी मैंने विनाश बजट पेश किया है शायद इस भावना से ऐसी बात कही । उससे न मुझे कुछ लाभ हुआ और न इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों को ही ।

उन्होंने यह भी एक बात कही कि इंडस्ट्रीज के नैशनलाइजेशन के बारे में इसमें कोई प्रबन्ध नहीं है । मैं क्या बताऊं, अपना दिल खुश करने के लिए अकैडेमिक डिस्कशन (शास्त्रीय वाद-विवाद) के लिए ख्याल बहुत अच्छा है, पाक है । लेकिन मैं अपने दोस्त का ध्यान इंडस्ट्रीज रेगुलेशन ऐंड डेवलपमेंट ऐक्ट सन् १९५१ ई० जो कि केन्द्रीय सरकार ने पास करके लागू किया है उस तरफ दिलाना चाहता हूं । इन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का कंट्रोल उनके हाथ में है । उनके हाथ में होते हुए मुझसे यह कहना कि इंडस्ट्रियलाइज (उद्योगीकरण) कीजिये मैं कैसे करूं । अगर कोई आदमी राइट परसन [उचित व्यक्ति] के पास न्याय के लिए नहीं जाता है तो उसको न्याय नहीं मिल सकता है चाहे वह कितना ही मुस्तहक हो न्याय पाने के लिए । तो दुनिया को दिखाने के लिए, प्रचार के लिए यह कहना कि उद्योग मंत्री सोशलिस्ट पार्टी के नेशनलाइजेशन करना चाहते हैं

R.A. 717

बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज को जिनको कतई ऐसा करने का अख्तियार नहीं। तो इन सब बातों से कुछ फायदा होने वाला नहीं है।

किसी हमारे भाई ने कहा कि इंश्योरेंस और बैंकिंग को भी नैशनलाइज करना चाहिए उसी तरफ से यह भी सुझाव आया। लेकिन अगर कॉंस्टीटयूशन की यूनियन लिस्ट देखी जाय तो इंश्योरेंस और बैंकिंग उस लिस्ट में हैं। उसमें भी हम को, आप को अधिकार नहीं। लिहाजा जब ऐसे सुझाव मिलें तो अगर इस तरफ मौका दिया जायगा तो गवर्नमेन्ट को किस गड्ढे में गिरा देंगे, हम कह नहीं सकते। अगर इस विचार से वे इस तरफ आना चाहते हैं तो लिखिए इस सूबे को और हम को। ऐसी गलती हम करना नहीं चाहते।

इसके बाद बातें बहुत कही गयीं, वक्त कम है। ज्यादा वक्त लेना भी नहीं चाहता। लेकिन हर माननीय सदस्य को यह हक है कि वे मेरे कमरे में जिस वक्त चाहे उस वक्त मुझ से बात करें अपने सुझाव मुझे दें और मेरी मुश्किलात को हल करने की कोशिश करें। यहाँ तो वक्त महदूद है। सब के दिलों की बातें दिल ही में रह जाती हैं। हमारे बहुगुना जी कई मरतबा खड़े हुए मौका नहीं मिला। लेकिन मैं उनसे कहता हूं कि हर वक्त उनकी सेवा के लिए तैयार हूं और अन्य भाइयों की सेवा के लिये भी तैयार हूं।

यह भी कहा गया कि अब की बजट कम हो गया। ९६ लाख पहले था। अब ९४ लाख है। मैं क्या कहूं। डरते-डरते मैंने पेश किया था कि ऐसा न हो कि बहुत ज्यादा हो और नामंजूर कर दें। लेकिन मैं बताऊं कि कम नहीं हुआ। पारसाल के बजट में साढ़े पाँच लाख रुपया खादी के खरीदने के लिए था। वह अब की इस बजट में नहीं है दूसरी जगह है।

अगर वह रकम भी हम इसमें जोड़ दें तो पारसाल से ज्यादा हो जाती है। इस तरह से एक रकम और भी ४-५ लाख की है जो कि कानपुर में एक स्कूल खोलने के लिये जमीन अक्वायर (अर्जन) करने के लिये है। अभी यह बात निश्चित नहीं है कि जमीन कब अक्वायर की जाय, लिहाजा खामख्वाह बजट में रख करके अगर हम एक लम्बी रकम दिखला दें तो फिर यह शिकायत होगी कि रकमें ली जाती हैं, पर खर्च नहीं कर पाते। लिहाजा वह भी नहीं रखी गयी। इस तरह से ये दो रकमें फाजिल थीं वे नहीं रखी गयीं। इस वजह से यह कमी है। अगर इन दोनों का हिसाब जोड़ा जाय तो पारसाल से हमने ज्यादा रकम रखी है और वही रकम हमने रखी हैं जिन्हें हम प्रयोग कर सकें और इस विभाग को लाभदायक बना सकें। लिहाजा कमी नहीं। खैर छोटा आदमी जब माँगने जाता है तो डरते-डरते माँगता है। अब की मैंने यह उदारता देखी कि लोग हमको ज्यादा देने के लिये तैयार हैं तो आइंदा मैं इस बात की अहतियात करूंगा और ज्यादा माँगन की कोशिश करूंगा।

हमारे कुछ मेम्बरों ने कहा कि अलीगढ़ की लाक (ताले) की इंडस्ट्री के बारे में कोई तवज्जह नहीं की जाती। वहाँ गवर्नमेन्ट ने एक इंडस्ट्री खोली और उसमें स्टैंडर्ड (प्रामाणिक) माल को बनाने के लिये उद्योग कर रही है और उसमें क्वालिटी में जो गड़बड़ी हुई थी उसको ठीक करने का उद्योग कर रही रही है। इसके अलावा ताला बनाने वालों की एक कोआपरेटिव सोसाइटी कायम की गयी है। उनको माली सहायता दी गयी है और कच्चा माल भी उनको दिया गया है।

इसी तरह से बनारस के मेटिल वर्क (पीतल का काम) के लिये ५० हजार इसमें रखा है और अगर कमी पड़ेगी तो हम फिर सप्लीमेंटरी (अनुपूरक) के जरिये से दरख्वास्त करेंगे कि हमें और दिया जाय। उसके रिवीजन (पुनरीक्षण) के लिये मैंने तकरीर में भी जिक्र किया था और दूसरी हैंडी क्राफ्ट इंडस्ट्री के बारे में जो कहा गया उसके बारे में मैं जरूर मानता हूं कि जितना ध्यान देना चाहिये था वह नहीं दिया। मैं उस पर विचार करने के लिये तैयार हूं।

[श्री हुकुम सिंह]

मुरादाबाद में कलई के काम की तरक्की के लिए हमारा उद्योग हो रहा है। यह नहीं कि उधर हमारा ख्याल ही न हो। यह दूसरी बात है कि जिस हद तक कामयाबी होनी चाहिए वह नहीं हुई है। लिहाजा यह नहीं कि हमने उस इंडस्ट्री को नेग्लेक्ट (उपेक्षित) किया हो।

जहाँ तक खादी और करघे के सम्बन्ध में बात है वह मैंने शुरू में कहा कि आवश्यकता पड़ने पर हम रुपये की कमी से उनको हानि नहीं पहुचने देंगे। हरसक इस तरह से इन्तजाम करने की चेष्टा करेंगे कि जो रुपया हो उसका सदुपयोग हो और जनता को उससे फायदा पहुंचे।

बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनका मैं इस कलील वक्त में जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मैं फिर अपने माननीय सदस्यों से यह अर्ज करूंगा कि जब भी उनका जी चाहे मुझे हर वक्त अपने कदमों में पायेंगे और मैं उनकी सेवा करने के लिये तैयार हूं और जो सलाह देंगे हम उस पर गौर करके उससे फायदा उठाने की कोशिश करेंगे।

मुझे आशा है कि सदन यह अनुदान स्वीकार करेगा।

श्री गजेन्द्र सिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उद्योग मंत्री ने बड़े ही नाटकीय ढंग से अपनी बातों को हम लोगों के सामने रखा और सदन का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट किया।

मैं तो कैबिनेट को यह सलाह दूंगा कि बजाय उद्योग विभाग उनको देने के कोई दूसरा पोर्टफोलियो (कार्य-विभाग) उनके लिये क्रियेट (सृजित) कर दिया जाय और वह विभाग उनको दे दिया जाय तो अच्छा होगा और वह उस विभाग में ज्यादा सफल साबित हो सकते हैं।

जहां तक उद्योग विभाग के मामलों में सुझाव देने का ताल्लुक है हम लोगों ने कई एक सुझाव उनको दिये। उन्होंने कहा कि विनाशकारी बजट हमने बनाया। यह चीज हमने नहीं कही। हमने यह रखा था कि उद्योगों के ह्रास का बजट है। जहाँ तक गृह उद्योगों का सम्बन्ध है जिनकी बाबत एक तरफ उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य इन उद्योगों को बढ़ाने का है और दूसरी तरफ उन गृह उद्योगों में बराबर कटौती करते जा रहे हैं उनको खत्म भी करते जा रहे हैं तो उसे ह्रास का ही बजट कहा जा सकता है और उसको क्या कहा जा सकता है?

दूसरी बात माननीय मंत्री महोदय ने बीमा कंपनियों और बैंकों के राष्ट्रियकरण की कही है। केन्द्र में भी आपकी सरकार है। केन्द्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। अगर आप करना चाहें तो आप करा सकते हैं, यहां से कर सकते हैं, सब जगह से कर सकते हैं। आज देश के बनाने और बिगाड़ने की पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप चाहें तो देश को आसमान पर उठा सकते हैं। अगर आप चाहें तो देश को गारत कर सकते हैं। यह पूरी जिम्मेदारी आपके हाथों में है। आगे आने वाले लोग कभी भी इस तरह की दलीलों से आपको क्षमा नहीं कर सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय उद्योग मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि आज से कुछ दिन पहले सन् १९४६ में इसी सदन में बैठकर जमींदारी व्यवस्था के साथ-साथ पूंजीवादी व्यवस्था का विनाश प्रस्ताव आपने पास किया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज तक आपने इस ओर कितने कदम बढ़ाये हैं। मैं यह कहूंगा कि पूंजीवादी व्यवस्था का विनाश आप नहीं कर रहे हैं, बल्कि ग्राम उद्योग-धंधों के विनाश की ओर आप बढ़ रहे हैं। आप इस देश और प्रान्त को स्वर्ग नहीं बनाने जा रहे हैं बल्कि नरक से बढ़कर रौरव नर्क बनाने जा रहे हैं। आपके स्वर्ग के दर्शन इसी से हो जाते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने

कानपुर के मजदूरों के मकानों को देख कर अपनी स्पीच में यह कहा था कि इन मकानों को जला देना चाहिये। मैं माननीय उद्योग मंत्री से पूछना चाहूंगा कि क्या आपके राज्य में कानपुर के मजदूरों के मकान आज स्वर्ग के लायक हैं। मैं केवल कानपुर के मजदूरों के मकानों की बात नहीं कहता, यहाँ जहाँ आप लखनऊ में बैठे हुए हैं, यहाँ आपकी आँखों के नीचे जो मजदूर इंडस्ट्रीज में काम करते हैं उनके मकानों की क्या हालत है ? इसी तरह से सूबे में और भी मजदूरों की हालत देखिए। इटावा के जुलाहों की हालत देखिए, अलीगढ़ में ताला बनाने वाले मजदूरों की हालत देखिए, फीरोजाबाद में काँच का काम करने वाले मजदूरों की हालत देखिए। इसके साथ–साथ अलीगढ़ में मजदूरों को २४ परसेंट ब्याज पर रुपया लेना पड़ता है, तब वे उद्योग में लग पाते हैं। यह हालत हमारे सूबे में उद्योग में काम करने वाले मजदूरों की है।

इसके साथ ही साथ छोटे–छोटे उद्योग धंधों की ओर सदन के सभी मेम्बरों ने माननीय उद्योग मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया है। किसी ने ताला बनाने वाले मजदूरों की बात कही, किसी ने यी इंडस्ट्री की ओर माननीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया, किसी ने कुछ कहा, इस प्रकार सभी सदस्यों ने कुछ न कुछ बातें माननीय मंत्री के सामने रखीं।

माननीय मंत्री जी यह कहते हैं कि उनको रचनात्मक सुझाव नहीं दिये जा रहे हैं। हम लोग बराबर रचनात्मक सुझाव उनको देते चले आ रहे हैं लेकिन उन रचनात्मक सुझावों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट नहीं होता है। आप उनकी ओर अपना ध्यान ही आकृष्ट करना नहीं चाहते हैं, बल्कि आप का उद्देश्य पूंजीवादी व्यवस्था को बनाये रखना है और उससे चिपके रहना है। इसलिये पूंजीवादी व्यवस्था के पोषण में सरकार अपनी तमाम शक्ति लगा रही है और यही उनके इस बजट से मालूम पड़ता है।

सभी माननीय सदस्यों ने उद्योग मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया कि जितने भी गाँवों में चलने वाले उद्योग–धंधे हैं उनकी हालत बहुत खराब है। उस खराबी का कारण यह है कि उनके पास पैसा नहीं है। पैसा के साथ–साथ कच्चा माल उनको नहीं मिल पाता है और यातायात के साधन भी उनके पास नहीं हैं। इस संबंध में सहयोग समितियां भी कायम हैं, परन्तु उनकी भी हालत खराब है। उनको १२–१५ परसेंट ब्याज देना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका काम आगे नहीं बढ़ पाता है। एग्रीकल्चर फाइनेंस कमेटी, कोआपरेटिव प्लानिंग कमेटी और क्रेडिट आर्गेनाइजेशन कमेटी की रिपोर्टें सरकार ने प्रकाशित की थीं। उनमें यह सिफारिश की यी है कि अगर अधिक समय के लिये रुपया देना हो तो ४ परसेंट से ज्यादा ब्याज न हो, और अगर कम समय के लिये देना हो तो ६ परसेंट से ज्यादा ब्याज न हो। जो रुपया इतने ज्यादा ब्याज पर मिलता है उसके द्वारा उद्योग–धंधे पनपाये नहीं जा सकते हैं, आगे नहीं बढ़ाये जा सकते हैं। तो इस तरह से हमारे सूबे के उद्योगों की हालत बहुत ही खराब है।

हाँ, मैंने यह जरूर देखा है कि उद्योग मंत्री के जमाने में एक उद्योग बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ा है और वह उद्योग शराब बनाने का उद्योग है। जिन जिन जिलों से शराब की पाबन्दी हटा दी गयी है उन जिलों में देखा जाय तो मालूम होगा कि वहाँ बहुत अधिक मात्रा में शराब बननी शुरू हो गयी है। इसका श्रेय केवल उद्योग मंत्री को ही नहीं है, बल्कि पुलिस मंत्री को भी है। दोनों मंत्रियों का इसमें सहयोग है, जिसकी वजह से शराब का उद्योग जरूर इस सूबे में पनप रहा

[ श्री गजेन्द्र सिंह ]

है और सभी उद्योगों का ह्रास हो रहा है और उन उद्योगों को करने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनका भी ह्रास हो रहा है। उनकी इस नीति से उपभोक्ताओं पर भी असर पड़ता है और उनको भी चीजें महंगी मिलती हैं। उदाहरण के लिये दियासलाई के उद्योग को ही ले लीजिए। दियासलाई बनाने का बरेली में एक कारखाना है। वह भी विदेशी प्रभाव से चलता है और उसमें भी जो कारीगरी है उसकी बड़ी ही बुरी हालत है। उसमें काम करने वाले जो मजदूर हैं उनकी भी बुरी हालत है।

इसके साथ साथ कानपुर, हल्द्वानी और रामपुर में भी दियासलाई के छोटे-छोटे कारखाने है जहाँ पर मजदूर लोग दियासलाई बनाते हैं। उनकी दियासलाई बड़ी भद्दी बनती है और उनकी कीमत भी कम मिलती है। इसका कारण यह है कि उनको कच्चा माल नहीं मिलता है और उनको टेक्निकल (प्राविधिक) शिक्षा नहीं दी जाती है। २२ लाख ग्रोस दियासलाई साल भर में खर्च होती है, जिसमें से २१ लाख ग्रोस हमारे यहाँ बनती है। अगर इस व्यवसाय को अच्छी तरह से चलाया जाय तो हमारे यहाँ यह उद्योग काफी विकसित हो सकता है।

इसके अलावा प्लाई वुड का जो उद्योग है उसको भी विकसित किया जा सकता है अगर सरकार का इस ओर ध्यान हो। मोटर कार, रेलवे कैबिन्स, चाय के बर्तनों के बनाने में खासतौर से प्लाईवुड का इस्तेमाल होता है। प्लाईवुड के जंगल हमारे देश में काफी हैं। अगर सरकार इस तरफ भी तवज्जह दे तो प्लाई-वुड का उद्योग तरक्की कर सकता है।

लाख और टी के उद्योगों की ओर भी अगर सरकार ध्यान दे तो उनको भी विकसित किया जा सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय उद्योग मंत्री से पुनः यह निवेदन करूंगा कि जो सुझाव हमने उनको दिये हैं उन पर गौर करें और इस तरह से मैं सदन से यह निवेदन करूंगा कि अन्य माननीय सदस्यों ने माननीय उद्योग मंत्री के सामने जो सुझाव रक्खे हैं कि वे इंडस्ट्री को डेवलप (विकसित) करें तो यह डेवलप (विकसित) तभी की जा सकती है जब उनके पास पैसा हो, लेकिन जहाँ पैसा उनको बतलाया जाता है वह उसको लेना नहीं चाहते हैं। इसलिये मैं सदन को यह राय दूंगा कि इस अनुदान को कतई पास न किया जाय और माननीय मंत्री से कहा जाय कि वे दूसरे तरीके से इस अनुदान को हाउस के सामने रखें।

उपाध्यक्ष--मैं माननीय सदस्य से जानना चाहूंगा कि वे अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेने के लिये तैयार हैं या नहीं?

श्री गजेन्द्र सिंह--मैं वापस लेना नहीं चाहता हूं।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संपूर्ण अनुदान के अधीन १०० रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २८--उद्योग (लेखा शीर्षक: ४३--उद्योग और ४४--उड्डयन ) के अन्तर्गत ९४,०५,००० रुपये की धनराशि स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४५--लेखा शीर्षक ७२--औद्योगिक विकास

उद्योग मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)--माननीय उपाध्यक्ष, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४५--औद्योगिक विकास (लेखा शीर्षक ७२--औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत) के अन्तर्गत १,२५,६३,००० की धनराशि स्वीकार की जाय। इस सिलसिले में मुझे ज्यादा कुछ अर्ज नहीं करना है। इसमें १,२४,६३,००० रुपये की एक मद है जो सीमेंट फैक्टरी, मिर्जापुर में बन रही है, उस सिलसिले में है और एक लाख के करीब गवर्नमेंट प्रेसिजन फैक्टरी, लखनऊ के लिये है।

जहाँ तक सीमेंट फैक्टरी का ताल्लुक है उसके करीब-करीब दो-तिहाई प्लाँट्स के जुज हिन्दुस्तान में आ गये हैं और कुछ तो मौके पर भी पहुंच गये हैं। फैक्टरी की बिल्डिंग की तामीर हो रही है और मशीनें भी इरेक्ट (खड़ी) की जा रही हैं। इस तरीके से वहाँ काम चल रहा है। प्लाँट्स (स्थिरयंत्र) के आने में कुछ देरी अवश्य हुई। लेकिन उसमें हमारा और आपका कोई कसूर नहीं था। कारणवश कुछ देरी हुई और बावजूद इस देरी के भी हम आशा करते हैं कि यह हमारी फैक्टरी थोड़े दिनों में ही काम करने लगेगी और बहुत काफी सीमेंट तैयार करने लगेगी।

जहाँ तक प्रेसिजन फैक्टरी का ताल्लुक है उस संबंध में श्री नारायणदत्त जी ने कुछ बातें बतलाईं। मैंने शुरू में ही अपनी तकरीर में कहा था कि वहाँ की प्रोग्रेस (उन्नति) के मुताल्लिक मैं मुतमईन नहीं हूं। जितनी हम चाहते हैं उतनी नहीं हुई है और हम इसकी देखरेख करना चाहते हैं, इस पर विचार करना चाहते हैं। अगर कोई गड़बड़ी है तो उसे मैं दुरुस्त करना चाहता हूं। पहले अनुदान के सिलसिले में ५ लाख रुपये की एक रकम अभी सदन ने इस फैक्टरी के लिये मंजूर की है। अब यह १ लाख की रकम कैपिटल एक्सपेंडीचर (पूंजी व्यय) के लिये है। कुछ तो इमारत में इजाफा करना है और कुछ अन्य काम करने हैं। जब सदन ने इतनी कृपा करके ५ लाख ७८ हजार के करीब रुपया इसके लिये मंजूर कर दिया है तो मैं समझता हूं कि मेरी यह दरख्वास्त भी काबिले मंजूरी है। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि सदन इस अनुदान को भी स्वीकार करे।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला अजमगढ़)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उद्योग मंत्री जी ने जो अनुदान इस सदन में प्रस्तुत किया है, उसमें से मैं १०० रुपये की कमी का प्रस्ताव उपस्थित करता हूं। इस प्रस्ताव को उपस्थित करते हुए हमें बड़ी तकलीफ होती है। हमारे देश में खास करके हमारे प्रदेश की जनता के लिये दो ही रास्ते हैं। खेती का और उद्योग का। आप जब बजट को देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि सिन्दरी में खाद की जो फैक्टरी खुलने वाली थी उससे हमारी सरकार ने हाथ खींच लिया है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख होता है कि आज गाँव में आप जहाँ जाइये वहाँ खाद की माँग है और बिना खाद के पैदावार कैसे बढ़ाई जा सके और हमारे उद्योग मंत्री ने यह फैसला किया कि वह खाद बनाने से अपना हाथ खींच रहे हैं। जब हमारा देश कृषि प्रधान है, किसान आपसे खाद माँगता है, एक फैक्टरी खुलने जा रही थी, उससे भी आपने हाथ खींच लिया और पता नहीं खाद की पूर्ति कहाँ से होगी। हम अमेरिका और दूसरे देशों से खाद की भीख कब तक माँगते रहेंगे।

सीमेंट फैक्टरी के लिये भी लगभग १ करोड़ २४ लाख की माँग की गयी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत से हमारे माननीय सदस्य सन् १९४८ में भी इस भवन के सदस्य रहे होंगे। इस सीमेंट फैक्टरी की बुनियाद हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यों ने कब

[ श्री रामसुन्दर पांडेय ]

डाली थी यह मैं नहीं जानता, लेकिन १२ मार्च, सन् १९४८ की कार्यवाही मने पढ़ी जिसमें हमारे पुराने उद्योग मंत्री, श्री केशव देव मालवीय ने कहा था कि सन् १९५० में हम इस फैक्टरी को तैयार कर लेंगे और रेहन्द बाँध जो बन रहा है उसके लिये ५० फीसदी हम इस फैक्टरी के तैयार किये हुए सीमेंट को उसमें लगायेंगे और ५० प्रतिशत जनता को देंगे। हम उद्योग मंत्री से पूछना चाहते हैं कि वह सन् १९५० अभी तक व्यतीत हुआ या नहीं। उजाला हुआ या नहीं या सन् ५० ही बीत रहा है। सरकार कच्छप की गति से चल रही है और उस गति से चल कर वह सारे सूबे की बेकारी की समस्या को हल करना चाहती है। आज हमारे सदन में माननीय मुख्य मंत्री उपस्थित नहीं हैं। नहीं तो पूछता कि आपने ऐलान किया था बेकारी दूर करने के लिये। सन् ४७ से, सन् ४८ से इस प्रदेश में एक सीमेंट की फैक्टरी खुल रही है, अब सन् ५२ व्यतीत हो रहा है लेकिन पता नहीं चलता कि वह सीमेंट की फैक्टरी कब तैयार होगी और हमारे प्रदेश को सीमेंट की जो आवश्यकता है उसकी कब पूर्ति होगी। ऐसा प्रतीत होता है, उपाध्यक्ष महोदय, वक्त तो लगेगा लेकिन मुझे एक किस्सा याद आता है। एक संस्कृत का श्लोक है जिसमें कहा गया है:

शिथिलौव सुवृद्धौ च पतितः पतितो न वा।
निरीक्षितो मया भद्रे दश वर्षाणि पंच च॥

एक बन में शृगाल और शृगालिन रहते थी। आप जानते हैं कि वृषभ के अंड-कोष बहुत बड़े और लाल होते हैं शृगाल और शृगालिन बन में घूम रहे थे। शृगाल और शृगालिन ने अंडकोश को देख कर सोचा यह तो माँस का लोथड़ा है और जल्दी ही गिरने वाला है। शृगाल और शृगालिन उसके पीछे १५ साल तक लगे रहे, लेकिन अन्त में माँस का लोथड़ा न गिरा और न शृगाल और शृगालिन का पेट भरा तथा अन्त में मजबूर होकर उन्हें वापस आना पड़ा। वैसे ही उद्योग मंत्री उस सीमेंट फैक्टरी के लिये लगातार ४ बरस से अनुदान माँगते चले आ रहे हैं और प्रतीत नहीं होता कि कब तक माँगते रहेंगे और कब तक हमारे प्रान्त की सीमेंट की आवश्यकता पूरी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय एक तरफ सरकार कहती है कि हम बेकारी और सीमेंट की आवश्यकता को हल करना चाहते हैं। उसके लिये सीमेंट फैक्टरी खोली जा रही है। उसमें सैकड़ों और हजारों बेकार मजदूरों को रखेंगे। महात्मा गाँधी जी की दुहाई दी जाती है और कहा जाता है कि हम उनके रास्ते पर चलेंगे। लेकिन महात्मा गाँधी ने कहा था कि बेकारी को दूर करने के लिये एक ही रास्ता है कि उद्योग-धंधों का विकेन्द्रीयकरण करो। यह चार साल से सीमेंट फैक्टरी खुल रही है मगर अभी तक उसमें कोई कामयाबी नजर नहीं आती है। अगर आप वास्तव में इस बेकारी समस्या को हल करना चाहते हैं तो आप गाँव-गाँव में उद्योग-धंधे खोलिए, कस्बों में उद्योग-धंधे खोलिए। केवल एक जगह या कानपुर या बम्बई में फैक्टरी खोल कर आप बेकारी की समस्या को हल नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ पर मोटर का कारखाना खोलिये, बन्दूक का कारखाना खोलिये, जिससे यहाँ के नौजवान लोगों को काम मिले और बेकारी कम हो।

सरकार के आदमी कहते हैं कि हमारे हाथ मजबूत हो गये हैं और अब हम दूसरे देशों का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि अगर कोई आदमी बन्दूक का लाइसेंस ले लेता है तो उसको कानपुर, लखनऊ और दूसरे बड़े जिलों में चक्कर लगाना पड़ता है। चक्कर लगाने के बाद वह १५० रुपये की बन्दूक ४००-५०० रुपये में खरीदता है। वह रुपया सब विदेश जाता है। मैं मंत्रि-

मंडल के सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि क्या आप इतना नहीं कर सकते हैं कि इस प्रदेश के अन्दर बन्दूक का कारखाना खोल दें और हर आदमी को लाइसेंस दें जिससे किसी जमाने में आवश्यकता पड़ने पर बन्दूक से, हथियार से मुकाबिला कर सकें। मैं सरकार से इस बात की सिफारिश करूंगा कि आप उद्योग-धंधे बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ पर खोलिये इससे बेकारी की समस्या हल हो जायगी और हमारे बहुत से लोगों को रोजगार मिल जायगा।

सरकार बड़े कारखानों का राष्ट्रियकरण करे इससे बहुत बड़ी समस्या हल हो जायेगी। सरकार कहती है कि यह हमारे हाथ में नहीं है यह तो सेंटर के हाथ में है। लेकिन मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि सेंटर में जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वे किसके हैं? जवाहर-लाल जी किसके लीडर हैं? क्या वे सब काँग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं हैं? उनका फैसला था कि हम राष्ट्रियकरण करेंगे। क्या अब उस राष्ट्रियकरण के फैसले को कार्यान्वित नहीं करना चाहते हैं? उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की नीति ऐसी मालूम होती है कि जैसे हाथी के दाँत खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। गाँव में जाकर एलेक्शन के जमाने में कहा करते थे कि हम राष्ट्रियकरण करने का फैसला कर चुके हैं। एक या दो साल राष्ट्रियकरण में लगेंगे। लेकिन मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि यह आपके साल-दो साल कभी पूरे नहीं होंगे और आप इस राष्ट्रियकरण को नहीं कर पायेंगे जब तक राष्ट्रियकरण नहीं होगा तब तक देश भी मजबूत नहीं हो सकता और आप देश से बेकारी को भी दूर नहीं कर सकते हैं और निरक्षरता भी दूर नहीं हो सकती है। सरकार क्यों डरती है इन पूंजीपतियों से, यह समझ में नहीं आता। सरकार अंग्रेजों से नहीं डरी, सरकार जमींदारों से नहीं डरी। लेकिन पूंजीपतियों से क्यों डरती है? जब इतनी बड़ी ताकतों से नहीं डरी, अंग्रेजों को हिन्दुस्तान से निकाल दिया, जमींदारी प्रथा का विनाश कर दिया, फिर सरकार पूंजीपतियों से क्यों डरती है? राष्ट्रियकरण करने का भी ऐलान सरकार को इसी तरह से करना चाहिये जिस तरह से जमींदारी प्रथा के अन्त करने का ऐलान किया गया है।

**श्री हुकुम सिंह**--अगर हमारे माननीय मित्र थोड़ा माइक्रोफोन से अलग होकर बोलें तो अच्छा है। हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर बाद में वह शिकायत करेंगे कि हमारी बातों का जवाब नहीं दिया।

**श्री राम सुन्दर पाण्डेय**--मैं कह रहा था कि उद्योग धंधों पर सरकार का कब्जा नहीं है। सरकार किस चीज के लिये होती है। वह तो इसलिये होती है कि देश के अन्दर से बेकारी, निरक्षरता और गरीबी दूर करे। हमारे माननीय मुख्य मंत्री ने बजट के मौके पर ऐलान किया था कि इस प्रान्त को स्वर्ग बनाया जायगा। क्या यही स्वर्ग का नकशा है कि सरकार राष्ट्रियकरण करते हुए डरती है। सरकार ने आज की तारीख को ही ऐलान किया था कि जमींदारी के साथ सरमायेदारी भी खत्म की जायगी। पर ठीक ५ साल ११ महीने हो गये। आज यहाँ पर बहस हो रही है और सरकार आज इस का ऐलान कर दे कि हमारे प्रदेश में राष्ट्रियकरण फलाँ तारीख से कर दिया जायगा अगर सरकार ऐसा कर दे तो हमारे इस सदन के जितने माननीय सदस्य हैं वे एक नय जीवन का देश में पैदा होना अनुभव करेंगे। मजदूर जो दिन भर मेहनत करते हैं उनको भर पेट खाना नहीं मिलता है और न रहने को घर ही मिलते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे देश के नेता जवाहर लाल नेहरू कानपुर आये थे और उन्होंने बयान दिया था कि कानपुर के मजदूरों की बस्तियाँ नरक हैं। सरकार को इस पर विचार करना चाहिये कि उनके इतने बड़े नेता जवाहर लाल जी कानपुर को नरककुन्ड बताते हैं और सरकार के लोग बयान और ऐलान करते हैं कि हम यहाँ स्वर्ग बनाने जा रहे हैं। तो क्या यही सरकार के स्वर्ग का नकशा है? तो ऐसा स्वर्ग सरकार को मुबारक रहे। आज कानपुर के मजदूर जो तपेदिक की बीमारी से मर रहे हैं और उनको

[श्री राम सुन्दर पांडेय]

शान्ति से रहने की जगह तक नहीं मिलती है वह तो सरकार के इस स्वर्ग की हंसी ही उड़ायेंगे और मजाक करेंगे।

मैं आपके द्वारा मंत्रिमंडल के सदस्यों से अपील करूंगा कि आप एक रास्ता अपनाइए। आप तो दोनों रास्तों को छोड़ रहे हैं। एक रास्ता तो यह था कि गाँधी जी के सिद्धांतों को दूर रख कर विकास की योजनाओं को चलावें या दुनिया भर में आज राष्ट्रियकरण की चर्चा है उसी को आप करते। लेकिन मुश्किल यह है कि सरकार तो गाँधी जी के रास्तों को भी नहीं अपनाती और न दुनिया में जो उद्योगों का राष्ट्रियकरण हो रहा है उसी को अपनाती है। इन सब बातों से मालूम होता है कि सरकार खुद ही खन्दक में जाने वाली है। माननीय मंत्री ने हमारे उप-नेता की तरफ इशारा किया कि वह सूबे को खन्दक में ले जाने वाले हैं। सरकार कानपुर के जो मजदूर नेता, श्री सूरज प्रसाद अवस्थी हैं, उनसे पूछें, जो यहाँ बैठे होंगे, कि कानपुर के मजदूर आज राष्ट्रियकरण चाहते हैं या नहीं और अगर वह चाहते हैं तो सरकार को फौरन् करना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं यह अर्ज करूंगा कि सरकार छोटे छोटे-उद्योग-धंधों को खत्म करती जा रही है। यह गाँधी जी की मन्शा भी नहीं थी। आजमगढ़ जिले में कोपागंज, मऊ, मुबारकपुर, नारगाँव, बड़े गाँव, चिरैया कोट, वगैरह जो बड़े-बड़े कस्बे हैं, हजारों जुलाहे काम करते थे। मऊ ऐसा केन्द्र हैं जहाँ से मुबारकपुर का कपड़ा बनारस जाता है और जो बनारसी साड़ी के नाम से मशहूर है और इस देश ही में नहीं बल्कि वहाँ का कपड़ा अमेरिका और और देशों में जाता है। लेकिन आज बड़े अफसोस की बात है कि वहाँ के बुनकर खाने बगैर मर रहे हैं। इस बजट में उनके लिये कोई प्राविजन नहीं किया गया है। निजामाबाद में भी हजारों कारीगर आज बेकार पड़े है और वहाँ से इस प्रदेश में और दूसरे प्रदेशों में बर्तन जाते हैं। इस तरह से सरकार छोटे-छोटे उद्योग-धंधों को खत्म कर रही है और न बड़े-बड़े उद्योगों के राष्ट्रियकरण की ही बात सोचती है। इससे साबित होता है कि सरकार कुछ करना नहीं चाहती है।

श्री अमरेश चन्द्र पांडेय (जिला मिर्जापुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुदान के संबंध में मैं सदन के समक्ष कुछ कहने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारी लोकप्रिय सरकार उद्योग-विकास की ओर अधिक ध्यान दे रही है और हमारे उद्योग मंत्री ने इस अनुदान में काफी रुपया रखा है लेकिन वह इस प्रदेश की जरूरत को देखते हुये बहुत ही कम है। हमारे प्रदेश की अधिकतर जनता खेती करती है और उसे काफी अवकाश का समय दूसरे कामों के लिये मिलता है। इसलिये आवश्यक हो जाता है कि हम उस अवकाश के समय को सदुपयोग में लावें। ताकि हमारे उत्पादन की क्षमता बढ़ जाय और इस प्रकार उत्पादन से देश की समृद्धि बढ़ जावेगी। जहाँ तक इस अनुदान का संबंध है यह देखने में अवश्य बड़ा है, लेकिन यह अनुदान इस प्रदेश को देखते हुये पर्याप्त नहीं मालूम होता है बल्कि अपर्याप्त है। मैं माननीय उद्योग मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह इस अनुदान की रकम को बढ़ावे।

बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मिर्जापुर जिले के उद्योग विकास के लिये बहुत कम रुपया रखा गया है जो इस प्रदेश का एक बहुत बड़ा उद्योगी जिला है। वहाँ पर एक प्रमुख व्यापार चपड़े का है और वहाँ देश में सब से ज्यादा चपड़ा पैदा होता है। लेकिन अफसोस है कि चपड़े की तरक्की के लिये इस अनुदान में कोई रकम नहीं रखी गयी है। मिर्जापुर में दूधी एक तहसील है। दूधी में चपड़े की खेती होती है। अंग्रेजों के जमाने में वहाँ एक कम्पनी थी जो चपड़े की खेती किया करती थी और

मोनोपली सिस्टम (एकाधिकार पद्धति) से चमड़ा जमा किया करती थी। सन् १९४८ ई० में हमारी सरकार ने उस कम्पनी को खत्म कर दिया और चमड़े का काम कोआपरेटिव के हाथ में दिया। लेकिन इससे भी कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि वहाँ के कोआपरेटिव ने उसी मोनोपली सिस्टम को अपनाया। उसका तरीका यह है कि जितना कच्चा चमड़ा होता है वहाँ काम करने वाले लोगों को मजबूर किया जाता था कि वे कच्चा चमड़ा कोआपरेटिव को बेचें जैसा कि कम्पनी के जमाने में था। वही पुरानी चीज कोआपरेटिव ने भी की। कोआपरेटिव का सिद्धांत तो यह है कि शेयर बेचे जाते हैं और उसके बाद चुनाव से कोआपरेटिव का निर्माण होता है। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं हुआ। वहाँ तो कोआपरेटिव ऊपर से लादी गयी है। मैं अपने उद्योग मंत्री जी से नम्रता से कहूंगा कि वह ऐसी सूरत में कुछ उसकी ठीक व्यवस्था करने की कृपा करें।

हमारे मिर्जापुर जिले का दूसरा खास व्यापार और व्यवसाय बर्तनों का है। वहाँ बर्त्तन अच्छे और अधिक मात्रा में बनते हैं। परन्तु हमारे शहर में बिजली की बहुत कमी है। अगर हमारे यहाँ बर्त्तन बनाने के लिये बिजली की व्यवस्था की जाय तो इससे यह उद्योग काफी उन्नति कर जायगा और अच्छे बर्त्तन अधिक मात्रा में बन सकेंगे।

श्रीमन्, जैसा श्री बेचन राम गुप्त जी ने कहा है, कालीन के व्यवसाय के लिये कोई भी रकम नहीं रखी गयी है और न उसके विकास के लिये कोई व्यवस्था की गयी है। मैं माननीय उद्योग मंत्री जी का ध्यान इस व्यापार के विकास की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मिर्जापुर का कालीन संसार भर में प्रसिद्ध है और भारत सरकार को काफी डालर हमारे कालीनों द्वारा मिलते हैं। मैं उद्योग मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह एक कमेटी बनावें जो मिर्जापुर भदोही में जाकर परिस्थितियों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट दे जिससे कालीनों का व्यवसाय उन्नति कर सके।

अन्त में मैं, श्रीमन्, आपके द्वारा माननीय उद्योग मंत्री जी को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि जो नम्र निवेदन मैंने किये हैं उन पर वह विचार करने की कृपा करेंगे और मिर्जापुर के उद्योग-विकास के लिये अधिक धन दिलाने की उचित व्यवस्था करेंगे।

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)--श्रीमन्, यह अनुदान जो माननीय मंत्री जी ने पेश किया है यह दो खर्चों से संबंधित है-- एक तो सीमेंट फैक्टरी के लिये १ करोड़ २४ लाख ६३ हजार और दूसरा प्रीसीशन इंस्ट्रूमेंट फैक्टरी के लिये १ लाख रुपया है, जो हमारे लखनऊ में है। यह बात मानी हुई है कि हमारे प्रदेश में सीमेंट की कमी है और साथ में हमारे दोनों तरफ के भाइयों की यह माँग रही है कि उत्पत्ति के साधन समाज के हाथ में हों। इसलिये सरकार को यह फैसला करना पड़ा कि हम सीमेंट फैक्ट्री बनावें तो अच्छा है। हमारा अन्दाजा यह था कि सन् १९५० में फैक्ट्री तैयार होगी और जब सन् ५२ आ गया, मगर वह फैक्ट्री तैयार नहीं हुई। हमने उस पर काफी रुपया भी खर्च किया है। बजट से आप देखेंगे कि सन् ५० और ५१ में हमने कुल रुपया ६५ लाख ११ हजार खर्च किया और ५१-५२ का जो रिवाइज्ड एस्टीमेट है वह भी ६५ लाख से ऊपर है, यानी दो वर्षों में १ करोड़ ३० लाख रुपया के लगभग हम खर्च कर चुके हैं। इसलिये मैं उम्मीद करता था कि अब तक हमारी फैक्ट्री तैयार हो जानी चाहिये थी। इस तमाम खर्चे की तफसील बजट के देखने से आपको मालूम होगी कि यह कैसे खर्च हुआ। इसके साथ यह देखना होगा कि सन् ५० में फैक्ट्री क्यों नहीं तैयार हो सकी और कौन कौन इसके जिम्मेदार थे और जितना रुपया खर्चा हुआ है। उसमें से कितना कितना किस किस मद में खर्च हुआ। तखमीना पहिले कितना था और उस तखमीने में कितना बाद को बढ़ाया गया और इस प्रकार बाद को बढ़ाये जाने के क्या कारण थे। तखमीना पहिले कम क्यों था ?

[श्री केशव गुप्त]

हमारे प्रदेश में जब कोई प्राइवेट आदमी कला-कौशल खोलता है तो वह आसानी से और थोड़े खर्चे में उसमें कामयाबी हासिल कर लेता है। लेकिन गवर्नमेंट जिस काम को अपने हाथ में लेती है उसमें बहुत देर लगती है। कारण यही है कि आफिसरान अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं करते। बहुत से आफिसरान ऐसे होते हैं कि जो रिटायर (सेवानिवृत) होने को होते हैं इसलिये वे कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं करते। मैं चाहता हूं कि रेलवे में जिस प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से बोर्ड बना हुआ है इसी प्रकार गृह उद्योग-धंधों के लिये भी एक कमेटी प्रदेश की सरकार को बनानी चाहिये और इसमें जो रैड टैपिज्म (दीर्घसूत्रता) होती है उसको खत्म करना चाहिये। जैसा कि सीमेंट फैक्ट्रीज हैं, प्रेसीजन फैक्टरी है या कोई और ऐसे ही दूसरे काम हों उनके लिये एक डिप्टी मिनिस्टर अलग होना चाहिये जो इसका इंचार्ज हो, जिम्मेदार हो, क्योंकि अगर वह मिनिस्टर वहाँ होगा तो वह जनता के लिये जिम्मेदार होगा, अगर वह कोई भूल करेगा तो उसके लिये भी वह जिम्मेदार होगा। इतने बड़े कामों के लिये नौकरों के ऊपर उत्तरदायित्व छोड़ना मुनासिब नहीं है। मैं दरख्वास्त करूंगा कि इसके लिये एक डिप्टी मिनिस्टर हो जो इलेक्टेड मेम्बर्स में से हो, जनता का प्रतिनिधि हो। वह उसके लिये जिम्मेदार हो। भूल और भलाई के लिये जिम्मेदार हो।

दूसरी बात यह है कि इन कामों का जो लेखा हो वह बनिये के लेखे की तरह हमारे सामने आना चाहिये। ऐसा नहीं होना चाहिये जैसे कि प्रेसीजन फैक्टरी की माँग कई जगह आयी है। एक ३२ अनुदान में और एक ४५ में। कई जगह माँग होना ठीक नहीं है। अगर सब एक जगह हो तो हमारे सामने एक साफ तस्वीर होगी। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट इसका ध्यान रखेगी और इस काम के लिये एक डिप्टी मिनिस्टर अलग से रक्खेगी। बोर्ड बनाने के लिये ध्यान देगी क्योंकि ये सब नेशनलाइजेशन के अंग हैं। अगर हम इन कामों में सफल नहीं हुए तो बदनामी होगी और एक प्रकार से धक्का लगेगा और पूंजीपति लोग यह कहेंगे कि हम तो पहिले ही कहते थे कि नेशनलाइजेशन का तरीका जो है वह गलत है और कैपेटलिस्ट पद्धति ही ठीक है। मैं प्रार्थना करूंगा कि वे इस चीज को ध्यान से देखें और उसके लिये जो सुझाव पेश किये गये हैं उनको ध्यान से देखें। इतना कह कर मैं अपना कथन समाप्त करता हूं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन मे मुझे माननीय उद्योग मंत्री का भाषण सुनने पर बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा कि हमें समय दिया जाय और नये नये डिपार्टमेंट मिलने के कारण उन्हें जो सुझाव दिया जायगा वह मान्य होगा। लेकिन उसके बाद जवाब देते वक्त जो शब्द हमारे माननीय मंत्री जी ने हम लोगों के लिये कहे वह बड़ी अजीब सी बात मालूम हुई क्यों कि हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, बुजुर्ग समझते हैं। इन कामों के लिये और मेम्बर छोड़े जा सकते हैं जो ऐसी बातें कह सकते हैं। उनके मुंह से ऐसे शब्द निकलना बहुत शोभा नहीं देता। इसलिये कि मैंने भी उन्हीं के कदमों में रह कर शिक्षा पायी है और इस मामले में हम भी काफी माहिर हैं। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि अपने माननीय मंत्रियों के लिये कोई ऐसी बात कहें, क्योंकि हम उनकी काफी इज्जत करते हैं।

कुछ ऐसी बातें हैं कि वे इस बात को सोचना जरूरी समझते हैं कि हम लोगों को कुछ कहना चाहिये तो कहें। लेकिन मैं यह समझता हूं कि हमें अपने उद्योग मंत्री जी को समय देना चाहिये। जब दूसरा बजट फरवरी में आयेगा उस वक्त हम कुछ बातें कहेंगे। लेकिन अगर माननीय उद्योग मंत्री जी यह चाहते हैं कि हम ७ मिनट के अन्दर सारी इंडस्ट्रीज के बारे में कह दें तो यह मुमकिन बात नहीं है। मगर हम कुछ सुझाव उनको

देना चाहते हैं और मुझे आशा है कि वे इस पर अवश्य ध्यान देंगे। अगर वे इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हैं तो मैं भी इंडस्ट्रीज के मामले में काफी चक्कर लगाया करता हूं, लेकिन चूंकि समय कम है इसलिये मैं सारी बातों को इस समय नहीं कह सकता हूं। बाद में जब वे मुझे और समय देंगे तो मैं उनको बतलाऊंगा। इंडस्ट्रीज के सिलसिले में कई सुझाव हो सकते हैं लेकिन इस समय जितना समय है उतने ही में मैं कुछ सुझाव माननीय मंत्री महोदय के सामने रखूंगा और मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी मेरे उन सुझावों को अवश्य मानेंगे और अगर मानेंगे नहीं तो उस पर विचार करेंगे। ऐसा मालूम होता है कि मंत्रि मंडल समझता है कि हम लोग बिल्कुल नीचे गिर गए हैं।

श्री हुकुम सिंह--नहीं, नहीं। ऐसी बात नहीं है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--सब से पहला सुझाव जो मैं रखना चाहता हूं वह यह है कि जो ग्रांट की बात की जाती है वह ग्रांट ऐसे लोगों को दी जाती है जो डिपार्टमेंट के दो-चार लोगों की सिफारिश से कहीं पर सोसायटी बना लेते हैं। कोई कहीं सोसायटी बना लेते हैं उनको कुछ रुपया मिल जाता है। वह रुपया सरकार का सारा बेकार चला जाता है। इस सिलसिले में मेरा सुझाव यह है कि इंडस्ट्रीज में बजाय पैसा देने के गवर्नमेंट को चाहिये कि जो सिंसियरिटी (सत्यनिष्ठा) से कोई इंडस्ट्रीज स्टार्ट (प्रारंभ) करना चाहता है उसे इंडस्ट्री के लिये कुछ मशीनरी वगैरह देने की जरूरत वह समझें तो उसे दिया जाना चाहिये। गवर्नमेंट के जरिये अच्छी कीमत पर मशीनें उनको दिलानी चाहिये और अगर कोई लोन (ऋण) पर मशीनरी वगैरह लेना चाहे तो उसे लोन पर देने का प्रबन्ध भी होना चाहिये। आजकल बहुत सी ऐसी संस्थायें भी हैं जिनका मैं इस समय नाम नहीं लेना चाहता हूं। उनका काम यह है कि वे लोग संस्थाओं के नाम पर रुपया लेकर कमाते हैं, मशीनरी ले कर बेच देते हैं। इस तरह से सरकार का बहुत सा रुपया खर्च हो जाता है। इसलिये मैं नहीं चाहता हूं कि सरकार का रुपया इस तरह से बरबाद हो। ग्रांट उन लोगों को दिया जाय जो सिंसियरिटी से इस काम को सचमुच में करना चाहते हैं।

इसके बाद दूसरी चीज जो मैं चाहता हूं वह यह है कि डेवलपमेंट (विकास) के तमाम काम कोआपरेटिव बेसिस (सहकारी आधार) पर ही किये जायं। इसमें किसी को भी एतराज नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस वाले भी चाहते हैं और सोशलिस्ट भी यही कहते आये हैं। हो सकता है कि हमारे उस तरफ के बैठने वाले दोस्त दुनिया की हवा को देख कर हम लोगों के रास्ते पर ही चलने लगें और हम लोगों के साथ खड़े होने की कोशिश करें। अगर कोआपरेटिव बेसिस पर काम होगा तो उससे बहुत फायदे होंगे। जितने छोटे-मोटे उद्योग धंधे हैं वे सब कोआपरेटिव बेसिस पर ही खोले जाने चाहिये। जिस प्रदेश से मैं आ रहा हूं वहाँ पर काटेज इंडस्ट्रीज (कुटीर उद्योगों) की बहुत गुंजायश है। पहाड़ों पर टूरिस्ट इंडस्ट्रीज (भ्रमण उद्योग) भी अच्छी तरह से चल सकती है। इसको भी मैं इंडस्ट्री ही कहता हूं क्योंकि बाहर से जो टूरिस्ट लोग इस समय आते हैं उनके रहने के लिये मकान वगैरह नहीं मिलते हैं। मेरा सुझाव यह है कि ऐसे लोगों के लिये या जो मिडिल क्लास के लोग पहाड़ों पर आते हैं उनके लिये कोआपरेटिव बेसिस पर मकान बनाये जायं। आज तो वहाँ पर बड़े बड़े लोग ही आते हैं।

इसके अलावा टरपेंटाइन की इंडस्ट्री भी पहाड़ों पर खोलनी चाहिये, क्योंकि वहाँ पर बरेली से टरपेंटाइन ले जाने में ट्रांसपोर्टेशन (परिवहन) पर काफी खर्च पड़ता है, वहां पर अच्छी सड़कें नहीं हैं। बजाय इसके कि बरेली से वहाँ टरपेंटाइन भेजा जाय पहाड़ों पर ही यह इंडस्ट्रीज खोली जानी चाहिये। पहाड़ों पर रेजिन बहुत ज्यादा होता है। हमारे यहाँ वार्निश बन सकती है। उसको उन्नत करने की जरूरत

[श्री मङ्ग मोहन उपाध्याय]

है। हमारे यहाँ टेक्निकल स्कूल्स खुलवाइये क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे गरीबी के कारण बाहर जा कर पढ़ नहीं सकते। वैसे तो बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं जिनके सिलसिले में माननीय मंत्री ने विश्वास दिलाया है। मैं उनके पास आऊंगा, बातें करूंगा लेकिन एकाध बात और कहकर खत्म करता हूं। हमारे यहाँ के हरिजन भाई हैं जो लोहार का काम करते थे और ट्रंक और बाल्टी बनाते थे। जब कंट्रोल का जमाना आया तो बड़े बड़े लोगों ने परमिट ले ले कर कारखाने खोल दिये और उन्हीं मजदूरों से बनवाते हैं। ये लोग तो तब तक ही बनवायेंगे जब तक कंट्रोल है। उसके बाद जो वही पुराने लोग, जो काम करते चले आये हैं, करते रहेंगे। इसलिये उनको ही मदद दी जाय जो उस काम को करते हैं। हमारे यहाँ टेनरी का (चमड़े) का काम होता है। वहाँ ऐसे लोग हैं जो इस काम को कर सकते हैं। उनको मदद दें, कोआपरेटिव सोसाइटी को मदद दें और पैसा देना बिलकुल बन्द कर दें। मशीनरी वगैरह से उनको मदद दी जाय। मैं आपके पास बाकी आकर बताऊंगा कि क्या क्या करना चाहिये और फिर आप देखेंगे कि पाँच साल के अन्दर क्या करने से प्रदेश इतनी उन्नति करेगा जिसके लिये हम गर्व कर सकेंगे।

श्री ऐजाज रसूल (जिला हरदोई)--जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे बहुत कहना नहीं है। सिर्फ एक बात की ओर गवर्नमेंट की तवज्जह दिलानी है। यह डिपार्टमेंट हमारे मिनिस्टर साहब के पास नया आया है। मैं उन्हें बतलाता हूं कि गवर्नमेंट ने पोस्ट-वार काटेज इंडस्ट्रीज कमेटी (युद्धोत्तर कुटीर उद्योग समिति) बनाई थी। उस कमेटी ने सूबे का दौरा किया और दौरा करने के बाद उसने अपनी रिपोर्ट दी। फिर एक सब-कमेटी वहीद अहमद साहब जो पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज थे उनकी सदारत में बनी थी। उसने यह गौर किया था कि कौन कौन सी काटेज इंडस्ट्रीज हो सकती हैं जिन पर इस सूबे में जल्द से जल्द कार्यवाही हो सकती है। इस कमेटी में आफिशियल और नान-आफिशियल भी थे, कोआपरेटिव सोसाइटी के भी आदमी थे और नान-कोआपरेटिव के आदमी भी, जैसे दयालबाग के या पंडित ब्रदर्स के थे। उसने अपनी रिपोर्ट दी लेकिन मुझे ताज्जुब है कि एक साल से ज्यादा होगया है गवर्नमेंट ने आज तक उस पर तवज्जह नहीं की। मुझे उम्मीद है कि आनरेबिल मिनिस्टर साहब उन दोनों रिपोर्टों को मंगवायेंगे और देखेंगे कि कमेटी ने खास तौर से इस बात पर जोर दिया था कि छोटे-मोटे धंधों के लिये एक काटेज इंडस्ट्रीज बोर्ड बना दिया जाय और एक काटेज इंडस्ट्रीज डाइरेक्टर कर दिया जाय। अभी तो हमारे डाइरेक्टर इंडस्ट्रीज डाइरेक्टर काटेज इंडस्ट्रीज कहलाते हैं। उनके पास बिग इंडस्ट्रीज (बड़े उद्योग) भी हैं और काटेज इंडस्ट्रीज (कुटीर उद्योग) भी हैं। लिहाजा नाम तो उनके पास हो गया लेकिन काम तो वही रहा जो पहले था। लिहाजा गवर्नमेंट इस कमेटी की राय पर गौर करके जल्द से जल्द कार्यवाही करेगी। मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट बहुत जल्द उस पर गौर करेगी और गौर करके उस पर अमलदरामद करेगी। अगर उस पर अमल-दरामद किया जाय तो मुझे उम्मीद है कि उससे सूबे की तरक्की होगी और अगर इस तरफ तवज्जह न की गयी तो इससे दुश्वारियाँ पेश आयेंगी। काटेज इंडस्ट्रीज कोआपरेटिव बेसिस पर होना चाहिये। किसी परसनल (निजी) आदमी की इंडस्ट्री न होनी चाहिये बल्कि मिलजुल कर काम करना चाहिये। संडीले में एक स्माल बोंविंग काटेज इंडस्ट्री है। उसने महज इसलिये कि वह कोआपरेटिव लाइन पर काम कर रही है काफी तरक्की की है।

पहले कोआपरेटिव सोसाइटी सब की सब रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटीज के अन्डर (अधीन) में थीं। लेकिन अब काटेज इंडस्ट्रीज डाइरेक्टर आफ

काटेज इंडस्ट्रीज के सुपुर्द कर दी गयी हैं। लेकिन एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार इतनी सोसाइटियों की देख-रेख कैसे कर सकता है। छः सौ तो सिर्फ वीविंग कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं। इसके अलावा और हजारों कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं। तो एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार इतनी काटेज इंडस्ट्रीज सोसाइटीज को कैसे देख सकता है। फाइनेंस कमेटी ने दो असिस्टेंट डाइरेक्टर्स, काटेज इडस्ट्रीज के लिये रखे थे। लेकिन उसके बजाय एक ही रखा गया और उसके साथ-साथ एक या दो इंस्पेक्टर्स कर दिये गये। तो जब कि सिर्फ ६०० वीविंग कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं, एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार कैसे देख सकता है? अगर आपको काटेज इंडस्ट्रीज को तरक्की देनी है तो उसमें काफी रुपया रखना चाहिये। पार साल फाइनेंस कमेटी ने दो या तीन लाख का रिकमेंडेशन (सिफारिश) किया था स्टाफ वगैरह रखने के लिये। लेकिन अब की साल बहुत कम है। तो इस तरह तरक्की होना बहुत मुश्किल है। मैं आनरेबिल मिनिस्टर साहब के पास हाजिर हूंगा और उनको बतलाऊंगा ताकि वह रिपोर्टों को देख कर कोई मुनासिब कदम उठा सकें जिससे सूबे की तरक्की हो सके।

श्री व्रज बिहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अनुदान जिसकी मांग उद्योग मंत्री ने की है उसका समर्थन हम समझते हैं हर तरफ से हुआ है और होना चाहिए। फैक्टरी बने इसमें तो किसी को ऐतराज नहीं हो सकता है क्योंकि हमारे सूबे में उद्योग की जितनी कमी है और इसकी माँग हर तरफ से आती है। विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने जो भाषण दिये हैं उन्होंने भी कहा कि उद्योग को बढ़ाना चाहिए। उधर से यह कहा गया कि पहाड़ी इलाकों में फैक्टरियाँ खोलने की आवश्यकता है। यह हम सब मानते हैं। मिर्जापुर की जो सीमेंट फैक्टरी है उसकी भी अत्यन्त आवश्यकता है इसमें भी किसी को संदेह नहीं है।

इस सम्बन्ध में मैं कुछ थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं। अभी हमारे सम्मानित सदस्य ने कहा है कि काटेज इंडस्ट्रीज की तरफ काफी ध्यान देने की आवश्यकता है। हम देख रहे हैं कि इस बजट में काटेज इंडस्ट्रीज को कम किया गया है। मिसाल के तौर पर मैं बतलाना चाहता हूं कि खादी की योजना समाप्त की जा रही है। गुड़ की योजना समाप्त की जा रही है या जैसे ताड़गुड़ की योजना है वह भी समाप्त की जा रही है। हम समझते हैं कि यह उचित नहीं है। इस तरफ हमारे उद्योग मंत्री को ध्यान देना चाहिए और जहाँ तक हो सके विशेषकर गुड़ उद्योग को आगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि गुड़ का उद्योग पूर्वी जिलों का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्योग है।

हमें प्रसन्नता है कि हमारे उद्योग मंत्री ने जो आश्वासन दिया है कि वह इस पर ध्यान देंगे और यहाँ जिनकी बातें न भी सुनी गयी हों वह उसे अपने कमरे में भी सुनने को तैयार हैं और उसपर गौर करने के लिये तैयार हैं। हमें इस बात की भी प्रसन्नता है। इसमें शक नहीं कि उनके हाथ में यह विभाग पहले-पहल आया है और इस विभाग की जानकारी, जैसा उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है, उतनी उनको नहीं रही है। लेकिन हम जानते है उनकी कार्य क्षमता पर हमें विश्वास है कि वह कितने कार्यशील और कर्मठ व्यक्ति हैं और हमें आशा है कि जो विभाग उनको दिया गया है वह दिन प्रति दिन तरक्की करेगा और मिर्जापुर में न सिर्फ सीमेंट की फैक्टरी खुलेगी बल्कि हमारी बड़ी-बड़ी फैक्टरीज के साथ साथ जो छोटे छोटे घरेलू उद्योग धंधे हैं उनकी भी उन्नति होगी।

जैसा कि अभी विरोधी पक्ष की तरफ से कहा गया है हम इस चीज से सहमत हैं कि गांव की तरक्की हमारी इन बड़ी बड़ी फैक्टरीज से नहीं होने वाली है। जब तक हम अपने घरेलू उद्योग-धंधों की उन्नति नहीं करेंगे तब तक हमारी इन फैक्टरीज से काम चलने वाला नहीं। इसलिये मैं श्रीमन् के द्वारा उद्योग मंत्री का ध्यान इस तरफ

[ श्री ब्रजविहारी मिश्र ]

दिलाना चाहता हूं और श्रीमान् के द्वारा उनसे प्रार्थना करूंगा कि इन हमारी काटेज इंडस्ट्रीज का जो हमारे घरेलू उद्योग-धंधे हैं उनका ऐसा प्रबन्ध करेंगे कि उनकी उन्नति दिन प्रतिदिन होती रहे ।

इन शब्दों के साथ हम उनका समर्थन इस बात पर करते हैं कि जो १,२६ लाख की अनुदान माँगी गयी है सदन उसको स्वीकार करेगा ।

श्री शिव स्वरूप सिंह (जिला मुरादाबाद)--उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उद्योग मंत्री ने जो अनुदान इस भवन के सामने उपस्थित किया है उसको देखकर मुझे कुछ ऐसा लगने लगा कि हम लोग कहीं "आगे को दोड़ पीछे को चौड़" वाली कहावत तो चरितार्थ नहीं करते हैं। यह बात बिलकुल सही है कि माननीय उद्योग मंत्री ने इस अनुदान में रकमें रखी हैं कि सीमेंट फैक्टरी खोली जायं और और फैक्टरी खोली जायं और अन्य अन्य उद्योग-धंधे जो उन्होंने रखे हैं उनको देखकर बहुत प्रसन्नता होती है। लेकिन मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय उद्योग मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जैसी कि मैंने कहावत कही, वह इस पर चरितार्थ होती है। मैं मुरादाबाद जिले से आया हूं। मुरादाबाद जिला एक औद्योगिक जिला रहा है। उसमें कलई के बरतनों का काम ऐसा होता है जो सारे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि दुनियाँ के कोने कोने में उसका काम जाता है। इसके अलावा सम्भल में सींग का काम भी इसी तरह का है। पिछले वर्ष महामान्य राज्यपाल जब मुरादाबाद तशरीफ ले गये थे तो उन्होंने बरतनों के कारखानों को स्वयं जा जा करके देखा था और बड़ा आश्वासन सा हमको मिला था और यह ख्याल था कि उसके बाद इस उद्योग पर सरकार का ध्यान विशेष तरीके से जायगा। उसी वर्ष पिछले माननीय उद्योग मंत्री, श्री केशवदेव मालवीय मुरादाबाद गये थे। उन्होंने भी इस उद्योग को बड़ी लालसा के साथ देखा था हर गली-कूचे में जाकर देखा था। लेकिन मैं आपके द्वारा इस सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि मुरादाबाद के उद्योग--धंधे के कारण जो वहाँ का काम दुनिया के कोने-कोने में जाता था आज अपनी सरकार के होते हुए वही उद्योग-धंधे अगर आप जाकर देखें तो दिन पर दिन बन्द होते जा रहे हैं और बेकारी की समस्या तेजी के साथ बढ़ती चली जा रही है। मुझे तो यह भी शंका है कि जिस प्रकार मैं वहाँ पर देखता हूं कि अगर सरकार ने इस उद्योग की तरफ मुरादाबाद पर विशेष तरीके से ध्यान नहीं दिया तो यह बहुत प्राचीन उद्योग जोकि अपने प्रान्त की शान कहा जा सकता है वह तो मिट ही जायगा लेकिन एक और समस्या आ करके खड़ी हो जायगी। इस भवन को मालूम है कि इस उद्योग से वहाँ पर हजारों व्यक्ति अपनी रोजी का काम चलाते हैं। जब रोजमर्रा कारखाने बन्द होते चले जा रहे हैं तो मुझे यह आशंका है और मैं देखता हूं कि जितना मजदूर तबका है जो इसमें काम करता था वह रोज-बरोज कम्युनिस्टों के हाथ में फंसता चला जा रहा है। यह एक बड़ी शंका आपके सामने उपस्थित है।

दूसरा जो मैंने सींग का कार्य बताया वह भी इसी प्रकार का एक उद्योग-धन्धा है जोकि प्रान्त में मुख्य धन्धा कहलाता था। जब मैं सम्भल जाता हूं तो मैं वहाँ के कारीगरों को और जो इस उद्योग का कार्य करने वाले हैं उनको बहुत परेशान पाता हूं। मैं बहुत समय न लेकर उपाध्यक्ष महोदय आपके द्वारा माननीय उद्योग मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह उद्योग धन्धे जो आपके प्रान्त की एक शान रहे हैं आगे बढ़ने के बजाय कहीं पीछे हटकर चौपट न हो जायं और कहीं प्रान्त में एक बड़ी समस्या उपस्थित न हो जाय।

श्री विश्वम्भरनाथ पांडेय (जिला इलाहाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय उद्योग मंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बुनियादी उद्योग जिसका सम्बन्ध एक वर्ग विशेष से नहीं है बल्कि हमारी बुनियादी इकोनामिक (आर्थिक) व्यवस्था से है यानी सीमेंट की फैक्टरी उसके सम्बन्ध में एक इतनी बड़ी रकम का प्राविजन बजट में किया है। दूसरी चीज प्रेसीजन फैक्टरी है। हमारे इस प्रान्त में करीब ५ लाख रुपए के जल के मीटर हर

साल आते हैं। अगर यह प्रेसीजन फैक्टरी अच्छी तरह से काम करने लग जाती है तो यह पाँच लाख रुपये की रकम जो हमें विदेशों को हरसाल भेजनी पड़ती है, वह रकम हमारे यहाँ बच जायगी। जो हमारे यहाँ मीटर तैयार हो रहे हैं, उनका प्रयोग हमने इलाहाबाद की म्युनिसिपैलिटी में किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वे मीटर अच्छे से अच्छे विदेशी मीटरों की तुलना में रखे जा सकते हैं।

और भी ऐसे उद्योग हैं जिनकी तरफ मैं माननीय उद्योग मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं जैसे ग्लास इंडस्ट्री। इलाहाबाद ग्लास इण्डस्ट्री का बहुत बड़ा केन्द्र है। सिलिका सैंड, जोकि इसका बुनियादी रा-मैटीरियल (कच्चा माल) है इस देश में दो जगह होता है। उसके दो केन्द्र हैं--एक इलाहाबाद जिला दूसरा ट्रावनकोर। इलाहाबाद जिले से करीब पाँच हजार टन सिलिका सैंड हर साल हिन्दुस्तान की मुख्तलिफ ग्लास फैक्ट्रीज में जाता है। खुद इलाहाबाद जिले में जो ग्लास इंडस्ट्री है, उसमें करीब १६ हजार मजदूर लगे हुये हैं, लेकिन हमारे यहाँ की व्यवस्था ऐसी है कि पूरे साल भर वे मजदूर अपने काम पर नहीं रहते, केवल चार महीने वे काम करते हैं और उसके बाद भट्ठी ठंडी हो जाती है। मैं यह चाहूंगा कि जिस तरह से दूसरे देशों में पूरे वर्ष यह फैक्ट्रीज काम करती हैं उसी तरीके से इलाहाबाद में जो ग्लास फैक्ट्रीज हैं, पूरे वर्ष भर चल सकें। इसके साथ साथ उसको ऐसी सहायता दी जाय कि जो चीजें वहाँ बनें वे दुनिया की मार्केट में मुकाबले पर ठहर सकें।

एक चीज मैं आप से और अर्ज करना चाहता हूं और वह यह है कि केवल इलाहाबाद नगर में इस वक्त ४७८ प्रिंटिंग प्रेस हैं। उन ४७८ प्रिंटिंग प्रेस की इस वक्त लागत तीन बड़े प्रेसों को छोड़कर करीब ३२ लाख रुपये से ४० लाख रुपये तक है। तो परिस्थिति यह हो रही है कि उनमें भी करीब १२ हजार मजदूर हमारे यहाँ काम करते हैं और जो प्रिंटिंग प्रेसेज हैं उनके हिस्सों की हर साल बदली होती है, उनमें टूट-फूट होती रहती है जिसके लिये करीब एक लाख रुपये का सामान हर साल अकेले इलाहाबाद के नगर में आता है। मैं उद्योग मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि प्रिंटिंग प्रेसेज के मुख्तलिफ पार्ट्स बनाने के लिये अगर कोई कारखाना खोला जाय तो हम एक लाख रुपये की बचत तो अकेले इलाहाबाद से कर सकते हैं और मैं यह कहूंगा कि पूरे प्रदेश के कई लाख रुपयों की बचत हम कर सकते हैं। इसके अलावा यह एक ऐसी इंडस्ट्री है जो निरन्तर बढ़ेगी ही, क्योंकि जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार होगा और लोग पढ़े-लिखे होंगे वैसे-वैसे यह इंडस्ट्री भी बढ़ेगी। तो मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि प्रेसिजन इंडस्ट्री (सूक्ष्मयंत्र उद्योग) के बाद अगर आप किसी दूसरी इंडस्ट्री की तरफ खासतौर से ध्यान दें तो वह इंडस्ट्री यह हो जिसमें प्रिंटिंग प्रेसेज के मुख्तलिफ पार्ट्स बन सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे और अर्ज करना चाहूंगा और वह यह है कि हमारे यहाँ जैसा कि मुझसे पहले वक्ताओं ने कहा, तरह-तरह के छोटे-छोटे उद्योग अपने-अपने तरीके के हर जगह चल रहे हैं। मैंने १८३१ की सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट देखी, जिसमें कि इंग्लैंड के अन्दर जो पार्लियामेंट में सेलेक्ट कमेटी (प्रवर समिति) मुकर्रर हुई थी, उस सेलेक्ट कमेटी के सामने गवाही देते हुये मिस्टर स्लीमैन्स ने यह कहा था कि अकेले इस नार्थ वेस्ट प्राविन्स (उत्तर प्रदेश) से कालीन, रेशमी कपड़ा और चिकन के काम के कपड़े ये तीन चीजें ९२ लाख रुपये की, १८२८ ई० में बाहर के देशों में गयी थीं। याद रखें यह १८२८ की बात है। हमको यह देखना है कि हमको अपने यहाँ उद्योग इस तरह से फैलाना है, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकें। पहली चीज जिसकी तरफ हमें ध्यान रखना चाहिये, बेसिक इंडस्ट्री है जिससे हमारे यहाँ के किसानों को और नागरिकों को फायदा पहुंच सके। इसकी तरफ विशेष ध्यान रखना चाहिये। इसके अलावा वह इंडस्ट्री हैं जिससे हम डालर कमा सकें और अपने देश की आय बढ़ा सकें।

[श्री विश्वम्भर नाथ पांडेय]

इस तरह के जो धन्धे हैं, उनकी तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। मैं अधिक विस्तार के साथ उद्योग मंत्री की सेवा में हाजिर हो कर उनसे कहूंगा, लेकिन सुझाव के तौर पर मैंने ये बातें उनके सामने रख दीं।

श्री हुकुम सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि हमारे इतने मित्रों ने इस वाद-विवाद में भाग लिया, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि यह अनुदान नाकाबिल मंजूरी है। किसी ने इसका विरोध नहीं किया। हाँ, माननीय सदस्यों ने अपने-अपने सुझाव दिये। कुछ सुझाव ऐसे हैं जो इस अनुदान से कतई कोई ताल्लुक नहीं रखते। अगर २८ अनुदान के सिलसिले में वे बातें कही गयी होतीं तो वाकया एक मौजूं वक्त पर कही गयी होतीं। लेकिन खैर, देर आयद दुरुस्त आयद। बात अगर माकूल हो और बे मौके भी कही जाय, तो उसे मैं सुनने के लिये तैयार हूं।

काटेज इंडस्ट्री (कुटीर उद्योग) के बारे में बहुत सी बातें कही गयीं मुरादाबाद के कलई के बर्तनों कलई के बारे में भी बहुत सी बातें कही गयीं और लाख इंडस्ट्री के बारे में भी बात कही गयीं। इसके अलावा और भी बहुत सी छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज के बारे में बातें कही गयीं। मैंने शुरू में कहा था कि सबका उद्देश्य यह है कि अपना देश इंडस्ट्रियलाइज (उद्योगीकरण) हो और छोटे-छोटे उद्योग धंधों को अपनी पूंजी को देखते हुए काफी प्रोत्साहन दिया जाय, इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं। हाँ, मैंने साफगोई से काम नहीं लिया, लेकिन मेरे मित्र नारायण दत्त जो अब मुतमईन हो गये होंगे प्रेसिशन फैक्टरी के बारे में, जिसके गवाह हमारे पांडे जी मौजूद हैं, जिन्होंने उसमें बनाये हुए पानी के यंत्र को लेकर इलाहाबाद की म्युनिसिपैलिटी में उसको इस्तेमाल किया और उन्होंने अभी इस सदन के सामने कहा कि जो वाटर मीटर्स बाहर से इम्पोर्ट (आयात) हो कर आते हैं, उनसे वे बदर्जहा बेहतर हैं, किसी तरह से उनसे कम नहीं हैं। हमारे मित्र उपाध्याय जी ने कुछ बातें कहीं। उनसे मैं वाकई बहुत हद तक सहमत हूं। मैं २८ ग्रांट के सिलसिले में एक बात कहना भूल गया था, वर्ना मैं उनको मुतमईन कर देता। मेरे दिमाग में यह बात है कि पहाड़ों पर ऊन की इंडस्ट्री को तरक्की दी जाय और जो मौजूदा हालत में इस सिलसिले में काम हो रहा है, वह संतोषजनक नहीं है। इसमें मशीन वगैरह फिट करके ऊन की क्वालिटी (तत्ता) और क्वान्टिटी (इयत्ता) को यदि हम बढ़ायें तो हम समझते हैं कि यह इंडस्ट्री बहुत तरक्की कर सकती है और हमारे गरीब भाइयों की जीविका भी चल सकती है और देश का कल्याण हो सकता है और अगर यह चीज बाहर भेजी जाय तो वहाँ का मारकेट कैच (बाजार प्राप्त) कर सकती है।

यहाँ पर कोआपरेटिव बेसिस पर काम करने की बात कही गयी। यह सुझाव अच्छा है और अच्छा सिद्धांत है। मैं भी ऐसे ही विचार रखता हूं और इस चीज का स्वागत करता हूं। लेकिन दिक्कत यह है कि लोग आते हैं और कहते हैं कि हम कोआपरेटिव सोसायटी कायम करना चाहते हैं, लेकिन उसमें या तो वे कामयाब नहीं होते या फिर दिल लगाकर उसको कायम नहीं करते। जी हाँ, मैं भी कोशिश करूंगा कि वह कायम करने के लिये मजबूर हो जायं। यह भी बात गलत नहीं है और मैंने कुछ केसेज में देखा है कि रुपया लिया गया और उसका दुरुपयोग किया गया। मैं इस मामले में बड़ा सख्त हूं और एक एक पाई रिकंड (वापस) कराऊंगा।

हमारे भाई राम सुन्दर पाँडेय ने भुखमरी का भी जिक्र इस अनुदान के सिलसिले में किया, लेकिन खैर ठीक है क्यों कि भुखमरी का भी इंतजाम इस ग्रांट के जरिये से हो सकता है। मिर्जापुर एक गरीब तथा पहाड़ी जिला है, खेती वगैरह की वहाँ

दिक्कत है और पैदावार की कमी है और कुछ हिस्सा ऐसा है जहाँ के लोग बहुत ही गरीब हैं। हम इतनी बड़ी इंडस्ट्री खोलने जा रहे हैं, हजारों की तादाद में लोगों को काम मिलेगा और काम मिलने पर वह चार पैसे कमायेंगे और अपनी जीविका बसर करेंगे। लिहाजा इस सिलसिले में भुखमरी की दवा इस ग्रांट से हम करते हैं। यह बात नहीं कि इससे कोई भी प्रश्न हल नहीं होता है।

हमारे दोस्त ने यह भी फरमाया कि यह खेती प्रधान देश है। लिहाजा यहाँ पर पहले अमोनियम सल्फेट बनायी जानी चाहिये थी और सीमेंट न बनाई जाय। उनकी जो तकरीर हुई थी उसमें मने यह सुना। मैंने अगर गलत सुना हो तो मुझे करेक्ट (ठीक) कर दिया जाय। उनके कहने का तात्पर्य यह था कि पहले यह काम होता। यह सीमेंट फैक्टरी कायम करने की क्यों कोशिश की गई? इसलिये कायम की गयी कि लेबर की हाउसिंग प्राब्लम्स (गृह समस्या) हल हो जाय। यदि सीमेंट नहीं होगी तो मकान कैसे बनेंगे। लिहाजा इन प्रश्नों को हल करने के लिये फैक्ट्री बनाने की जरूरत महसूस हुई और हमने इसको इस्टेब्लिश (स्थापित) किया। जहाँ तक अमोनियम सल्फेट का काम है वह तो सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है। वह क्या केवल दिल्ली के लिये ही बनायेगी, बल्कि वह सारे यूनियन (संघ) के लिये बनेगी। उसमें हम अपनी रकम क्यों लगा दें, बहुत अमीर हैं न! वह चीज जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट खुद बना सकती है, जिसके पास रिसोर्सेज (साधन) हैं, उसमें हम क्यों रकम लगा दें? वैसा ही दूसरा काम जो आवश्यक है, उसमें क्यों न लगायें। पं० जवाहर लाल जी ने भी कानपुर में लेबर हाउसिंग का जिक्र किया था, उसके लिये हर तरह का प्रयास हो रहा है। इस बजट में भी लेबर हाउसिंग के लिये प्राविजन (उपबंध) रखा गया है। मैं आशा करता हूं कि पं० राम सुन्दर जी इससे इत्तिफाक राय रखते होंगे। दूसरी बात पाँडे जी ने कही कि हमारे जो पहले मंत्री थे, श्री केशव देव जी मालवीय, उन्होंने यह एलान किया था कि यह फैक्टरी सन् ५० में चालू हो जायगी। मैं इससे इनकार नहीं करता। लेकिन एक मसला है कि "देअर आर सो मेनी स्लिपस बिविन दी कप एंड दि लिप्स" (काम संपूर्ण होने में सैकड़ों बाधायें उपस्थित होती हैं)। इंसान कुछ सोचता है, लेकिन पूरा करने वाला कोई दूसरा होता है। हमारे एक एडवाइजर थे, उनको ठेका दिया गया कि वह वर्किंग ड्राइंग बना दें, लेकिन आधी बनाने पर ही वह मर गये। थोड़ा हिस्सा रह गया। अगर मुझे मालूम होता तो राम सुन्दर जी को भेज देता कि जाओ भाई, जा कर उनसे बनवा लाओ। अब मैंने दूसरे आदमी को ढूंढा और उसको दिया कि भाई उस ड्राइंग को पूरा कर दो। जब तक वह ड्राइंग पूरी न हो, वह इमारत कैसे बने। ऐसी सूरत में ऐसी दिक्कतें आयीं और इन दिक्कतों के होते हुए केशवदेव जी का क्या कसूर और मेरा क्या कसूर? अगर रामनारायण त्रिपाठी जो यहाँ होते तो वह भी मजबूर हो जाते, वह भी और कुछ न कर सकते थे। तो यह दिक्कतें थीं। फिर प्लान्टस् की भी कुछ दिक्कतें थीं, यूनाइटेड किंगडम से मंगाना था। शिपिंग (पोत परिवहन) की कितनी दिक्कतें होती हैं। इन दिक्कतों को कोई फोरसी (दूर दर्शन) नहीं कर सकता था। कोई बड़ा अन्तर्यामी होता और भविष्य की सब बातें बतला सकता, वह भले ही इन दिक्कतों को फोरसी कर सकता, लेकिन न केशवदेव जी अन्तर्यामी थे और न मैं अन्तर्यामी हूं। यदि मैं कहूं कि १९५४ में यह फैक्टरी चालू हो जायगी, जो वजूहात हमारे सामने हैं, उनको देखकर मैं यह कह सकता हूं। लेकिन किसी कारणवश ५४ के बजाय यह फैक्टरी जनवरी ५५ में तैयार हो तो फिर यह न कहियेगा कि आपने तो ५४ का ऐलान किया था। बहुत सी दिक्कतें ऐसी पड़ जाती हैं।

[श्री हुकुम सिंह]

हमारे मित्र केशव जी गुप्त ने अपनी तकरीर में कहा कि १ करोड़ २४ लाख का कोई ब्यौरा नहीं है। वाकई नहीं है। अपने मित्र की इत्तिला के लिये मैं उस ब्यौरे को पढ़े देता हूं। ठेका जिनको दिया गया है १५,५३,००० रुपये, कंसलटेंट १ लाख, वर्किंग ड्राइंग्स ७० हजार, इरेक्शन चार्जेज १० लाख, क्वरिंग आपरेशन्स ५ लाख ५० हजार, बिल्डिंग ६० लाख, ब्रिजेज एंड कलवर्ट्स ३ लाख, परमानेन्ट वाटर सप्लाई ६ लाख, रोपवे १,३०,०००, ट्रांसपोर्ट १० लाख, स्वेज डिस्पोजल एंड ए लेक्ट्रिफिकेशन, १ १/२ लाख, रेलवे साईडिंग ४ १/२ लाख, लेबोरेटरी इक्वियमेंट ६० हजार, कॉटिनजेंसी ५ लाख। इस तरह से कुल मिलाकर १ करोड़ २४ लाख ६३ हजार का कुल टोटल होता है। तो यह बात ऐसी है कि जो किसी के बस की नहीं है। हमने हालात को देखते हुए अन्दाजा लगाया है कि तब तक यह पूरी हो जायगी, हो सकता है उस वक्त तक भी न हो।

एक साहब ने कहा कि यह रकम कम है। हम जितनी रकम खर्च कर सकते हैं उतनी ही इसमें रखी गयी है और उतनी ही खर्च करने की कोशिश करेंगे। ज्यादा अगर रखी जाय और वह खर्च न हो तो इससे भी कोई क्रेडिट (श्रेय) नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें यह कहने की गुंजायश रहती है कि ज्यादा रकम रखी गयी है, लेकिन उसको खर्च नहीं किया गया है। लिहाजा जो जरूरी रकम है, वह इसमें रखी गयी है। इसलिये मैंने जो प्रस्ताव रखा है मुझे आशा है कि सदन उसको स्वीकार करेगा।

श्री रामसुन्दर पान्डेय---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें बड़ी प्रसन्नता है कि इस अनुदान पर जो कटौती का प्रस्ताव हमने रखा था, बहुत से सरकारी बेंचों के सदस्यों ने इसका समर्थन किया। सब लोगों के भाषण के सुनने के पश्चात् मैं यह समझता हूं कि सब लोगों ने माननीय उद्योग मंत्री जी के इस काम की निन्दा की कि सरकार का जो ढंग है उसके बारे में बहुत शिकायतें हैं। फिर भी सरकार कहती है कि सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। उद्योग मंत्री जी हमसे उम्र में बड़े हैं, काफी पढ़े-लिखे आदमी हैं, वकालत भी किसी जमाने में करते थे, लेकिन आज का रूप-रंग कुछ और है और वह दूसरे ढंग का है, लेकिन जहाँ तक उद्योग विभाग का ताल्लुक है वह तो इनके पास नहीं रहना चाहिये। इनके सिपुर्द कोई दूसरा काम करना चाहिये, उसको यह अच्छी तरह से कर सकेंगे।

हमने यह नहीं कहा था कि सिमेंट फैक्टरी को हटा देना चाहिये और खाद की फैक्टरी खोलनी चाहिये। माननीय उद्योग मंत्री ने उस पर ध्यान नहीं दिया। शायद उनका ध्यान किसी दूसरी ओर चला गया था। हमने तो यही कहा था और सदन के सभी सदस्यों ने सुना होगा कि सिन्दरी फैक्टरी जो खाद देने के लिये बनाई जा रही है, अगर उसमें हमारा भी कुछ हिस्सा रहता तो उससे हमारे सूबे के किसानों का बहुत फायदा होता। किन्तु उस बात को माननीय उद्योग मंत्री ने नाटकीय ढंग से कहा और यह उनकी नाट्यकला का परिचायक है जो उन्होंने इस तरह का जवाब दिया। फिर मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार जो यह अनुदान माँग रही है इसमें भी सिमेंट फैक्टरी के लिये कोई प्लान नहीं है। मैं सरकार से फिर कहता हूं कि जिस तरह से केशव देव मालवीय जी ने सन् १९५० ई० में इसके पूरा होने की बात कही थी और दो साल हो गया, पूरी नहीं हुई उसी तरह से उद्योग मंत्री जी ने यह कहा है कि १९५४ में यह पूरी हो जायगी और इसके अन्दर उत्पादन शुरू हो जायगा। तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह भी गलत हो जायेगा।

माननीय उद्योग मंत्री ने कहा कि रुपये की कमी है, कहाँ से लाया जाय। यह चीज हमारे मंत्रिमंडल के लिये कोई नई नहीं है। यह तो पुरानी कहावत है ५-१० साल पहले की। सरकार हमेशा यही कहती रहती है कि प्रान्त के ऊपर संकट है, सरकार बड़ी परेशान

है। अगर प्रान्त के ऊपर संकट आये तो सरकार संकट दूर करने के लिये ही हुआ करती है और वही सरकार भी अच्छी हुआ करती है जो देश से संकट दूर किया करती है। देश के लिये वही ईमानदार होते हैं और वही कर्त्तव्यशील होते हैं जो पहाड़ों की कन्दराओं को तोड़ कर अपना रास्ता बनाते हैं। हर बात में जब सरकार को परिस्थिति के कारण संकटवश होना पड़ता है तो सरकार यहाँ क्यों बैठी है और इसकी यहाँ क्या आवश्यकता है? और सरकार क्यों कहती है कि हमने यह किया है और वह किया है। ४-५ साल का जमाना बीत गया, सरकार एक सीमेंट की फैक्टरी नहीं खोल सकी। फिर कहती है कि हमने तमाम तरफ उजाला किया है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू सरकार बनती रहे और अपने को खुद ही शाबाशी देती रहे। आपकी जबान आप के साथ है, चाहे जो कहिये। लेकिन दुनिया सरकार को क्या कहती है और देश सरकार को क्या कहता है और जनता आज क्या चाहती है उसे आप न मानिये।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं और वह यह कि अभी उद्योग मंत्री जी ने कहा कि ७४ या ७५ लाख रुपया कानपुर के मजदूरों के मकानों के लिये रखा है, लेकिन हमें तकलीफ होती है और मालूम कुछ ऐसा होता है कि माननीय उद्योग मंत्री हम लोगों को कुछ ऐसे ही समझते हैं और शायद वह भूल जाते हैं कि हम लोगों ने बजट को पढ़े हैं। उसमें लिखा है कि यदि केन्द्रीय सरकार सहायता नहीं देगी तो यह काम पूरा नहीं हो सकेगा और हम खूब समझते हैं कि आपके सामने यह बहाना आयेगा कि केन्द्रीय सरकार से सहायता नहीं मिली और इसीलिये कानपुर के मजदूरों के निवास स्थान नहीं बन सके। इसी तरह से आपके सामने बहाने आते जायेंगे और आपके काम बहानों से न जाने कब तक चलते जायेंगे।

उन्होंने कहा कि इंसान सोचता कुछ है, लेकिन होता है कुछ। लेकिन हम भूल जाते हैं और महात्मा गाँधी के सिद्धांत को भी सरकार भूल जाती है कि इंसान वही होता है, जो अमानवी को भी मानवी बनाकर छोड़ता है। हर चीज को मानवी बनाने वाला मनुष्य है। आप तो उद्योग मंत्री हैं। यह विशाल सदन आपके हाथ में है और इतनी बड़ी धनराशि सरकार के पास है, फिर सरकार कहती है कि रुपया नहीं है। कब तक सरकार इस तरह से बहाने करती रहेगी। मैं जानता हूं और हमारी पार्टी भी इस मसले पर यही कहती है कि केवल एक ही दवाई है और वही दवाई जिससे इन सब चीजों का हल निकल सकता है और मैं मंत्रिमंडल के सदस्यों को बतलाना चाहता हूं वह है राष्ट्रीयकरण का तरीका जिसको आपको मानना होगा। सब उद्योग, सब कारखाने, बीमा कम्पनी आप अपने हाथ में लीजिए। तभी आप का स्वर्ग बनाने का काम पूरा हो सकेगा, वर्ना नहीं हो सकेगा।

उपाध्यक्ष--मैं यह जानना चाहूंगा कि माननीय सदस्य अपने कटौती के प्रस्ताव को वापिस लेंगे?

श्री रामसुन्दर पांडेय--जी नहीं।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन १०० रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४५--औद्योगिक विकास (लेखा शीर्षक ७२--औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत) के अन्तर्गत १,२५,६३,००० रुपये की धनराशि स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

अनुदान संख्या ३८--लेखा शीर्षक ५६--लेखन सामग्री और छपाई

उद्योग मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३८--लेखन सामग्री और छपाई (लेखा शीर्षक ५६--लेखन सामग्री और छपाई तथा मूल्यापकर्ष पूरक सुरक्षित निधि--सरकारी छापाखाना) के अन्तर्गत ७८,५३,४०० रुपये की धनराशि स्वीकार की जाय।

इस सिलसिले में मुझे यह कहना है कि इस साल करीब ११-१२ लाख रुपये की कमी इस मद में रखी गयी है बमुकाबिले पारसाल के। इसमें ३ लाख रुपये की कमी प्राइवेट प्रेसेज को जो छपाई दी जाती थी उसमें कर दी गयी है। करीब ८-९ लाख के उस मद में कम किया गया है जिसमें कि स्टेशनरी और कागज वगैरह की खरीद होती थी। पारसाल इलेक्शन के सिलसिले में इन चीजों की जरूरत थी, इसमाल नहीं है। सरकार का यह मंशा है कि जैसे-जैसे हमारे सरकारी छापेखाने इक्विप (सुसज्जित) होते जायं, हमारा सारा काम वहीं हो। अभी फिलहाल दिक्कतें हैं जिससे मैंने कुछ थोड़ी रकम प्राइवेट प्रेसेज के लिये रखी है। हमने छापेखानों में ऐप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम भी चला रखी है, ताकि लोग काम सीख कर अच्छा काम कर सकें और अपना भी भला कर सकें।

(इस समय ४ बज कर ५ मिनट पर अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)।

एक एक्सपर्ट कमेटी हमने बिठाई है, जिसके चेयरमैन डाइरेक्टर आफ काटेज इंडस्ट्रीज हैं यह जाँच करने के लिये कि हमारे प्रेसेज में कितनी नई मशीनों की जरूरत है और कितने स्टाफ की आवश्यकता है। इन सब बातों के बारे में विचार करके अपनी रिपोर्ट वह दें।

जैसा माननीय सदस्यों को विदित है लखनऊ में भी गवर्नमेंट प्रेस की ब्रांच है और इलाहाबाद में हमारा बड़ा छापाखाना है। सरकारी छपाई का काम इतना बढ़ गया है कि हमें यहाँ एक बड़े छापेखाने की जरूरत है। लिहाजा हमने एक बड़ी इमारत ऐशबाग में छापेखाने के लिये बनाई है, उसमें काम भी शुरू हो गया है। लेकिन अभी सब मशीनें वहाँ नहीं आ सकी हैं। इसलिये वह कमेटी इस प्रश्न पर भी विचार करेगी कि हमारी किन-किन मशीनों की और क्या लेबर की जरूरियात हैं। उनकी रिपोर्ट आने पर यह फैसला कतई तौर से किया जा सकता है कि हमें कितने आदमियों की जरूरत है और कितने आदमी हमें रखने चाहिये। मैं जानता हूं कि छापेखाने में काफी तादाद ऐसे लोगों की है जोकि अभी टेम्पोरेरी बेसिस (अस्थायी आधार) पर काम करते चले आ रहे हैं। १,३०० से अधिक १,३६५ या १,३६४ आदमी ऐसे हैं जो टेम्पोरेरी बेसिस पर काम कर रहे हैं। इनमें से ५०० ऐसे हैं जो ५ साल तक के हैं, १८५ ऐसे हैं जो ५ साल से अधिक जमाने से टेम्पोरेरी बेसिस कर काम करते चले आये हैं। इस बजट में १८५ आदमियों को मुस्तकिल करने का सवाल रखा गया है और उसके लिये प्राविजन (उपबन्ध) भी मौजूद है शेड्यूल आफन्यू डिमाँड्स (नई माँगों की सूची) के जरिये से। मेरा जी तो चाहता था कि जितने ज्यादा आदमियों को हम मुस्तकिल कर सकें उतना ही अच्छा है। टेम्पोरेरी लोगों में बदगुमानी होती है और काम करने में कोताई भी हो जाती है जिससे देश को बड़ी हानि भी होती है। वह दूर हो जाती। लेकिन हमारे लिये कुछ मुश्किलात भी हैं और बंदिशें भी हैं। अगर मान लीजिए कि १,३६५ को हम मुस्तकिल कर दें और रिपोर्ट आये कि हमको १,१०० की जरूरत है तो हमारे लिये उन २६५ का निकालना नामुमकिन हो जायगा। ऐसी दिक्कतें हैं और मैं समझता हूं कोई माननीय सदस्य और हमारे मित्र बहुगुना जी इस राय को न रखते होंगे कि अगर दो आदमियों की जरूरत है तो चार आदमी रखे जायं। इसमें टैक्स पेयर (करदाता) का रुपया बरबाद होता है। इसलिये उतने आदमी ही रखे जाने चाहिये जितनों की जरूरत

है । उनको काफी तनख्वाह दी जाय तो एफीशियेंसी (कार्यक्षमता) में भी इजाफा होगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा आदमियों को रख लिया जाय और अन्डर फ्रेड (कम वेतन दिया) रखा जाय तो वह पब्लिक इंटरेस्ट (जनहित) के खिलाफ होगा। इन्हीं दिक्कतों की वजह से हम आगे कदम नहीं बढ़ा सकते, परन्तु इसके यह मानी नहीं हैं कि मैं आगे बढ़ना नहीं चाहता। रिपोर्ट आने पर मैं उस पर पूरे तौर से विचार करूंगा और बहुत ही सिम्पेथी (सहानुभूति) जिम्मेदारी महसूस करते हुए, पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, टैक्स पेयर का ख्याल रखते हुए इस पर विचार किया जायगा।

श्री भगवान दीन मिश्र (जिला बहराइच)--अध्यक्ष महोदय, केवल आधा घंटा ही इस अनुदान के लिये रखा गया है और माननीय मंत्री जी ने १० मिनट से अधिक समय ले लिया है। और सदस्यों को फिर समय नहीं मिलेगा।

श्री हुकुम सिंह--मैं अब खत्म करता हूं। यह अनुदान मंजूर किया जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, उद्योग मंत्री ने जो अनुदान सदन के सामने पेश किया है, उसमें से १०० रु० की कमी का प्रस्ताव रखता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कटौती का प्रस्ताव बहुत ही मजबूर होकर रखना पड़ा है। पहिली बात तो यह है कि हमें इसका पहिले कोई अनुभव नहीं था, लेकिन जब से हमने इस सदन में शपथ ग्रहण किया है तब से कुछ अनुभव हो गया है। उद्योग मंत्री के इस छापेखाने को हम जान गये हैं। बजट का इतना बड़ा पोथा छाप कर सदन के सामने प्रस्तुत किया गया। उद्योग मंत्री की ओर से पिछले अनुदानों पर क्या-क्या सरकार ने काम किये उसका लेखा भी बाँटा गया।

श्री हुकुम सिंह--श्रीमान् जी की आज्ञा से मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। बुकलेट्स (पुस्तिकायें) कौंसिलर्स रेजीडेंस (विधानावास) में पहुंचाई गयी थीं। अगर कोई सदस्य घर पर मौजूद न मिले तो क्या किया जाय।

श्री रामसुन्द पांडेय--मालूम होता है कि उद्योग मंत्री कम सुनते हैं। हमने कहा कि बजट की इतनी बड़ी-बड़ी पोथी दी गयी। अब तक हमें जो चीज नहीं मिली है, वह विभागों की रिपोर्ट है। कहा गया कि पहुंचा दी गयी, बाँट दी गयी, पता नहीं वे छापेखाने में हैं या भवन के अन्दर कहीं पड़ी हुई हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आपने जो छापेखाने के लिये ७८ लाख रुपये का अनुदान सर्वसम्मति से मंजूर कराने के लिये प्रस्ताव रखा है वह तो ऐसी बात है कि शायद ही कोई सम्मानीय सदस्य होगा जो उसको हृदय से स्वीकार करता होगा। यों तो विशाल बहुमत है, ऊपर से अनुशासन का चाबुक भी है। बतलाया कुछ गया है और उससे निकलती दूसरी बात है। एक दूसरे हमारे माननीय सदस्य ने सदन में धन्यवाद देते हुए कहा कि क्या करें मजबूर हैं। तो मैं उद्योग मंत्री से कहना चाहता हूं कि आपके जो छापेखाने हैं वे अव्यवस्थित हैं। यह कहा जाता है कि १५ दिन के अन्दर माननीय सदस्यों के पास कार्यवाही छपकर आ जानी चाहिये, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि पूरे एक महीने, दो महीने का वक्त बीत गया है, जब कि पिछली बार असेम्बली बैठी थी। उसकी भी कार्यवाही अब तक माननीय सदस्यों को नहीं पहुंच सकी। अब अगर सरकार कहे कि हम इस काम को करने वाले हैं तो बात दूसरी है।

एक और भी शंका की बात है। शायद आपका एक प्रेस बनारस में भी है, जिसमें आपका शेयर ( हिस्सा ) भी है। वह 'संसार' प्रेस है। लेकिन

[ श्री रामसुन्दर पांडेय ]

उद्योग मंत्री ने 'संसार' प्रेस का जिक्र तक नहीं किया कि 'संसार' प्रेस से सरकार को कितना लाभ होता है सरकार उसको कितना पैसा देती है। कम से कम उद्योग मंत्री इस सदन को यह तो बतलावें कि उसमें सरकार का कितना शेयर है और उससे सरकार को कितना पैसा मिलता है।

अध्यक्ष महोदय, एक दूसरी बात की तरफ माननीय उद्योग मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बजट को हमने देखा तो यह मालूम हुआ कि पारसाल से दो लाख रुपया लेखन-सामग्री में इस साल कम है। हमें यह पूछने का हक है कि पारसाल सरकार के काम का प्रचार करने के लिये लेखन सामग्री में दो लाख रुपया अधिक था तो इस साल जब कि ९ की जगह पर १२ मंत्री बनाये जा रहे हैं, ५ पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी की जगह पर १४ उपमन्त्री और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी बनाये जा रहे हैं और जब २२८ की जगह पर ४३० मेम्बर इस सदन में मौजूद हैं और लेखन सामग्री, जिससे प्रचार का सबसे बड़ा काम हुआ करता है और जनता के सामने उसको बतलाने का हक होता है कि हमने ये काम किये हैं तो फिर उसमें दो लाख रुपये की कमी क्यों की गयी? हम सोच सकते हैं और सोचने के बाद अध्यक्ष महोदय, हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि पार साल चुनाव का जमाना था और चुनाव के सिलसिले में हमने देखा है कि छोटी-छोटी प्रशंसा की किताबें मंत्रियों के फोटो के साथ जनता में बांटी जाती थीं। उनमें उद्योग मंत्री की फोटो भी छाप-छाप कर बाँटी जाती थी और पुलिस मंत्री की भी। और सूबे की सरकारों के लेखन सामग्री की रिपोर्टें भी हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन उनके यहाँ मंत्रियों की फोटो छाप-छाप कर नहीं बाँटी जातीं। लेकिन यहाँ पर तो पैम्पलेट में मंत्रियों की फोटो छाप-छाप का बाँटी जाती है। हम जानना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, कि उद्योग मंत्री जी को कौन नहीं पहचानता है। रूप-रेखा बड़ी अच्छी है, उन्हें सब लोग पहचानते हैं। माननीय सदन नेता को भी सब लोग पहचानते हैं। फिर फोटो छाप-छाप कर बाँटने की और इसमें सरकार का पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है। मेरा कहना यह है कि सरकार की ओर से जो ये छापेखाने खोले गये हैं सिर्फ सरकार की पार्टी-प्रचार के लिये है। इससे देश का नुकसान होगा। यह लोकतंत्र की कमजोरी है। लोकतंत्र में यह हक नहीं हुआ करता कि एक आदमी अपने पार्टी-प्रचार के लिये सरकारी खजाने का, सरकारी पैसे का उपयोग करे।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना (जिला इलाहाबाद)--माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो अनुदान हमारे माननीय उद्योग मंत्री ने लेखन सामग्री और छापेखाने के सिलसिले में हमारे सामने पेश किया है, उसके एक विशेष रूप की ओर मैं आपकी आज्ञा से सरकार तथा इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। छापेखाने का इंतजाम और इंतजाम करने वालों के सिलसिले में हमारे एक भाई ने अभी आपसे कहा है, मैं फिर अपनी बात को दोहराना चाहता हूं, जो मैंने पिछले मौके पर इस भवन में कहा था। मैंने बतलाया था कि यह एक बीमारी हमारी सरकार के अलग-अलग विभागों में हो गयी है कि आखिरी मौके तक छापने के काम इरादतन छापेखाने में नहीं भेजते और गरज उनकी यह होती है कि छापेखाने को ठीक से समय पर छापने का वक्त न मिले जिससे वह ठीक वक्त पर छप कर आ सके। नतीजा यह होता है कि भिन्न-भिन्न विभाग अपना-अपना छापाखाना खोलना शुरू कर रहे हैं या बाहर अपने दोस्तों के छापेखाने में उसे भेज कर उन्हें पैसा देने की कोशिश करते हैं। अतएव आपकी आज्ञा से मैं मंत्रिमंडल को सचेत करना चाहता हूं कि अगर यह बात इस तरह से चलती रही तो सरकार का विशेष नुकसान होगा।

इस अनुदान के संबंध में बजट देखने के बाद मुझे मालूम हुआ कि गवर्नमेंट प्रेस में काम करने वाले कर्मचारियों की हालत की किसी को परवाह नहीं है। जिस वक्त आप अनुदान के लिये समय मुकर्रर कर रहे थे, उस वक्त मुझे लगा कि इस भवन में मैं अकेला सा हूं, क्योंकि आपको मालूम है किसी दूसरे भाई ने मुनासिब नहीं समझा, इस सदन के किसी माननीय सदस्य ने मुनासिब नहीं समझा कि इस अनुदान के लिये आप आधे से अधिक घंटे का समय रखें। मैंने देखा कि छापेखाने से कैसी किताब छपकर आई। इस पर तो मेरे समाजवादी भाई ने भला-बुरा कहा, लेकिन हमारे मजदूरों, जिनके सिलसिले में उनका दावा यह है कि हम उनके प्रतिनिधि हैं, एक शब्द भी नहीं कहा। हम उनकी आवाज यहाँ उठाना चाहते हैं कि इनकी क्या हालत है। हमारे समाजवादी भाई ने इसकी तरफ गौर करने की कोशिश भी नहीं की। मुझे आपकी आज्ञा से आज इस भवन में अपने उद्योग मंत्री के वादों के बावजूद भी, जो उन्होंने अपनी स्पीच में अभी दिये हैं, कहना है कि इसी तरह से वादे हुजूरवाला बराबर इस छापेखाने के मजदूरों के साथ होते चले आये हैं। उसका तजकिरा आपकी इन किताबों से भी मालूम होता है। मंत्री महोदय ने बड़ी कोशिश करके स्मृतिपत्र में लिखा और उसमें लिखा कि हम बराबर सन् १९३८ से सोचते चले आये अस्थायी मजदूरों के संबंध में। रुद्रा कमेटी बैठी, उसके बाद दो कर्मचारियों की एक कमेटी बैठी १९४१ में और आज भी बैठने वाली है। लेकिन बावजूद माननीय उद्योग मंत्री के वादों के आज मेरा दिल नहीं चाहता कि आज उनकी बात पर हाँ कहूं और इस अनुदान के संबंध में अपनी स्वीकृति दूं। जो राज्य अपने को वेलफेयर स्टेट (लोक कल्याण राज्य) कहता हो उस राज्य के शासकों को यह पता नहीं है कि सन् १९३८ में जितने आदमी उनके यहाँ मौजूद थे, उनकी संख्या आज भी कितनी है और आज भी उनमें से कितने टेम्पोरेरी (अस्थायी) हैं। आप देखेंगे कि १,३६७ आदमी टेम्पोरेरी हैं, उनमें से ८० फीसदी हैं जो ५ साल से ऊपर काम करने वाले आदमी वहाँ पर हैं, जो किसी जमाने में १९४१ में भी मौजूद थे और अब रिटायर होने के वक्त पर आ गये हैं। ७० फीसदी इन आदमियों में से ऐसे हैं जो अगले दो वर्षों में रिटायर होने वाले हैं। आज भी माननीय मंत्री कहते हैं इस सदन के सामने कि एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आ जाय, तब हम आपको बतायेंगे कि हम क्या करेंगे।

अभी हाल ही में एक प्रश्न के संबंध में मैंने पूछा था कि क्या उस एक्सपर्ट कमेटी में कोई मजदूर का नुमाइंदा भी रखा गया है। तब जवाब मिला कि जो एक्सपर्ट हैं उसमें रखे गये हैं। मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि जितने एक्सपर्ट्स थे, वह सब नान---एक्सपर्ट्स (अविशेषज्ञ) थे, अगर एक्सपर्ट्स होते तो आज यह दुर्दशा न होती। हमारी यूनियन के कहने के बाद तो सरकार ने रिआर्गनाइजेशन के काम पर विचार शुरू किया। ऐशबाग में आपने आज जो कारखाना खोल रखा है, वह आज इस गवर्नमेंट को ही खा जाना चाहता है अगर आप का ध्यान उस तरफ नहीं जाता है ? आपने बड़ी बड़ी बिग पैलेशियल बिल्डिंगज़ वहाँ पर बना दी हैं, लेकिन क्या आपने कभी उनके बगल में ही खड़े हुए झोपड़ों को भी देखा है, जिनकी छतें नीचे आना चाहती हैं और मजदूर को दबा डालना चाहती हैं ? क्या आपने कभी गौर किया कि २० और २५ रुपया उनकी मिनिमम वेजेज (निम्नतम मजदूरी) है। क्या इस सरकार ने जो यह कहा करती है कि स्टैंडिंग आर्डर ऐक्ट के मातहत उनको स्थायी करना होगा कभी देखा कि कितने उनमें से अस्थायी हैं। आपने कहा कि अगर हम उनको स्थायी कर देंगे तो हम फिर निकाल नहीं सकते। लेकिन मैं आज भी कहता हूं कि छटनी हर कारखाने में जरूरत पड़ने पर बराबर होती है। मैं कहता हूं कि परमानेंट (स्थायी) मजदूर की भी आवश्यकतानुसार छटनी की जा सकती है। इसमें मुझको

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुना]

जरा भी एतराज नहीं है। उनको परमामेंट कीजिये और अगर आपके पास कल काम न रहा तो छटनी का जो 'बेनिफिट' (लाभ) मिलता है वह दे करके छटनी कीजिए। जैसे बाहर और जगह होता है, जैसे बिरला के यहाँ, डालमिया के यहाँ, इंडियन प्रेस में होता है। लेकिन यह कोई कायदे की बात नहीं है कि ४३ साल का इंसान, जिसने जिन्दगी आपके यहाँ बिताई है उसको आप यों ही निकाल दीजिए आफ्टर गिविंग ग्रेचुइटी अन्डर सेक्शन ३६१, सी० एस० आर० (सिविल सर्विस रेग्युलेशन के खंड ३६१ के अन्तर्गत अनुग्रह-धन दे कर)। सेक्रेटरी के दरवाजे पर चक्कर लगाते लगाते मैं दीवाना हो गया। उनके पास कोई कायदा नहीं जिससे वह कुछ कर सकें। सुनते थे किसी जमाने में गवर्नर महोदय को कोई स्पेशल पावर्स (विशेषाधिकार) थीं। इस विधान में वह भी गयीं। चुनाँचे अब वह भी मौका गया।

मैं कहता हूं कि मैं तैयार हूं कि आज आप स्टैंडर्डाइजेशन आफ वेजेज (मजदूरी का सरूपीकरण) कीजिए, तनख्वाह के संबंध में एक्सपर्ट्स कमेटी (विशेषज्ञ समिति) मुकर्रर कीजिए, काम को स्टैंडर्डाइज करवाने के लिये कमेटी बिठाइये। लेकिन मजदूर को इतना वेतन दीजिए जो उसका जीवन चलाने के लिये काफी हो। मैं कहता हूं कि वहाँ पर अगर आदमी ज्यादा हैं तो उनको कम करें, लेकिन इस तरह से उनको बराबर अस्थायी रख आप खुद अपने इंसाफ के खिलाफ कर रहे हैं।

मैं आपसे कहता हूं कि आज आपके दो नियम हैं--एक प्राइवेट छापाखानों के लिये और दूसरा अपने मजदूरों के लिये। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इन मजदूरों में जिस वितंडावाद का हमें सामना करना पड़ता है वह हमी जानते हैं। मैं किस मुंह से कहूं कि इंडियन प्रेस के अन्दर ऐडजुडीकेशन (अभिनिर्णय) करवा के मैंने शर्त लगवा दी कि दो साल के अन्दर वहाँ का हर मजदूर परमानेंट हो जायगा। मैं उनसे क्या कहूं, जहाँ बराबर मजदूर टेम्पोरेरी हैं। उनकी क्या दशा होगी? १८५ आदमी अभी अभी रिटायर हो जायेंगे, जिनके लिये सरकार के डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी कह देंगे पेंशन मींस ग्रेचुइटी अन्डर सेक्शन ३६१, सी० एस० आर० (निवृत्ति-वेतन का तात्पर्य खंड ३६१ सिविल सर्विस रेग्युलेशन के अन्तर्गत अनुग्रह-धन है।) अपनी जिन्दगी के ४३ साल बिताने के बाद उसको आप ८ सौ रुपया देकर कह देंगे कि अपने घर चले जाओ। जवानी उसने छापेखाने में बितायी, उसके बुढ़ापे का क्या सहारा होगा? आप क्यों ऐसे लोगों को रखते हैं, जिनके लिये आप के पास काम नहीं है। यदि सन् १९३८ ई० में इन मजदूरों के लिये काम नहीं था तो वह आज भी नौकरी में मौजूद क्यों हैं? इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस छापेखाने के संबंध में आप शीघ्र से शीघ्र अपना कदम, सही कदम, मजबूत कदम उठाइये। हमको बजट न दिखाइये क्योंकि मजदूर दल बजटों को बना-बिगाड़ सकने की शक्ति रखते हैं।

**श्री हुकुम सिंह**--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने मित्र बहुगुना जी की तकरीर को ध्यान से सुना। मैंने शुरू में ही अर्ज कर दिया था कि मैं तो चाहता हूं कि सबको मुस्तकिल कर दूं। लेकिन साथ ही साथ जो मेरी बंदिशें हैं, जो मेरे रास्ते में रुकावटें हैं उनका भी जिक्र मैंने किया और मुझे अफसोस है कि हमारे मित्र को इस वक्त तो मेरी दिक्कतों का अहसास नहीं हुआ, लेकिन मैं नाउम्मीद नहीं होता। जब हम और वह बैठ कर ठंढे दिल से इस गंभीर विषय पर सोचेंगे तो मुझे हर तरह से यह आशा है कि कुछ वह आगे बढ़ेंगे, कुछ मैं आगे बढ़ूंगा और हमारे उनके दरमियान में इस मसले में इत्तिफाक राय होगी। मैं यह समझता हूं जो मुस्तकिल नहीं है, उनकी बहुत काफी तादाद है। लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे मित्र मुझसे तो ज्यादा जानते हैं क्योंकि उनको उन्हीं में काम करना है और अरसे से काम

करते आये हैं। तो जो जानकारी उनको है उतनी जानकारी रखने का मैं कभी दावा नहीं करता। अभी तो आये मंगल-मंगल आठ दिन हुए इस फिजा में और धीरे-धीरे ऐसे मौके आयेंगे कि मैं भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करूंगा। लड़ाई के जमाने में कितना काम बढ़ा छपाई का और उस जमाने में कैसे भर्तियाँ होती थीं मैं उसकी तफसील में जाना नहीं चाहता। हमारे मित्र काफी जानते हैं।

**श्री हेमवती नन्दन बहुगुना**--मैं उस वक्त जेल में बन्द था।

**श्री हुकुम सिंह**--लेकिन आपने फिर जानकारी हासिल कर ली। अभी मैंने नहीं देखा, लेकिन वार (युद्ध) के जमाने में काफी भर्ती हुई और हर मुहकमे में भर्ती हुई खाली प्रेस में नहीं। उस वक्त क्या अरेंजमेंट (प्रबन्ध) हुए यह भी साफ है। लिहाजा इन सब बातों पर विचार हमको करना है। हम यह नहीं चाहते कि हमारे जो गरीब काम करने वाले हैं, उनके रास्ते में कोई रुकावट या दिक्कतें हों। अगर उनको माली दिक्कतें होंगी तो हमारा काम भी ठीक से नहीं हो सकता। और जो हमारे दोस्त ने कहा है कि बजट की बात जाने दीजिए सही कदम उठाइये, मैं हर वक्त उठाने के लिये तैयार हूं बशर्ते कि उनका सहयोग जैसा आज प्राप्त है, वैसा ही आइंदा भी प्राप्त हो।

हमारे दोस्त रामसुन्दर जी को एक बात की शिकायत हुई कि प्रोसीडिंग जल्दी छप कर नहीं आयी। दिक्कतें हैं, काम बहुत है। मैंने शुरू में कहा कि इसी वजह से देर हो जाती है। जिस वक्त यह ग्रांट आप मंजूर कीजिए और हमारे प्रेसेज इक्विप्ड (सुसज्जित) हो जायं, तो गालिबन इतनी देर न हो। ग्रांट मंजूर करने में भी दिक्कत और काम भी चोखा चाहते हैं दोनों बातें तो साथ-साथ नहीं हो सकती हैं। एक बात की शिकायत उनको और है कि इसमें मिनिस्टरों की तस्वीर क्यों छपती है। अगर यह मालूम होता कि उन्हें मिनिस्टरों की शक्ल से इतनी भड़क है तो नहीं छपती। रोज हम यहाँ पर बैठते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं होती, तो अगर उसमें छप जाती है तो इतना भड़कते क्यों है? तो मैं इस शिकायत में कोई तत्व नहीं समझता। जहाँ तक छपाई का काम है, काम ज्यादा है। काम करना है। बिला छपाई के काम हो नहीं सकता। तो ऐसी सूरत में यह अनुदान मंजूर कीजिए ताकि काम जारी किया जाय और काम चले और फिर हम सोचें कि हम सही कदम कैसे उठावें और कहाँ तक जायं।

बस इतना ही मुझे कहना है। मुझे आशा है कि यह सदन इस अनुदान को स्वीकार करेगा।

**श्री रामसुन्दर पांडेय**--माननीय अध्यक्ष महोदय, उद्योग मंत्री जी ने जो हमारी बातों का जवाब दिया है 'संसार' प्रेस के संबंध में जो कहा था, उसका उत्तर नहीं मिला। दूसरी बात बहुगुना जी की है कि बहुत से नेता लोग मजदूरों की बात करते हैं। लेकिन इस प्रेस के मजदूरों का नाम तक नहीं लेते हैं, तो बहुगुना जी से मैं अर्ज करूंगा कि अभी दो मिनट के अन्दर ही आपकी परीक्षा और जाँच होने वाली है कि सचमुच आप जो रोना रोये हैं यह दिल से रोये हैं या ऊपर से रोये हैं। 'अध्यक्ष महोदय, घड़ियाल रोता है, लेकिन आँसू नहीं बहाता है। तो बहुगुना जी और उनके नेता उद्योग मंत्री घड़ियाल के आँसू रोये हैं या वास्तविक रोना रोये हैं उसकी भी परीक्षा हो जायगी। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं। उद्योग मंत्री जी ने बहुगुना जी को जवाब दिया कि मैं तो जानता ही नहीं था, लेकिन आपने कार्यभार संभाल लिया और उद्योग मंत्री हो गये। कोई कहावत है कि आदमी जब योग्य हो जाता है किसी काम के लिये तब उसकी इच्छा होती है उसको संभालने की। पर माननीय मंत्री जी उद्योग मंत्री होने लायक ही नहीं थे, फिर उन्होंने पद-ग्रहण कर लिया। ज्यादा अच्छा हो कि उद्योग मंत्री फिर से

[श्री राम सुन्दर पांडेय]

उद्योग-धंधों के बारे में जानकारी हासिल कर लें और हमारे जो मजदूरों के नेता बहुगुना जी हैं उनको उद्योग मंत्री बना दिया जाय, तब शायद जो घड़ियाल के आँसू उन्होंने मजदूरों के लिये बहाये हैं, उसकी यथार्थता प्रकट हो जायगी।

तो मैं इन शब्दों के साथ फिर वह बात याद दिलाना चाहता हूं उद्योग मंत्री जी को कि आपका जो प्रेस है और इसमें जो आपके कारनामे हैं वह न निकलें, लेकिन यह भी साफ-साफ चाहता हूं कि सरकार को जो पैसा जनता देती है देश और प्रदेश का काम चलाने के लिये, उसको सही ढंग से आप इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं होना चाहिये कि एक पार्टी के प्रचार में ही सरकार सारा रुपया बरबाद करे।

अध्यक्ष महोदय, मुझे पूरा स्मरण है और हमारे पास इसकी सूचना है कि चुनाव के जमाने में जहाँ कोई आबादी भी नहीं थी वहाँ मोटरों पर चढ़ कर पर्चे पहुंचाये गये। तो फिर मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि आप का जो तरीका रहा है वह गलत रहा है। अब आप सीधे रास्ते पर आइये। मुझे उम्मीद है कि यदि आप उद्योग मंत्री होने के लायक हैं तो शायद सही रास्ते पर आ जायेंगे।

अध्यक्ष---माननीय पाँडे जी, क्या आप कटौती का प्रस्ताव वापस लेंगे?

श्री राम सुन्दर पांडेय---जी नहीं।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संपूर्ण अनुदान के अधीन १०० रूपये की कमी कर दी जाय।

श्री राम सुन्दर पांडे---मैं डिवीजन चाहता हूं। बहुगुना जी की परीक्षा जल्द हो जाय।

अध्यक्ष--- स परीक्षा की खातिर डिवीजन माँगा नहीं जाता।

श्री रामसुन्दर पांडेय---नहीं, सही बात जानने के लिये।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना---अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कह दूं कि मैं किधर हूं।

अध्यक्ष---खैर, आप बैठिए।

प्रश्न यह है कि प्रस्तुत संपूर्ण अनुदान के अधीन १०० रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ---

पक्ष में---१८

विपक्ष में---१८१ )

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३८---लेखन-सामग्री और छपाई (लेखा शीर्षक ५६---लेखन-सामग्री और छपाई तथा मूल्यापकर्ष पूरक सुरक्षित निधि---सरकारी छापाखाना) के अन्तर्गत ७८,५३,४०० रुपये की धनराशि स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३९---लेखा शीर्षक ५७---विविध व्यय

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)---माननीय अध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३९---विविध व्यय (लेखा शीर्षक ५७---विविध व्यय) के अन्तर्गत ५,६०,५५,४०० की धनराशि स्वीकार की जाय।

इस अनुदान के लिये आधा घंटे का समय निश्चित है, लेकिन गालिबन अब २० मिनट बाकी हैं, इसलिये मैं ज्यादा सदन का समय नहीं लेना चाहता, केवल इतना कह कर बैठ जाऊंगा कि इस ग्रांट के संबंध में जो तफसील वाल्यूम ४ के सफा ३०७ से शुरू हुई है पुस्तकों और सामयिक पत्रिकाओं और धर्मार्थ योजनाओं के लिये दान, विशेष जाँच कमीशन और छोटी स्थापनायें, वसूल न हो सकने वाले मियादी ऋण और अग्रऋण जो बट्टे खाते में डाल दिये गये, तकावी ऋण, दूसरे ऋण, अंशदान, म्युनिसिपैलिटियों को ..

अध्यक्ष--माननीय मंत्री जब फीगर्स नहीं बताते हैं तो स्मृतिपत्र पढ़ने से मैं समझता हूं किसी की समझ में नहीं आ सकता।

श्री हुकुम सिंह--बहुत अच्छा, अगर आदेश हो तो मैं न पढ़ूं।

अध्यक्ष--नहीं आप अगर इतना कह दें कि लोग पढ़ लें तो वे पढ़ लेंगे।

श्री हुकुम सिंह--बहुत अच्छा।

यह विवरण इसमें दिया हुआ है और फिगर्स भी दिये हुए हैं और मुझे आशा है कि माननीय सदस्यों ने इसको पढ़ा भी होगा लिहाजा ज्यादा वक्त लेने से लोगों को बोलने के लिये कम समय मिलेगा जो शिकायत का बायस होगा। लिहाजा इन चन्द शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि सदन इस माँग को स्वीकार करेगा।

श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभाग की कार्यशैली और उसकी नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

अध्यक्ष महोदय, यह अनुदान विविध कार्यों के लिये उपस्थित किया गया है। इस अनुदान के जरिये कई एक मदें ऐसी हैं जिन पर करीब-करीब सारी चीजों पर विचार किया जा सकता है। मुझे सबसे पहले इस बात पर अफसोस होता है कि ग्रांट नम्बर २८ के मातहत मैं बोल नहीं सका और मुझे मौका नहीं मिला। इस लिये मैंने यह मुनासिब समझा कि विविध ग्रांट के मातहत अपने कट मोशन को रखते हुए अपने विचार मन्त्री महोदय के सामने रखूं।

मैं यह कह देना चाहता हूं कि पिछले कई सालों से यह विविधि ग्रांट के जरिये हरिजनों के उत्थान के लिये काफी रुपया रखा गया है। जौनसार--भावर के उत्थान के लिये भी काफी रुपया रखा गया था। मैंने यह देखा कि जौनसार भावर में काफी रुपया रखा गया था, हालां कि यह एरिया ऐसा था जो बहुत पिछड़ा हुआ था और उसके उत्थान करने की अभी तक जरूरत है। लेकिन इस वक्त मैंने देखा कि उनके लिये एक पैसा भी नहीं दिया गया। यह मैं नहीं कह सकता हूं शायद और कहीं प्रावीजन (उपबन्ध) किया होगा। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि मैंने अभी तक कोई ग्रांट नहीं देखी जिसमें कुछ पैसा रखा गया हो। वहाँ के लोगो की हालत को सब जानते हैं। वे लोग जंगली आदमियों की तरह से रहते हैं।

इसके अतिरिक्त मैं यह कह देना चाहता हूं कि हमारा प्रदेश खेती पर निर्भर करता है, उद्योगों पर निर्भर करता है। खेती के लिये तो काफी गुंजाइश ट्रैक्टरों के जरिये से हो गई है। ग्राम पञ्चायतों के बेसिस (आधार) पर ट्रैक्टरों द्वारा ऋण देकर खेतीबारी की तरक्की की बात सोची गई है और उसमें काफी रुपया दिया जा चुका है। इसकी जरूरत भी है कि इस समय गल्ले की ज्यादा पैदावार की जाय जिससे देश की जरूरत पूरी हो सके। लेकिन अगर गल्ला पैदा हो गया और दूसरे उद्योग-धन्धे न बढ़े तो यही हालत होगी जैसा कि बिहार में हुई थी। जो लोग वहाँ गये थे उन्होंने यह कहा कि लोगों में परचेजिंग कैपेसिटी (क्रय-शक्ति) नहीं थी। गल्ला तो बहुत था। लोगों के पास पैसा नहीं था, इसलिये भूखे मरते थे। ऐसी दशा अगर

[श्री जयपाल सिंह]

हमारे यहाँ हो जाय तो किसकी जिम्मेदारी होगी ? इस लिये इस बात की जरूरत है कि जो उद्योग हैं उनको शहरों और कस्बों से हटा करके, यह मैं नहीं कहता कि खत्म कर दिया जाय, बल्कि देहातों में औद्योगिक कार्य किये जायं और वहाँ के लोगों में प्रचार करें, शिक्षा दें और उनको प्रोत्साहन दें और मैं यहाँ तक कहूंगा कि हरिजनों के लिये काफी गुंजायश होनी चाहिए ।

अभी मेरे लायक दोस्त ने यह कहा था कि इन्डस्ट्रियल कमेटी की रिपोर्ट आई है उसमें घरेलू धन्धों के बारे में काफी विस्तार के साथ कहा गया है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि चमड़े के कार्य के लिये उस कमेटी ने काफी विचार किया और यह सिफारिश की कि चलते फिरते स्कूल खोले जायं और लोगों को सिखाया जाय । इस तरह से चमड़े के कार्य की उन्नति हो सकती है । आप जानते हैं कि इस कार्य से लाखों-करोड़ों रुपया पैदा हो सकता है। हमें इसकी उन्नति करने के लिये इस काम को प्रोत्साहन देना होगा । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी यूनियनें बनाई जायं । इन चलते-फिरते स्कूलों के जरिये उनको जापानी मशीनों के जरिये रंगने, प्रेस करने और तरह-तरह के छोटे मोटे काम सिखाये जायं । इस तरह से इस काम का उत्थान होगा ।

सरकार जो तरह तरह की ग्रान्ट्स देती हैउससे मैं यह भी चाहूंगा कि पिछड़े हुए लोगों के लिये खास तौर से लंगड़े, लूलों के लिये विशेष प्रबन्ध करे और भिखमंगों के लिये जो कमेटी बनी थी उसका कोई जिक्र नहीं किया गया है उसके लिये कोई बिल आना चाहिए ताकि उनका भी उद्धार और उत्थान हो सके । जो हृष्ट-पुष्ट होकर के भी भीख माँगते हैं उनको काम दिया जाना चाहिए और जो लूले, लंगड़े हैं उनके खाने का इन्तजाम होना चाहिए । ऐसी अवस्था में मैं निवेदन करूंगा कि उस कमेटी ने जो सिफारिश की थी उसके मुताबिक कार्य किया जाय और उस पर विचार किया जाय ।

श्री रामलखन (जिला बनारस)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा अपना कटौती का प्रस्ताव इस सदन के सामने पेश करता हूं ।

अध्यक्ष--आपका कटौती का प्रस्ताव तो पेश हो चुका । उसका आप समर्थन कर सकते हैं या अपने विचार प्रगट कर सकते हैं ।

श्री रामलखन--समर्थन करते हुए मैं इस सम्बन्ध में सदन को बतलाना चाहता हूं कि इस बजट में धर्मार्थ की संस्थाओं को जो सहायता दी जा रही है उसमें करीब १ लाख ७० हजार रूपया खर्च किया जा रहा है। वे संस्थायें करीब १० के हैं। विधवा आश्रम, अनाथालय। आज हमारे प्रान्त में जो विधवा आश्रम और अनाथालय हैं, उनकी जो बदनामी हो रही है उस तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। रोजाना अखबारों में पढ़ने में आता है कि ये आश्रम आज व्यभिचार के अड्डे बन रहे हैं। आज मैं देखता हूं कि धर्मार्थ के नाम पर भूखे नंगे, और अंधों को सहायता देने के नाम पर लाखों रुपये खर्च किये जा रहे हैं, लेकिन आज सड़कों पर लाखों आदमी भूख से तड़प रहे हैं। चाहे जिस शहर में चले जाइये प्रायः सड़कों पर लाखों आदमी भीख मांगते नजर आयेंगे ।

हमने बजट में देखा कि सरकार ने मछलियों और मुर्गियों के उत्पादन के लिये ५ लाख रुपया रखा है, लेकिन देश के हजारों नंगे भूखे जो तड़प रहे हैं वे हमारे देश की गरीबी का प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको एक जगह इकट्ठा करके जो काम करने के लायक हों उनके काम की व्यवस्था करनी चाहिए । लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है । मैं माननीय मन्त्री जी आपके द्वारा यह सुझाव दूंगा कि हमारे देश के अन्दर जितने भूखे, नंगे और अन्धे सड़कों पर भीख माँगते नजर आयें उनको एक जगह इकट्ठा किया जाय और काम करने लायक जो हों उनको दस्तकारी सिखाई जाय और जो बिलकुल अपाहिज हों उनको खाना दिया जाय ताकि हमारी देश की सभ्यता का जो इजहार करते हैं, देश को लज्जित कर रहे हैं, लाखों आदमी

हर साल बाहर से आता है और सड़कों पर उनको भीख माँगता देखता है, वह सब बन्द हो जाय। मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री जो इस बात पर ध्यान देंगे और जिन संस्थाओं को यह अनुदान दिया जा रहा है उनकी कार्यवाही की जाँच की जायेगी।

आपको अखबारों के जरिये से यह मालूम हुआ होगा, क्योंकि इस तरह की खबरें बराबर छपती हैं कि जो यह संस्थायें हैं वह धर्म के नाम पर अधर्म कर रही हैं। बच्चों और विधवाओं को जबरदस्ती पकड़ कर ले आते हैं और उनके घर वालों को नाम के लिये इत्तला दे देते हैं, लेकिन बच्चों और औरतों को फुसला कर कह देते हैं कि मत जाओ और अपनी जेब गर्म करते हैं। इसलिये इसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस बजट में जो हरिजनों के अपलिफ्ट (उत्थान) के लिये और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को वेतन क्रम बढ़ाने के लिये रुपया दिया गया है मुझे आशा है कि वेतन क्रम बढ़ाने से जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को घाटा हुआ है उसको भी सरकार पूरा करने की कोशिश करेगी ताकि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड के अध्यापकों के अन्दर जो असंतोष है वह दूर हो जाय और उसमें शान्ति और सद्भावना का संचार हो।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि जो नंगे और भीखनंगे सड़कों पर घूमा करते हैं उनके लिये कुछ व्यवस्था की जाय।

श्री हुकुम सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मित्र जो अभी मुझसे पहले बोल चुके हैं उनको यह जो चैरिटेबिल (धार्मिक) संस्थायें हैं उनके बारे में कुछ शिकायत मालूम होती है। उसमें ऐसी मदें भी हैं जैसे अन्धे या यतीम है या लावारिस मर जाते हैं उनकी लाश को जलाने के लिये यह दिया जाता है। इस तरीके की ग्रांट इसमें आती हैं। तो यह ऐसी चीज है जो उनमें आती हैं जो बातें उन्होंने कहीं हैं।

एक बात और जिसको हमारे मित्र जयपाल सिंह जी ने और दूसरे मित्रों ने भी कहा है कि इस विविध व्यय के अन्तर्गत करीब ५ करोड़ रुपया की माँग की गई है मगर उसमें हरिजन और बैकवर्ड क्लासेज (पिछड़े वर्गों) के लिये कोई जिक्र नहीं है और जौनसार-बावर में जो इन्तजाम होता था वहाँ वह शिड्यूल्ड कास्ट (अनुसूचित जाति) के लिये बन्द कर दिया गया है। यह उनकी शिकायत है, लेकिन मैं अपने मित्र जयपाल सिंह जी का यह बताना चाहता हूं कि अगर इस अनुदान के बाद अनुदान नम्बर ४० को भी अगर वह देख लेते तो मैं समझता हूं कि उनकी शिकायत बाकी न रहती। इस ग्रांट ४० में यह रखा गया है कि इम्प्रूवमेंट ऐन्ड अपलिफ्ट आफ शिड्यूल्ड ऐन्ड बैकवर्ड क्लासेज (अनुसूचित और पिछड़े वर्गों के सुधार एवं उत्थान के लिये) इसमें करीब ४९,६१,७०० रुपया रक्खा गया है और यह रकम इसमें अलग रखी गई है। इसमें उनकी तालीम और तरबियत का भी इन्तजाम किया गया है। हर पन्ने पर कोई प्रावीजन (उपबन्ध) रखा जाय यह बजट का प्रावीजन नहीं होता। इसके लिये खास हेड होते हैं। लिहाजा मैं उस हेड में हरिजनों की तालीम के लिये भी रकम रखी गई है। जौनसार-बावर के लिये अलग से कोई नाम देकर रकम नहीं रखी गई है। वहाँ के हरिजन भी इसके अन्दर आ जायेंगे उनको अलग नहीं किया जा सकता है। इस कारण बैकवर्ड क्लासेज के लिये जो उनकी शिकायत थी मैं समझता हूं कि वह दूर हो गई होगी, क्योंकि उसका जिक्र ४० नम्बर पर दूसरे पेज में है।

इस लिये मैं आशा करता हूं कि हमारे मित्र इस सुझाव के बाद अपने कटमोशन को वापस ले लेंगे और सोशलिस्ट पार्टी की तरह अड़ियलपन नहीं करेंगे।

श्री जयपाल सिंह--मैंने कोई शिकायत नहीं की है बल्कि अपने कैस को इस्टेब्लिश (स्थापित) और जस्टीफाई (कार्योचित सिद्ध) करने के लिये इतनी बात कही थी और चूंकि मैं २८ नम्बर की ग्रांट पर नहीं बोल सका, इस लिये इस वक्त इतना कहने की जरूरत हुई। मैंने जो कुछ कहा है वह केवल उद्योगों को बढ़ाने के लिये ही कहा है। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटमोशन को वापिस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापिस लिया गया)

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३९—विविध व्यय लेखा ( शीर्षक ५७—विविध व्यय) के अन्तर्गत ५,६०,५५,४०० रुपये की रकम स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । )

(इसके बाद सदन ५ बजकर २ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ,
१४ जुलाई, १९५२ ।

सत्यमेव जयते

पी० एस० यू० पी०—२२ एल० ए०—१९५२—८३०